मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

फरवरी 2026

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 .... **3**

- इतिहास 3
- भूगोल 8
- भारतीय विरासत और संस्कृति 10
- भारतीय समाज 13

सामान्य अध्ययन पेपर-2 .... **19**

- राजव्यवस्था 19
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 28

सामान्य अध्ययन पेपर-3 .... **36**

- अर्थव्यवस्था 36
- जैव विविधता और पर्यावरण 41
- आंतरिक सुरक्षा 43
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 48
- आपदा प्रबंधन 50

सामान्य अध्ययन पेपर-4 .... **53**

- केस स्टडी 53
- सैद्धांतिक प्रश्न 66

निबंध **82**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न: भारत में राष्ट्रवाद का विकास समान राजनीतिक चेतना के बजाय सामाजिक विभेदीकरण द्वारा निर्धारित था। विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद के विकास को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि यह सामाजिक विभेदीकरण से किस प्रकार प्रभावित था।
- इस पर विस्तार से चर्चा कीजिये कि प्रारंभ में समान राजनीतिक चेतना का अभाव था, किंतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका व्यापक विकास हुआ।
- यह भी स्पष्ट कीजिये कि एकरूप राजनीतिक चेतना ने किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद किसी एकसमान और एकरूप राजनीतिक चेतना के रूप में नहीं उभरा, बल्कि यह भारत की विविध सामाजिक संरचना से आकार लेने वाली एक बहुस्तरीय तथा निरंतर विकसित होती हुई प्रक्रिया थी।

- **औपनिवेशिक नीतियों, आर्थिक शोषण एवं आधुनिक विचारों** ने इसे एक साझा ढाँचा प्रदान किया, किंतु विभिन्न सामाजिक वर्गों ने राष्ट्रवाद को अलग-अलग रूपों में अनुभव किया और अभिव्यक्त किया।
- इस प्रकार इसका विकास सामाजिक विभेदीकरण से गहराई से प्रभावित रहा, जबकि धीरे-धीरे यह एक व्यापक **राष्ट्रीय चेतना** में परिवर्तित होता गया।

मुख्य भाग:

सामाजिक विभेदीकरण से प्रभावित राष्ट्रवाद

- **जाति और सामाजिक पदानुक्रम:** विभिन्न जाति समूहों ने अपने ऐतिहासिक बहिष्करण या विशेषाधिकार के अनुभवों के आधार पर राष्ट्रवाद से जुड़ाव स्थापित किया।
  - प्रारंभ में उच्च जाति के अभिजात वर्ग नेतृत्व में प्रमुख थे, जबकि निम्न जातियों ने राष्ट्रवाद को सामाजिक मुक्ति के साधन के रूप में देखा।
  - उदाहरण के लिये, **बी.आर. आंबेडकर** ने दलितों के लिये संवैधानिक संरक्षण का समर्थन किया और प्राय: कांग्रेस-नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद की आलोचना की कि वह जाति उत्पीड़न की अनदेखी करता है।
- **वर्ग और आर्थिक हित:** किसान, श्रमिक और पूंजीपति अपने-अपने भौतिक हितों के माध्यम से राष्ट्रवाद से जुड़े। राष्ट्रवाद **प्राय: किसी एकीकृत राजनीतिक विचारधारा के बजाय वर्ग-विशिष्ट शिकायतों को प्रतिबिंबित करता था।**
  - उदाहरण के लिये, **चंपारण सत्याग्रह (1917)** जैसे किसान आंदोलनों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के विरोध को कृषि शोषण की समस्याओं से संबद्ध किया गया।
- **क्षेत्रीय और भाषायी विविधता:** औपनिवेशिक नीतियों तथा स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादी लामबंदी भिन्न-भिन्न रही।
  - उदाहरण के लिये, **बंगाल का स्वदेशी आंदोलन** ग्रामीण उत्तर भारत में हुए जन आंदोलनों से काफी अलग था, जो क्षेत्रीय सामाजिक विभेदीकरण को दर्शाता है।
- **धार्मिक और सांप्रदायिक पहचानें:** धार्मिक पहचानों ने **राजनीतिक लामबंदी और राष्ट्रवाद की धारणाओं** को आकार दिया। यद्यपि राष्ट्रवाद का उद्देश्य एकता था, फिर भी यह अक्सर सांप्रदायिक चिंताओं से जुड़ जाता था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, **मुस्लिम लीग द्वारा सुरक्षा उपायों की मांग हिंदू-बहुल राष्ट्रवादी ढाँचे के भीतर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को लेकर व्याप्त आशंकाओं को दर्शाती थी।**

- **लैंगिक और पितृसत्तात्मक संरचनाएँ:** महिलाओं की भागीदारी प्रचलित लैंगिक मानदंडों से प्रभावित थी, जिससे उनकी राजनीतिक भूमिकाएँ सीमित रहीं, जबकि प्रतीकात्मक रूप से उन्हें राष्ट्र की कल्पना में शामिल किया गया।
  - **सरोजिनी नायडू** जैसी महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता की, किंतु **राष्ट्रवादी विमर्श में व्यापक लैंगिक समानता हाशिये पर ही रही।**

- **यद्यपि शुरुआत में समान राजनीतिक चेतना का अभाव था,** लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता इन विविधताओं को स्वीकार करने और उन्हें एक साझा धारा में समाहित करने में निहित थी।

- **गांधीवादी समन्वय:** गांधीजी ने सामाजिक भेदभावों को नकारा नहीं। इसके बजाय, **उन्होंने विभिन्न समूहों की विशिष्ट शिकायतों को 'स्वराज' के व्यापक लक्ष्य के साथ जोड़ दिया।**
  - **किसानों के लिये:** स्वराज का अर्थ **राम-राज्य और करों से मुक्ति** था।
  - **पूंजीपतियों के लिये:** स्वराज का अर्थ **वित्तीय स्वायत्तता** था।
  - **दलितों के लिये:** स्वराज का अर्थ अस्पृश्यता का अंत था।

अतः **यह कहना अत्यधिक सरलीकरण होगा कि राष्ट्रवाद केवल खंडित सामाजिक हितों की उपज था।** वास्तव में एक समान राजनीतिक चेतना भी विकसित हुई, जिसने इन विविध समूहों को एक साथ बाँधने वाली '**संयोजक शक्ति**' के रूप में कार्य किया। यह साझा राजनीतिक चेतना कई परस्पर अतिव्यापी प्रक्रियाओं के माध्यम से आकार ग्रहण करती गई, जिन्होंने सामाजिक और वर्गीय विभाजनों से ऊपर उठने में सहायता की।

- **साझी औपनिवेशिक-विरोधी चेतना:** सामाजिक भिन्नताओं के बावजूद औपनिवेशिक शासन का विरोध एक एकीकृत वैचारिक आधार प्रदान करता था।
  - **असहयोग आंदोलन (1920-22)** जैसे आंदोलनों ने स्वराज के साझा लक्ष्य के इर्द-गिर्द विभिन्न समूहों को संगठित किया।

- **राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं ने सामाजिक विभाजनों के पार संवाद के मंच तैयार किये।
  - **उदाहरण के लिये, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व बढ़ता गया।**

- **सांस्कृतिक प्रतीक और साझा कल्पनाएँ:** राष्ट्रवाद ने एकता को बढ़ावा देने के लिये समान सांस्कृतिक प्रतीकों, मिथकों और ऐतिहासिक आख्यानों का सहारा लिया।
  - **भारत माता भाषायी और क्षेत्रीय सीमाओं के पार एक एकीकृत प्रतीक के रूप में उभरीं।**

- **जन-राजनीति का विस्तार:** जन आंदोलनों के आगमन के साथ राष्ट्रवाद अधिक समावेशी और सहभागितापूर्ण होता गया।
  - सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहरी अभिजात वर्ग, किसान और व्यापारी सभी की भागीदारी देखने को मिली।

निष्कर्ष

भारतीय राष्ट्रवाद गहरे सामाजिक विभेदीकरण से आकार ग्रहण करता हुआ विकसित हुआ, जो किसी एकरूप राजनीतिक चेतना के बजाय भारतीय समाज की बहुलता को प्रतिबिंबित करता था। **फिर भी साझा औपनिवेशिक-विरोधी संघर्ष, समावेशी नेतृत्व और जन-आंदोलनों के माध्यम से उसने इन विभाजनों को पार भी किया। इसकी शक्ति एक साझा राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर विविधताओं को समाहित करने में निहित थी, जिसने इसे जटिल होने के साथ-साथ सुदृढ़ भी बनाया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्नः भारत में ब्रिटिश आर्थिक पुनर्संरचना ने किस हद तक स्वदेशी उद्योगों को नष्ट किया और वैश्विक पूंजीवादी हितों की सेवा हेतु अर्थव्यवस्था को पुनः आकार दिया? विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोणः

- उत्तर की शुरुआत उन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को रेखांकित करते हुए कीजिये, जिन्होंने स्वदेशी उद्योगों को प्रभावित किया।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि इन नीतियों ने किस प्रकार स्वदेशी उद्योगों को नष्ट किया।
- इसके बाद बताएँ कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था को वैश्विक पूंजीवादी हितों की सेवा हेतु पुनर्गठित किया गया।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचयः

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत विश्व का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र था, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग एक-चौथाई योगदान देता था।

- ब्रिटिश आर्थिक पुनर्संरचना वस्तुतः एक **सुनियोजित और चरणबद्ध प्रक्रिया** थी, जिसमें वाणिज्यवाद से आगे बढ़ते हुए मुक्त व्यापार आधारित पूँजीवाद तथा वित्तीय साम्राज्यवाद की दिशा में परिवर्तन किया गया। इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों और ग्राम्य अर्थव्यवस्थाओं को विघटित करना तथा भारत को ब्रिटेन के औद्योगिक एवं पूंजीवादी विस्तार हेतु एक परिधीय आपूर्तिकर्त्ता में परिवर्तित करना था।

मुख्य भागः

स्वदेशी उद्योगों का विनाशः

भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन, जिसे प्रायः 'विऔद्योगीकरण (Deindustrialization)' कहा जाता है, कई सुनियोजित और दमनकारी आर्थिक तंत्रों के माध्यम से किया गयाः

- **'एकतरफा मुक्त व्यापार' और भेदभावपूर्ण शुल्कः** वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के उपरांत चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में मशीनों से बने सस्ते माल की बाढ़ भारतीय बाज़ारों में आ गई।
  - इसके साथ ही यूरोप में प्रवेश करने वाले भारतीय वस्त्रों पर अत्यधिक ऊँचे शुल्क लगाए गए, जिससे **उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई।**
- **अवसंरचना का औपनिवेशिक हथियारीकरणः** रेलवे और तार (टेलीग्राफ) की शुरुआत का उद्देश्य भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण नहीं था, बल्कि उसके विस्तृत अंतर्देशीय क्षेत्रों में गहरी पैठ बनाना था।
  - **रेलमार्गों ने ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को दूर-दराज़ के गाँवों तक तेज़ी से पहुँचाया,** जबकि कच्चे माल को कुशलतापूर्वक बंदरगाहों तक ले जाकर निर्यात किया गया।
- **घरेलू बाज़ार का क्षरणः देशी रियासतों के क्रमिक विलय** और स्वदेशी दरबारों के पतन से **भारतीय हस्तशिल्प, वस्त्र एवं धातुकर्म को मिलने वाला पारंपरिक शाही संरक्षण समाप्त हो गया।**
  - इसके अलावा, औपनिवेशिक प्रभाव में शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग ने अपनी उपभोक्ता प्राथमिकताओं को देशी वस्तुओं से हटाकर यूरोपीय उत्पादों की ओर स्थानांतरित कर लिया।
- **ग्रामीणकरण और कौशल-क्षरणः** जैसे-जैसे स्वदेशी उद्योग नष्ट हुए, लाखों कारीगर और बुनकर अपनी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही शिल्प परंपराएँ छोड़ने को मजबूर हुए तथा जीविका के लिये गाँवों की ओर लौटकर निर्वाह-आधारित कृषि अपनाने लगे।
  - इससे **तीव्र 'ग्रामीणकरण'** हुआ, जिसने कृषि और हस्तशिल्प के पारंपरिक संतुलन को तोड़ दिया तथा कृषि भूमि पर असहनीय दबाव डाल दिया।

वैश्विक पूंजीवादी हितों की सेवा हेतु अर्थव्यवस्था का पुनर्गठनः

- **पूंजीवादी अति-उत्पादन के लिये एक बंदी बाज़ारः** औद्योगिक क्रांति के विस्तार के साथ ब्रिटिश कारखानों को अपने अधिशेष माल की खपत के लिये एक विशाल और सुनिश्चित (बंदी) बाज़ार की आवश्यकता थी।
  - **भारत ब्रिटिश वस्त्र, लोहा और इस्पात के लिये अंतिम 'डंपिंग ग्राउंड' बन गया,** जिससे पूंजीवाद के अति-उत्पादन संकट का समाधान हुआ तथा ब्रिटिश निर्माताओं को निरंतर मुनाफा सुनिश्चित हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **औद्योगिक कच्चे माल का आपूर्तिकर्त्ता:** भारतीय कृषि क्षेत्र का जबरन व्यवसायीकरण यूरोपीय औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया गया।
  - **नील की कृषि में तिनकठिया (*Tinkathia*)** प्रथा जैसी दमनकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय किसानों को खाद्यान्नों के स्थान पर कपास, जूट, चाय और अफीम जैसी नकदी फसलों की कृषि के लिये मज़बूर किया गया।
  - **इससे ब्रिटिश कारखानों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को लाभ मिला,** जबकि भारत में लगातार खाद्य संकट तथा विनाशकारी अकाल उत्पन्न हुए।
- **'धन-निकासी' (Drain of Wealth) और पूंजी संचय:** जैसा कि **दादाभाई नौरोजी** ने प्रख्यात रूप से प्रतिपादित किया था, भारत में उत्पन्न अधिशेष को यहाँ पुनर्निवेशित नहीं किया गया, बल्कि उसे ब्रिटेन भेजकर वहाँ की औद्योगिक क्रांति को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
  - भारतीय कर-राजस्व का उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर उन्हें ब्रिटेन निर्यात करने में किया जाता था। इसका अर्थ यह था कि ब्रिटेन को भारतीय वस्तुएँ लगभग निशुल्क प्राप्त होती थीं — इसे ही '**अप्रतिदत्त निर्यात**' कहा गया।
  - हाल की आर्थिक इतिहासलेखन, विशेषकर **अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के शोध के अनुसार, यह औपनिवेशिक धन-निकासी आज के मूल्यों में लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर आँकी गई है।**
  - यह विशाल धन-हस्तांतरण ब्रिटेन के वैश्विक पूंजीवादी विस्तार तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप में उसके निवेशों के वित्तपोषण का प्रमुख आधार बना।
- **वित्तीय साम्राज्यवाद और एकाधिकार नियंत्रण:** औपनिवेशिक शासन के उत्तरार्द्ध (1860 के बाद) में **ब्रिटेन की अधिशेष पूंजी का भारी निवेश भारत में रेलमार्गों, बागानों और बैंकिंग क्षेत्र में किया गया।**
  - **इन निवेशों पर सरकार द्वारा उच्च प्रतिफल की गारंटी दी जाती थी, जिसका भुगतान सीधे भारतीय करों से किया जाता था।** इस प्रकार वैश्विक वित्तीय पूंजीवाद के मुनाफे निर्धन भारतीय करदाताओं की कीमत पर सुनिश्चित किये गए।

निष्कर्ष

ब्रिटिश आर्थिक पुनर्गठन ने बड़े पैमाने पर भारत को वैश्विक पूंजीवादी केंद्र के लिये केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्त्ता बना दिया। इसके विपरीत, आज की अर्थव्यवस्था **पुनः-औद्योगीकरण (Re-industrialization) की रणनीति** पर अग्रसर है। **मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया** जैसी पहलों के माध्यम से भारत ऐतिहासिक 'धन-निकासी' की प्रवृत्ति को पलटने का प्रयास कर रहा है तथा एक निष्क्रिय उपभोक्ता बाज़ार से आगे बढ़कर वैश्विक मूल्य शृंखला का नेतृत्वकर्त्ता बनने की दिशा में अग्रसर है, **ताकि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में समानता और संप्रभुता के आधार पर समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।**

प्रश्न: शीत युद्ध मात्र सैन्य शक्ति की प्रतिस्पर्द्धा नहीं था, बल्कि विकास के वैकल्पिक मॉडलों के बीच चला एक व्यापक वैचारिक संघर्ष भी था। नवस्वतंत्र राष्ट्रों पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर की शुरुआत शीत युद्ध की व्याख्या करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में तर्क दीजिये कि यह विकासात्मक मॉडल को लेकर भी एक संघर्ष था।
- इसके बाद यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि यह सैन्य शक्ति के लिये भी एक संघर्ष था।
- आगे नवस्वतंत्र राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शीत युद्ध (1947-1991) संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी गुट के बीच तीव्र भू-राजनीतिक तनाव का काल था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यद्यपि इसकी विशेषता परमाणु हथियारों की होड़ और परोक्ष युद्धों से रही, फिर भी मूलरूप से यह सभ्यताओं एवं विकास की परस्पर विरोधी अवधारणाओं का संघर्ष था।
- जैसे-जैसे विश्व में उपनिवेशवाद का अंत हुआ, इन दोनों महाशक्तियों ने **अपने-अपने आधुनिकता के मॉडलों को 'तृतीय विश्व'** के देशों पर स्थापित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा की, जिससे नवस्वतंत्र राष्ट्र वैचारिक प्रयोगों की प्रयोगशालाएँ बन गए।

मुख्य भाग:

विकास मॉडलों पर संघर्ष

- **पूंजीवादी आधुनिकीकरण मॉडल (अमेरिका):** *डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्टोव के 'स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ'* द्वारा मार्गदर्शित, अमेरिका ने स्वतंत्र लोकतंत्र और मुक्त बाज़ार पूंजीवाद को बढ़ावा दिया।
  - इसने **निजी संपत्ति, विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकरण** पर ज़ोर दिया।
- **कमान अर्थव्यवस्था मॉडल (सोवियत संघ):** सोवियत संघ ने राज्य-नेतृत्व वाली केंद्रीकृत योजना के माध्यम से तीव्र औद्योगीकरण का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया।
  - यह मॉडल उन **नेतृत्वकर्त्ताओं के लिये आकर्षक था, जो पूंजीवाद को हाल ही में छोड़े गए उपनिवेशवाद के समकक्ष** मानते थे।
  - इसमें **भारी उद्योग, भूमि सुधार और सामाजिक समानता पर ध्यान** केंद्रित किया गया।
- **सहायता की शर्तें:** विकासात्मक सहायता **कभी 'नि:स्वार्थ' नहीं** होती थी। दोनों गुट तकनीकी सहायता, अवसंरचना परियोजनाओं (जैसे- भारत में इस्पात कारखाने) और शैक्षिक आदान-प्रदान का उपयोग करके **'निर्भर' अभिजात वर्ग** तैयार करते थे, जो उनके **संबंधित मॉडलों के अनुकूल** होते थे।

सैन्य शक्ति के लिये संघर्ष

- **रणनीतिक भूगोल:** सुपरपावर ने शासन प्रणालियों का समर्थन उनके विकासात्मक प्रदर्शन की बजाय उनके स्थान (जैसे- **तेल मार्गों या समुद्री मार्गों** के पास होने) के आधार पर किया।
- **संधियों का जाल:** एक-दूसरे को सीमित करने के लिये अमेरिका और सोवियत संघ ने सैन्य संधियाँ कीं, जैसे- **NATO** और **वारसॉ पैक्ट**।
  - विकासात्मक लक्ष्य अक्सर इन **सैन्य गढ़ों को बनाए रखने के लिये बलिदान** किये जाते थे।
- **हथियार दौड़ और सैन्यीकरण:** संसाधन-संकटग्रस्त नए राष्ट्रों को स्वास्थ्य सेवाओं की बजाय रक्षा पर व्यय करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।
  - **'मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स' वैश्विक स्तर पर निर्यात** किया गया, जिससे सैन्य जंटाओं (जैसे- लैटिन अमेरिका और पाकिस्तान में) का उदय हुआ, जिन्होंने **सामाजिक कल्याण की तुलना में सुरक्षा को प्राथमिकता** दी।

नए स्वतंत्र राष्ट्रों पर प्रभाव

इन दोनों संघर्षों के प्रतिच्छेदन ने उपनिवेशोत्तर दुनिया पर विरोधाभासी प्रभाव डाला।

- **सकारात्मक प्रभाव:** प्रतिद्वंद्विता का लाभ प्राप्त करना
  - **सहायता प्रतिस्पर्द्धा:** भारत और मिस्र जैसे देशों ने दोनों गुटों के साथ संतुलित कूटनीतिक संबंध बनाए रखकर लाभ प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने भारी उद्योग के लिये सोवियत सहायता हासिल की और **खाद्य सुरक्षा तथा शिक्षा** के लिये पश्चिमी सहायता प्राप्त की।
  - **तेज़ औद्योगीकरण:** किसी **मॉडल की सफलता को प्रमाणित** करने के दबाव ने **अवसंरचना में व्यापक निवेश को प्रोत्साहित** किया, जो अन्यथा दशकों में ही संभव हो पाता।
- **नकारात्मक प्रभाव:** 'प्रॉक्सी' त्रासदी
  - **संप्रभुता से समझौता:** अनेक देश **'प्रॉक्सी' (जैसे- वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान)** बन गए, जहाँ स्थानीय शिकायतों को महाशक्तियों के हितों द्वारा प्रभावित किया गया, जिससे दशकों तक गृहयुद्ध चलता रहा।
  - **'संसाधन अभिशाप' और ऋण:** देशों ने वैचारिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये अक्सर बड़े पैमाने

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

पर ऋण लिया, जिसके परिणामस्वरूप 1980 के दशक का **वैश्विक ऋण संकट** उत्पन्न हुआ।

- **लोकतंत्र बनाम स्थिरता:** अमेरिका ने प्रायः साम्यवाद-विरोधी तानाशाहों का समर्थन किया, जबकि **सोवियत संघ ने समाजवादी निरंकुश शासनों** का समर्थन किया।
    - दोनों ही स्थितियों में **'स्थिरता' के नाम पर ज़मीनी लोकतांत्रिक आंदोलनों को अक्सर दबा** दिया गया।

निष्कर्ष:

शीत युद्ध केवल एक सैन्य गतिरोध नहीं था, बल्कि विकास के अर्थ और पद्धति को लेकर एक वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा भी था। नवस्वतंत्र राष्ट्रों के लिये इसने अवसर (जैसे- **सहायता, कूटनीतिक स्वायत्तता और रणनीतिक लाभ**) **प्रदान** किये, पर साथ ही **निर्भरता, सैन्यीकरण और वैचारिक ध्रुवीकरण** जैसी बाधाएँ भी उत्पन्न कीं।

भूगोल

प्रश्नः खनिज और ऊर्जा संसाधनों का असमान वैश्विक वितरण विभिन्न महाद्वीपों में औद्योगिक अवस्थिति के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित करता है? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत में संसाधनों और उद्योगों की अवस्थिति के बीच परस्पर संबंध को सुनिश्चित कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि खनिज और ऊर्जा संसाधन औद्योगिक औद्योगिक को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
- इसके बाद भौगोलिक बाधाओं से परे औद्योगिक विकास के वर्तमान परिदृश्य पर तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भौगोलिक इतिहास के कारण खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वैश्विक वितरण अत्यधिक असमान है। **अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार, यह असमान वितरण औद्योगिक अवस्थिति को निर्धारित करता है।**

मुख्य भाग:

खनिज और ऊर्जा संसाधन औद्योगिक अवस्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं:

- **खनिज और भारी औद्योगिक समूह: लौह अयस्क, कोयला और अलौह खनिजों** से समृद्ध क्षेत्रों ने ऐतिहासिक रूप से इस्पात, एल्युमीनियम तथा इंजीनियरिंग जैसे भारी उद्योगों को आकर्षित किया है।
    - **यूरोप** में रूर-लोरेन क्षेत्र में कोयले और लौह अयस्क **के कारण प्रारंभिक औद्योगीकरण तथा सघन विनिर्माण समूहों का विकास हुआ।**
    - **एशिया** में **पूर्वी भारत** (लौह अयस्क-कोयला निकटता) और उत्तर पूर्वी चीन में इस्पात केंद्र उभरे, जिससे औद्योगिक गलियारों का निर्माण हुआ।
    - **अफ्रीका** में कॉपरबेल्ट जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों **ने खनन-आधारित औद्योगिक शहरों को बढ़ावा दिया। हालाँकि कमज़ोर डाउनस्ट्रीम एकीकरण ने विविधीकरण को सीमित कर दिया।**
- **ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा-गहन उद्योग: कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और जलविद्युत** की स्थिति पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक तथा एल्युमीनियम जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों को बहुत प्रभावित करती है।
    - **मध्य पूर्व में** स्थित तेल और गैस भंडार **सऊदी अरब तथा कतर में स्थित पेट्रोकेमिकल परिसरों का आधार हैं।**
    - **उत्तरी अमेरिका** में शेल गैस की उपलब्धता ने अमेरिका में रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण को पुनर्जीवित कर दिया है।
    - **दक्षिण अमेरिका (जैसे ब्राज़ील)** एल्युमीनियम गलाने के लिये जलविद्युत का उपयोग करता है।
- **परिवहन भूगोल और संसाधन पहुँच:** औद्योगिक स्थान पर संसाधन वितरण का प्रभाव **परिवहन अवसंरचना और नौगम्यता द्वारा मध्यस्थ होता है।**
    - **जिन क्षेत्रों में बंदरगाह, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्ग सुलभ हैं, वहाँ संसाधन दूर होने पर भी औद्योगीकरण हो सकता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, **जापान और दक्षिण कोरिया के तटीय इस्पात संयंत्र** लौह अयस्क तथा कोयले का आयात करते हैं, लेकिन कुशल बंदरगाह-आधारित रसद के कारण प्रतिस्पर्द्धी बने रहते हैं, जबकि **मध्य अफ्रीका के खनिज-समृद्ध भूभाग** खराब कनेक्टिविटी के कारण संघर्ष करते हैं।

- **औपनिवेशिक विरासत और पथ निर्भरता:** महाद्वीपों में औद्योगिक पैटर्न औपनिवेशिकता द्वारा आकारित **ऐतिहासिक निष्कर्षण भूगोल को दर्शाते हैं।**
  - अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई **हिस्सों में उद्योग निर्यात-उन्मुख तथा एन्क्लेव-आधारित बने हुए हैं, जो विनिर्माण के बजाय कच्चे माल के निष्कर्षण** पर केंद्रित हैं।
  - **ज़ाम्बिया में तांबे के खनन** या **नाइजीरिया में तेल निष्कर्षण** का निरंतर प्रभुत्व यह दर्शाता है **कि विरासत में मिली अवसंरचना तथा व्यापारिक पद्धतियाँ औद्योगिक विविधीकरण को किस प्रकार बाधित करती हैं।**

- **राज्य नीति, संसाधन राष्ट्रवाद और रणनीतिक नियंत्रण:** सरकारें **संसाधन राष्ट्रवाद, राज्य स्वामित्व और रणनीतिक औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक स्थान को तेज़ी से आकार दे रही हैं** ।
  - **दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों के प्रसंस्करण पर चीन के नियंत्रण** ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण जैसे उद्योगों को घरेलू स्तर पर एकत्रित होने में सक्षम बनाया है।
  - **इसके विपरीत, मूल्यवर्द्धन के बिना असंसाधित खनिजों का निर्यात करने वाले** देश, संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद, विनिर्माण को आकर्षित करने में विफल रहते हैं।

- **ऊर्जा संक्रमण और उभरती औद्योगिक भौगोलिक स्थितियाँ: नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों** की ओर वैश्विक बदलाव औद्योगिक स्थान के स्वरूप को पुनर्परिभाषित कर रहा है।
  - **लिथियम (दक्षिण अमेरिका का लिथियम ट्रायंगल), कोबाल्ट (DRC)** और **दुर्लभ पृथ्वी धातुओं (चीन)** से समृद्ध क्षेत्र बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिये भविष्य के औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।
  - इस प्रकार **नए संसाधन भूगोल जीवाश्म ईंधन के प्रभुत्व से परे औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।**

भौगोलिक बाधाओं से परे औद्योगिक विकास

समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक स्थान का निर्धारण संसाधनों की निकटता के बजाय **प्रौद्योगिकी, व्यापार और पूंजी की गतिशीलता से अधिक प्रभावित होता है।**

- **तकनीकी नवाचार और प्रतिस्थापन की भूमिका: परिवहन प्रौद्योगिकी, थोक परिवहन, ऊर्जा दक्षता और सामग्री प्रतिस्थापन** में प्रगति ने संसाधन स्थलों के स्थान संबंधी आकर्षण को कम कर दिया है।
  - **धातुओं का पुनर्चक्रण, वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग और ऊर्जा विविधीकरण यूरोप तथा पूर्वी एशिया** के उद्योगों को संसाधन की कमी के बावजूद प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में सक्षम बनाते हैं ।
    - **जापान और दक्षिण कोरिया** जैसे देशों में खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों की कमी है, लेकिन उन्होंने कच्चे माल का आयात करके और उच्च मूल्यवर्द्धित विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके **प्रमुख औद्योगिक केंद्र विकसित किये हैं, जिससे यह साबित होता है कि औद्योगिक क्षमता प्राकृतिक संपदा की भरपाई कर सकती है।**

- **ऊर्जा संक्रमण और जीवाश्म ईंधन से अलगाव: नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों** की ओर बदलाव कोयला तथा तेल के स्रोतों पर पारंपरिक निर्भरता को कमज़ोर कर रहा है।
  - 21वीं सदी में '**नया तेल' लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) जैसे खनिजों से बना है,** जो हरित प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के स्थान को आकार दे रहे हैं।

- **राज्य नीति और रणनीतिक औद्योगिक योजना:** सक्रिय **राज्य हस्तक्षेप और औद्योगिक नीति** प्राकृतिक संसाधन वितरण से स्वतंत्र रूप से औद्योगिक भूगोल को नया आकार दे सकती है।
  - **दुर्लभ-मृदा प्रसंस्करण में चीन का प्रभुत्व** केवल संसाधनों की उपलब्धता के कारण नहीं, बल्कि मूल्य शृंखलाओं पर रणनीतिक नियंत्रण, अवसंरचना निवेश और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

इस प्रकार खनिजों और ऊर्जा के असमान वितरण का **उद्योगों,** विशेष रूप से भारी तथा ऊर्जा-गहन उद्योगों पर स्थान निर्धारण को लेकर प्रबल प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, **प्रौद्योगिकी, व्यापार एकीकरण, शासन और स्थिरता संबंधी चिंताएँ** इस संबंध को तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं, जिससे संसाधनों के सरल निर्धारण के बजाय महाद्वीपों में विविध औद्योगिक भौगोलिक संरचनाएँ उत्पन्न हो रही हैं।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न: धर्म भारतीय प्रदर्शन कलाओं का संरक्षक और संवर्द्धक दोनों रहा है। विश्लेषण कीजिये कि किस प्रकार धार्मिक संस्थानों और आंदोलनों ने भारत में संगीत, नृत्य तथा रंगमंच के विकास को आकार दिया। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर की शुरुआत धार्मिक संस्थाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक और कलात्मक जीवन के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में बताइये कि इन संस्थाओं और आंदोलनों ने भारत में संगीत, नृत्य और रंगमंच के विकास में किस प्रकार मदद की।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में **नाट्य कलाओं को कभी केवल मनोरंजन के रूप में नहीं देखा गया,** इन्हें **आध्यात्मिक मोक्ष (Moksha) की राह** माना गया।

- **भरत मुनि के नाट्य शास्त्र** जैसे प्राचीन ग्रंथों ने कलाओं को **'पंचम वेद'** का दर्जा प्रदान किया और इसे सभी के लिये उपलब्ध कराया।
- सदियों के दौरान, **धार्मिक संस्थाओं (मंदिर, मठ, दरगाह) और आध्यात्मिक आंदोलनों (भक्ति, सूफी)** ने संगीत, नृत्य तथा रंगमंच के **विकास एवं टिकाऊ होने के लिये आवश्यक संरचनात्मक संरक्षण, दार्शनिक विषयवस्तु व भौतिक स्थान** प्रदान किये।

मुख्य भाग:

भारतीय प्रदर्शन कलाओं के संरक्षक के रूप में धार्मिक संस्थान

- **आर्थिक और सामाजिक संरक्षण: चोल, पल्लव तथा विजयनगर साम्राज्य** जैसे वंशों द्वारा बनाए गए विशाल मंदिर परिसर **हज़ारों कलाकारों** जैसे मूर्तिकार, नर्तक, संगीतकार, कांस्य शिल्पकार, चित्रकार एवं लिपिकार को रोज़गार देते थे, जिससे **कलाओं के लिये एक स्थिर, वेतनभोगी पारिस्थितिकी तंत्र** तैयार हुआ।
    - **देवदासी प्रथा:** हालाँकि बाद में इसका अपमान हुआ, यह मूल रूप से **उच्च शिक्षित महिलाओं को देवी-देवताओं को समर्पित करने की संस्था** थी, इसने उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहकर जटिल शास्त्रीय नृत्य और संगीत परंपराओं के संरक्षण तथा उनके निरंतर परिमार्जन की सुविधा प्रदान की।
- **पवित्र वास्तुकला कलात्मक संरक्षण के माध्यम के रूप में:** जब राजनीतिक अस्थिरता ने मौखिक परंपराओं के अस्तित्व पर संकट पैदा किया, तब धार्मिक संस्थाओं ने कला को शाश्वत बनाने के लिए उन्हें पत्थरों पर उकेर दिया।
    - **चिदंबरम नटराज मंदिर में खुदे हुए 108 करण (नृत्य की अवस्थाएँ) एक दृश्य विश्वकोश के रूप में कार्य करते हैं,** जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिये प्राचीन भारतीय नृत्य के सटीक व्याकरण को संरक्षित किया है।
- **शैक्षिक केंद्रों के रूप में मंदिर:** मंदिर गुरुकुल-सदृश संस्थानों के रूप में कार्य करते थे, जहाँ **संगीत (गंधर्व), नाट्य-अभिनय (अभिनय) और सौंदर्यशास्त्र (रस) का ज्ञान** अनौपचारिक अनुकरण के बजाय संरचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से संप्रेषित किया जाता था।
- **धार्मिक शिक्षण के उपकरण के रूप में रंगमंच:** रंगमंच को 'पंचम वेद' (नाट्यवेद) माना गया, जिसका उद्देश्य उन लोगों तक भी पवित्र ज्ञान पहुँचाना था जिन्हें वैदिक अध्ययन से वंचित रखा गया था। **कूटियाट्टम का प्रदर्शन कूत्तंबलम (मंदिर रंगमंच) में किया** जाता था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- असम के महापुरुष शंकरदेव द्वारा रचित **अंकिया नाट** (**Ankiya Nat**), एक विशिष्ट नाट्य शैली है जिसने वैष्णव धर्म के प्रचार-प्रसार के लिये '**ब्रजावली**' भाषा का उपयोग किया।

धार्मिक आंदोलन प्रदर्शन कलाओं के उत्प्रेरक के रूप में

सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार आंदोलनों ने प्रदर्शन कलाओं के '**स्वरूप' और 'विस्तार' को मूल रूप** से पुनर्परिभाषित किया।

- **भक्ति आंदोलन (लोकतंत्रीकरण):** भक्ति आंदोलन के संतों, जैसे **त्यागराज, पुरंदर दास और मीराबाई ने संगीत को राजदरबारों की संकीर्णता** से मुक्त कर आम जनता के बीच गलियों और मंदिरों तक पहुँचाया।
- **नृत्य-नाट्य:** भक्ति प्रभाव के कारण **कथक (जो मूलतः मंदिरों में कथावाचन करने वाले थे)** और मणिपुरी का विकास हुआ, जो पूरी तरह **राधा और कृष्ण की रासलीला पर** केंद्रित है।
- **सूफी आंदोलन:** सूफीवाद ने 'समा' (अध्यात्मिक संगीत) की अवधारणा को जन्म दिया, जिसे ईश्वर से मिलन का मार्ग माना गया। इसी परंपरा से **कव्वाली का** जन्म हुआ और **हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत** के **ख्याल व तराना जैसे रूपों का विकास हुआ, जिन्हें अमीर खुसरो ने लोकप्रिय** बनाया।
  - यद्यपि धर्म ने कलाओं को संरक्षित किया, किंतु साथ ही ऐसी संरचनात्मक बाधाएँ भी खड़ी कर दीं **जिन्होंने कला के निरंतर विकास और उसकी समावेशी प्रकृति को बाधित किया।**
- **जाति-आधारित बाधाएँ:** कई धार्मिक संस्थानों ने शास्त्रीय कलाओं के अभ्यास को केवल विशिष्ट '**उच्च' जातियों या वंशानुगत समुदायों तक ही सीमित रखा**, जिससे कला की व्यापकता बाधित हुई।
  - सदियों तक मंदिर-आधारित कई कलाएँ जनसाधारण की पहुँच से बाहर रहीं, जिसके कारण एक प्रकार का **सांस्कृतिक एकाधिकार** उत्पन्न हो गया।
- **लैंगिकता और नैतिक निगरानी: देवदासी प्रथा,** जिसने सदियों तक नृत्य कला को जीवित रखा, कालांतर में नैतिक पतन और सामाजिक कलंक का शिकार हो गई, जिससे **इस परंपरा से जुड़ी महिलाओं को भारी शोषण का सामना** करना पड़ा।
  - धार्मिक रूढ़िवादिता ने अक्सर इन नृत्यों के '**धर्मनिरपेक्षीकरण**' या '**आधुनिकीकरण' (जैसे 'सदिर' का 'भरतनाट्यम' में परिवर्तन)** को प्रायः विरोध और असहिष्णुता की दृष्टि से देखा।
- **विषयगत सीमाएँ:** सदियों तक **भारतीय रंगमंच और नृत्य लगभग पूरी तरह पुराणों और महाकाव्यों** पर ही केंद्रित रहे।
  - इस 'धार्मिक संतृप्ति' का अर्थ यह था कि 20वीं शताब्दी तक कला के क्षेत्र में समकालीन मानवीय संघर्षों, राजनीतिक आलोचनाओं तथा सामाजिक यथार्थवाद को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया।

निष्कर्ष:

20वीं शताब्दी के शास्त्रीय पुनर्जागरण (रुक्मिणी देवी अरुंडेल जैसी विभूतियों के नेतृत्व में) ने इन कलाओं को धर्मनिरपेक्ष मंचों तक पहुँचाया, किंतु **इनकी 'व्याकरणिक संरचना' अब भी धर्मशास्त्रीय** बनी हुई है। **धर्म एक भौतिक संरक्षक से रूपांतरित होकर एक आध्यात्मिक आधार** बन गया है, जिससे **भारतीय प्रदर्शन कलाएँ केवल भोग (उपभोग) का माध्यम न रहकर योग (एकत्व) का साधन बनी** रहती हैं।

प्रश्न: "पीढ़ियों तक सामूहिक स्मृति को सुरक्षित रखने और सामाजिक मूल्यों के संप्रेषण में लोक परंपराओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।" (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारत की लोक परंपराओं को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में समझाइये कि ये किस प्रकार सामूहिक स्मृति को संरक्षित करती हैं।
- इसके बाद विस्तार से बताइये कि ये पीढ़ियों के बीच मूल्यों का संचार कैसे करती हैं।
- लोक परंपराओं की सीमाओं का उल्लेख कीजिये।
- इन परंपराओं के संरक्षण हेतु उपाय सुझाइये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

मौखिक आख्यानों, गीतों, अनुष्ठानों, त्योहारों, शिल्पों और प्रदर्शन कलाओं को समेटे हुए भारत की लोक परंपराएँ, सामुदायिक अनुभवों का एक जीवंत भंडार हैं।

- ये अभिजात ग्रंथों की बजाय दैनिक जीवन में निहित होती हैं और **इतिहास, पारिस्थितिकी, नैतिकता तथा पहचान को संहिताबद्ध करती हैं।**
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक परंपराओं ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी **मौखिक और प्रदर्शनात्मक माध्यमों** से इन्हें संप्रेषित करते हुए सामूहिक स्मृति तथा सामाजिक मूल्यों को बनाए रखा है।

मुख्य भाग:

सामूहिक स्मृति के संरक्षण में लोक परंपराओं की भूमिका

- **मौखिक महाकाव्य और गाथाएँ—ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में:** लोक महाकाव्य और गाथाएँ स्थानीय नायकों, संघर्षों, प्रवासों एवं प्रतिरोध की स्मृतियों को सुरक्षित रखती हैं, जो प्रायः आधिकारिक इतिहास में स्थान नहीं पातीं। उनकी कथात्मक निरंतरता अतीत की घटनाओं को सामाजिक रूप से अर्थपूर्ण बनाए रखती है।
  - उदाहरण के लिये, राजस्थान की **पाबूजी की फड़** मध्यकालीन पशुपालक जीवन, निरंतर पड़ने वाली सूखे की आवृत्तियाँ और योद्धा नैतिकता का वर्णन करती है तथा गाँव-गाँव घूमकर प्रस्तुत किया जाने वाला एक जीवंत ऐतिहासिक चित्रपट बन जाती है।
- **अनुष्ठान और त्योहार—स्मरण किये गए अतीत के रूप में:** वार्षिक अनुष्ठान उत्पत्ति-कथाओं, पारिस्थितिक लयों और सामुदायिक मोड़ों को पुनःअभिनीत करते हैं, जिससे स्मृति चक्रीय समय में अंतर्निहित हो जाती है।
  - भील समुदायों का भगोरिया पर्व कृषि से जुड़ी ऋतु-परिवर्तन प्रक्रियाओं और पैतृक रिश्तेदारी मानदंडों की याद दिलाता है।
- **लोक रंगमंच और प्रदर्शन—सामाजिक स्मरण के माध्यम:** प्रदर्शन परंपराएँ नैतिक दुविधाओं, अन्याय और सामूहिक संघर्षों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे अशिक्षित वर्गों के लिये भी स्मृति सुलभ बनी रहती है।
  - जैसे, **बंगाल की जात्रा में औपनिवेशिक दमन और सुधार आंदोलनों के प्रसंग मंचित किये जाते हैं, जिससे प्रतिरोध की लोकप्रिय स्मृति जीवित रहती है।**
- **भौतिक संस्कृति और हस्तशिल्प—स्मृति-वस्तुओं के रूप में:** शिल्प-कृतियों के रूपांकन, औज़ार और तकनीकें ऐतिहासिक आजीविकाओं तथा पर्यावरणीय अनुकूलनों को संहिताबद्ध करती हैं।
  - **वारली चित्रकला** कृषि चक्रों, वन-आश्रित जीवन और कबीलाई संरचनाओं को दृश्य रूप में दर्ज करती है, जिससे पाठ के बजाय प्रतीकों के माध्यम से स्मृति संरक्षित रहती है।

पीढ़ियों के बीच सामाजिक मूल्यों के संप्रेषण में लोक परंपराओं की भूमिका

- **कथाकथन के माध्यम से नैतिक मानदंड:** लोककथाएँ सीधे उपदेश देने के बजाय सरल और प्रभावशाली कथाओं के माध्यम से ईमानदारी, साहस एवं संयम जैसे जीवन-मूल्यों का संचार करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **पंचतंत्र से प्रेरित गाँवों की कहानियाँ** पशु-रूपकों के माध्यम से बच्चों में विवेक और सहयोग की भावना विकसित करती हैं।
- **सामुदायिक एकजुटता और पारस्परिक सहयोग:** गीत और सामूहिक श्रम से जुड़े अनुष्ठान संसाधन-अभाव वाले परिवेश में जीवित रहने के लिये आवश्यक सहयोग और पारस्परिकता को सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं।
  - असम में **बिहू गीत** बोआई और कटाई के समय सामुदायिक जुड़ाव को मज़बूत करते हैं तथा साझा श्रम एवं उल्लास को सामान्य बनाते हैं।
- **लैंगिक भूमिकाएँ और अभिकरण का मोलभाव:** लोक-रूप न केवल लैंगिक मानदंडों को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि अभिव्यक्ति और आलोचना के अवसर भी प्रदान करते हैं।
  - **पूर्वी उत्तर प्रदेश के कजरी गीत महिलाओं की विरह-व्यथा और धैर्य को स्वर देते हुए सहानुभूति तथा सहनशीलता का संचार करते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पर्यावरणीय नैतिकता और सतत जीवन:** वर्जनाओं, मिथकों और अनुष्ठानों के माध्यम से पारिस्थितिक ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता है, जो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को नियंत्रित करता है।
  - **पश्चिमी घाट और राजस्थान** के **पवित्र उपवन** अनुष्ठानिक संरक्षण के ज़रिये प्रकृति-संरक्षण के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं।

लोक परंपराओं की सीमाएँ

- **औपचारिक शिक्षा और मीडिया में हाशियाकरण:** आधुनिक पाठ्यक्रम और जनसंचार माध्यम लिखित तथा वैश्विक रूपों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच लोक-ज्ञान का संपर्क घटता जा रहा है।
  - उदाहरण के लिये, UNESCO ने उल्लेख किया है कि युवाओं के पलायन और विद्यालयी शिक्षा में स्थानीय भाषाओं के अवमूल्यन के कारण मौखिक परंपराओं का संप्रेषण कम हो रहा है।
- **व्यावसायीकरण और संदर्भ का क्षरण:** पर्यटन तथा बाज़ार की मांग प्राय: लोक-रूपों को उनके सामाजिक परिवेश से अलग कर देती है, जिससे उनके अर्थ और गहराई में कमी आती है।
  - उत्सव-मंचों पर **यक्षगान** के संक्षिप्त रूपांतरण कथाओं की नैतिक गंभीरता को कमज़ोर कर देते हैं।
- **शहरीकरण और पलायन से क्षरण:** विस्थापन उन सामुदायिक परिवेशों को बाधित कर देता है जो इन परंपराओं के संप्रेषण के लिये आवश्यक होते हैं।

संरक्षण और संप्रेषण को सुदृढ़ करने के उपाय

- **शिक्षा में लोक-ज्ञान का एकीकरण:** स्थानीय विद्यालयी पाठ्यक्रमों एवं शिक्षक-प्रशिक्षण में लोककथाओं, हस्तशिल्प और प्रदर्शन कलाओं को शामिल किया जाए, ताकि इनके संप्रेषण को वैधता और प्रोत्साहन मिले।
- **समुदाय-नेतृत्व वाला प्रलेखन और डिजिटल अभिलेखागार:** स्थानीय संरक्षकों को अपनी मातृभाषाओं में परंपराओं को संदर्भात्मक विवरण (मेटाडाटा) सहित दर्ज करने के लिये सहयोग दिया जाए।
- **नैतिक संरक्षण और न्यायसंगत आजीविका:** ऐसे अनुदान और मंच तैयार किये जाएँ जिनमें समुदायों का नियंत्रण बना रहे तथा कलाकारों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित हो।
- **समावेशी सुधार और आलोचनात्मक सहभागिता:** सांस्कृतिक सार को बनाए रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप पुनर्व्याख्या को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

लोक परंपराएँ किसी निष्क्रिय अवशेष की तरह नहीं, बल्कि सक्रिय और जीवंत प्रणालियों के रूप में कार्य करती हैं, जो दैनिक जीवन की प्रथाओं के ज़रिये सामूहिक स्मृति को सँजोती हैं और सामाजिक मूल्यों को आगे पहुँचाती हैं। उनका सुदृढ़ीकरण बिना उन्हें स्थायी या वस्तुवादी बनाए, सांस्कृतिक निरंतरता, नैतिक शिक्षा और सतत जीवन को समृद्ध कर सकता है। तेज़ी से आधुनिक होती भारत की सामाजिक संरचना में पुनर्जीवित लोक परंपराएँ अतीत की बुद्धिमत्ता और भविष्य की नागरिकता के बीच महत्त्वपूर्ण सेतु बनी रहती हैं।

भारतीय समाज

प्रश्न: **"प्रगतिशील कानूनी ढाँचे के बावजूद, भारत में दिव्यांगजन अब भी संरचनात्मक बहिष्करण का सामना कर रहे हैं।" दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण हेतु सरकारी नीतियों और संस्थागत तंत्रों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत RPwD अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये कानूनी ढाँचे का विवरण प्रस्तुत कीजिये।
- इसके पश्चात PwD के कल्याण हेतु संस्थागत तंत्र पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- अगले चरण में यह स्पष्ट कीजिये कि ये तंत्र और व्यवस्थाएँ क्यों प्रभावी सिद्ध नहीं हो पातीं।
- अंत में PwD के कल्याण को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) ने भारत में दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण को **दान-आधारित** से **अधिकार-आधारित ढाँचे** में परिवर्तित किया तथा मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या **7 से बढ़ाकर 21** कर दी।

- फिर भी **जनगणना 2011** के अनुसार दिव्यांग जनसंख्या केवल **2.21%** दर्ज की गई है, जो **विश्व बैंक के अनुमानों** से काफी कम है। यह स्थिति प्रगतिशील कानूनों के बावजूद बनी हुई **'डेटा अदृश्यता'** और **संरचनात्मक बहिष्करण** को उजागर करती है।

मुख्य भाग:

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रगतिशील कानूनी ढाँचा:

- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016):** यह अधिनियम भारत द्वारा **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)** (जिसे वर्ष 2007 में अनुमोदित किया गया) के तहत किये गए दायित्वों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु अधिनियमित किया गया।
  - इस अधिनियम ने कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया।
  - इसके प्रमुख प्रावधानों में **समानता और गैर-भेदभाव, सरकारी रोज़गार में 4% आरक्षण, उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण** तथा **परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और निर्मित परिवेश में अनिवार्य सुगम्यता** शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, **अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान** भी किये गए हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017):** यह अधिनियम मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** अपनाता है तथा **स्वायत्तता, सूचित सहमति** और **गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच** को मान्यता देता है।
- **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (Rehabilitation Council of India Act, 1992):** यह अधिनियम पुनर्वास पेशेवरों को विनियमित करता है, जिसके अंतर्गत **प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, संस्थानों की मान्यता, योग्य पेशेवरों का केंद्रीय पंजीकरण** तथा **दिव्यांग पुनर्वास में अयोग्य प्रथाओं पर रोक** शामिल है।
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (National Trust Act, 1999):** यह अधिनियम **ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुविध दिव्यांगताओं** से ग्रस्त व्यक्तियों के **कल्याण, संरक्षकता और सशक्तीकरण** पर केंद्रित है।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन की योजना (SIPDA):** यह योजना **केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** को **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता** प्रदान करती है, ताकि **सुगम्यता, समावेशन, जागरूकता तथा कौशल विकास** को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के माध्यम से RPwD अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

PwD के कल्याण हेतु संस्थागत तंत्र:

- **केंद्रीय स्तर की संस्थाएँ**
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (DEPwD):** दिव्यांग व्यक्तियों के लिये **राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों** के निर्माण तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच इनके **क्रियान्वयन के समन्वय** की ज़िम्मेदारी निभाता है।
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त (CCPD):** कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी तथा **अर्ध-न्यायिक अधिकारों** के माध्यम से शिकायतों के निवारण द्वारा **दिव्यांग अधिकारों के प्रवर्तन** को सुनिश्चित करता है।
  - **दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड: नीतिगत परामर्श** प्रदान करता है, **अंतर-मंत्रालयी समन्वय** को सुगम बनाता है तथा दिव्यांग समावेशन की दिशा में समग्र प्रगति की समीक्षा करता है।
- **राज्य स्तर की संस्थाएँ**
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के लिये राज्य आयुक्त:** शिकायतों के निस्तारण और दिव्यांगता संबंधी कानूनों के प्रवर्तन की निगरानी के माध्यम से **राज्य स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा** करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड:** दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के लिये **नीति निर्माण, योजना निर्माण और निगरानी** में राज्य सरकारों की सहायता करते हैं।
- **ज़िला स्तरीय समितियाँ: दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने**, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा **स्थानीय सेवाओं और अधिकारों तक पहुँच** को सुगम बनाकर **स्थानीय स्तर पर दिव्यांग योजनाओं को क्रियान्वित** करती हैं।

हालाँकि एक उन्नत कानूनी और नीतिगत व्यवस्था मौजूद है, फिर भी उद्देश्य तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच अंतर के कारण दिव्यांग व्यक्तियों का संरचनात्मक बहिष्कार जारी है, जिससे उनका वास्तविक सशक्तीकरण बाधित होता है।

- **डेटा की कमी और लक्षितकरण की विफलताएँ:** दिव्यांगता नीति अब भी **जनगणना 2011** के आँकड़ों पर निर्भर है, जो दिव्यांगता की वास्तविक व्यापकता को काफी कम दर्शाते हैं।
  - **UDID परियोजना**, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना था, अब तक **सार्वभौमिक कवरेज** हासिल नहीं कर पाई है, जिसके कारण **बहिष्करण त्रुटियाँ** उत्पन्न हो रही हैं।
  - दिव्यांगता के प्रकार, लैंगिक और स्थान के अनुसार **सटीक व विखंडित डेटा** के अभाव में कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति तथा नीति-लक्षितकरण अप्रभावी बना रहता है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाएँ: सुगम्य भारत अभियान** अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहा है।
  - **सार्वजनिक परिवहन अब भी बड़े पैमाने पर असुगम्य है;** अधिकांश रेलवे स्टेशन और राज्य संचालित बसें **सार्वभौमिक डिज़ाइन मानकों** का पालन नहीं करतीं, जिससे **स्वतंत्र आवागमन** गंभीर रूप से सीमित होता है।
  - उदाहरण के लिये, एक हालिया **CAG रिपोर्ट** ने सुगम्य भारत अभियान में बड़े क्रियान्वयन अंतरालों की ओर संकेत किया, जिसमें यह सामने आया कि CPWD ने पुनर्निर्मित 170 सरकारी भवनों में से केवल 34 में ही पूर्व-सुगम्यता ऑडिट किये, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सार्वभौमिक पहुँच कमज़ोर पड़ी।
- **क्रियान्वयन और प्रवर्तन में अंतराल:** कई राज्यों ने **RPwD अधिनियम, 2016** के अंतर्गत नियम बनाने में देरी की, जिससे **समान प्रवर्तन** प्रभावित हुआ।
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (CCPD)** को बाध्यकारी दंडात्मक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, जिसके चलते अनुपालन प्राय: प्रभावी आदेशों के बजाय केवल परामर्शात्मक निर्देशों तक ही सीमित रह जाता है।
  - परिणामस्वरूप, कार्यस्थलों पर **उचित समायोजन से इनकार** जैसे उल्लंघन अक्सर दंडित नहीं हो पाते।
- **आर्थिक बहिष्करण और रोज़गार संबंधी बाधाएँ: 4% आरक्षण के प्रावधान** के बावजूद, सरकारी आँकड़ों में लगातार यह सामने आया है कि दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिये आरक्षित पदों पर, विशेषकर **समूह A और B सेवाओं** में रिक्तियों की दर काफी अधिक बनी हुई है।
  - निजी क्षेत्र में जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी तथा उचित समायोजन की लागत को बढ़ा-चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति में अनिच्छा बनी रहती है, जिससे **कार्यबल में उनकी भागीदारी राष्ट्रीय औसत से कम रह जाती है।**
  - उदाहरण के लिये, **मार्चिंग शीप PwD इन्क्लूज़न इंडेक्स 2025** के अनुसार, भारत में सर्वेक्षण किये गए **876 संगठनों** में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी **कुल कार्यबल के 1% से भी कम** पाई गई, जबकि **37.9% कंपनियों** ने यह बताया कि उनके यहाँ कोई भी दिव्यांग व्यक्ति स्थायी रूप से नियोजित नहीं है, जो औपचारिक रोज़गार में गहराई से जड़े बहिष्करण को उजागर करता है।

PwD के कल्याण को सुदृढ़ करने हेतु उपाय

- **योजना चरण में सार्वभौमिक डिज़ाइन:** सार्वजनिक अवसंरचना, आवास, परिवहन तथा डिजिटल शासन की सभी परियोजनाओं के **डिज़ाइन और निविदा चरण** में ही **सार्वभौमिक डिज़ाइन के सिद्धांत** को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
  - **पुनर्निर्माण (रेट्रोफिटिंग) की तुलना में प्रारंभ से ही सुगम्यता को शामिल करना अधिक लागत-प्रभावी** है, जैसा कि **दिल्ली जैसे शहरों की समावेशी मेट्रो प्रणालियों** से स्पष्ट होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- परियोजना पूर्ण होने से पूर्व **अनिवार्य सुगम्यता ऑडिट और प्रमाणन** अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **समावेशी डिजिटल शासन एवं सहायक प्रौद्योगिकियाँ:** सरकारी वेबसाइटों, ऐप्स और ई-शासन प्लेटफॉर्मों को **वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (WCAG)** के अनुरूप बनाया जाना चाहिये, ताकि **डिजिटल समावेशन** सुनिश्चित हो सके।
  - सार्वजनिक खरीद नीतियों के माध्यम से **स्क्रीन रीडर, स्पीच-टू-टेक्स्ट टूल्स और AI-आधारित शिक्षण सहायक उपकरणों** जैसी सहायक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे भारत की **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** का उपयोग दिव्यांग सशक्तीकरण हेतु किया जा सके।
- **निजी क्षेत्र में रोज़गार हेतु प्रोत्साहन:** केवल नैतिक अपील से आगे बढ़ते हुए, राज्य को **कर प्रोत्साहन, सरकारी खरीद में वरीयता** या **PLI-जैसी योजनाएँ** प्रदान करनी चाहिये, ताकि वे कंपनियाँ प्रोत्साहित हों जो दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती और उचित समायोजन के मानकों को पूरा करती हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाते हैं कि **वित्तीय प्रोत्साहनों को जागरूकता के साथ जोड़ने** से नियोक्ताओं की हिचकिचाहट कम होती है और कार्यस्थलों पर समावेशन को सामान्य बनाया जा सकता है।
- **प्रवर्तन और जवाबदेही को सुदृढ़ करना:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त (CCPD) के कार्यालय को **अर्ध-न्यायिक और दंडात्मक अधिकारों** से सशक्त किया जाना चाहिये, ताकि **RPwD अधिनियम के अनुपालन** को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
  - समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा **अनिवार्य रिपोर्टिंग** दिव्यांग अधिकारों को केवल प्रतीकात्मक मान्यता से **लागू होने योग्य दायित्वों** में बदल सकती है।
- **सामुदायिक आधारित पुनर्वास (CBR):** सामुदायिक आधारित पुनर्वास पर अधिक ध्यान देने से **दिव्यांग सहायता का विकेंद्रीकरण** संभव हो सकता है और ग्रामीण पहुँच में सुधार हो सकता है।
  - **स्वास्थ्यकर्मी, पंचायत संस्थान और स्वयं सहायता समूहों** को एकीकृत करके, CBR स्थानीय समुदायों में **पुनर्वास, आजीविका समर्थन तथा सामाजिक स्वीकृति** सुनिश्चित करता है, जिससे शहरी संस्थाओं पर निर्भरता कम होती है।
- **सामाजिक संवेदनशीलता और व्यावहारिक परिवर्तन:** निरंतर चलने वाले **सार्वजनिक जागरूकता अभियान, स्कूल पाठ्यक्रम में समावेशन** और **नियोक्ताओं के लिये संवेदनशीलता कार्यक्रम** कलंक को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण हैं।
  - दीर्घकालिक सशक्तीकरण प्राप्त करने में सामाजिक स्वीकृति कानूनी सुधारों के समान ही महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

हालाँकि **RPwD अधिनियम,** 2016 एक प्रगतिशील कदम है, वास्तविक **सशक्तीकरण के लिये केवल 'कानूनी मान्यता' से आगे बढ़कर 'सामाजिक समावेशन' की दिशा में कार्य करना आवश्यक है।** भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के संरचनात्मक बहिष्कार को समाप्त करने के लिये **कानून में लिखी व्यवस्थाओं और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करना** अनिवार्य है।

प्रश्न: भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र गति से आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी के विस्तार तथा निरंतर बनी रहने वाली सामाजिक पदानुक्रमों की पारस्परिक अंत:क्रिया से रूपायित हो रही है। परीक्षण कीजिये कि यह अंत:क्रिया सामाजिक गतिशीलता और असमानता को कैसे प्रभावित करती है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर का आरंभ हाल के सामाजिक परिवर्तनों को उजागर करके कीजिये।
- मुख्य भाग में, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रसार और स्थायी सामाजिक पदानुक्रमों के सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।
- सामाजिक गतिशीलता और असमानता पर इस परस्पर क्रिया के प्रभाव का गहनता से परीक्षण कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

वर्तमान में भारत का सामाजिक रूपांतरण एक विरोधाभास द्वारा दर्शित होता है: तीव्र आर्थिक विस्तार और गहन डिजिटल प्रवेश, गहराई से स्थापित सामाजिक पदानुक्रमों (जाति, वर्ग और पितृसत्ता) के कठोर ढाँचे के भीतर हो रहा है।

- यह त्रि-आयामी परस्पर क्रिया पारंपरिक ढाँचों को एकतरफा रूप से समाप्त नहीं करती, बल्कि एक जटिल रूपरेखा का निर्माण करती है, जहाँ कुछ के लिये सामाजिक गतिशीलता संभव होती है, जबकि अन्य के लिये संरचनात्मक असमानता के नए रूप गहराई से स्थापित हो जाते हैं।

मुख्य भाग:

आर्थिक विकास: समृद्धि बनाम ध्रुवीकरण

जहाँ भारत एक वैश्विक विकास इंजन बना हुआ है, वहीं इस **विकास की प्रकृति विभिन्न सामाजिक समूहों के लिये उन्नति की सीमा निर्धारित करती है।**

- **'K-आकार' का सुधार और सामाजिक विचलन:** महामारी के बाद की वृद्धि स्थिर हुई है, लेकिन **K-आकार की प्रवृत्ति बनी हुई** है।
  - धन पूंजी-गहन क्षेत्रों (प्रौद्योगिकी, फार्मा, हरित ऊर्जा) में केंद्रित हो रहा है, जो उच्च सांस्कृतिक पूंजी (अभिजात स्कूलिंग और अंग्रेज़ी में प्रवीणता) की मांग करते हैं, जबकि श्रम-गहन क्षेत्र (निर्माण, वस्त्र उद्योग) स्थिर बने हुए हैं।
- **धन-परिसंपत्ति अंतराल:** विकास ने परिसंपत्तियों (रियल एस्टेट और शेयरों) की कीमतों को बढ़ा दिया है। चूँकि सामाजिक पदानुक्रम ऐतिहासिक रूप से भूमि स्वामित्व को निर्धारित करते थे, इसलिये पीढ़ियों के बीच धन का अंतर बढ़ रहा है।
  - पूर्व की विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में शीर्ष 10% जनसंख्या के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा था, जबकि निचले 50% की हिस्सेदारी वर्ष 2021 में 13% थी।

प्रौद्योगिकी का प्रसार: समानता लाने वाला और विभाजक, दोनों

प्रौद्योगिकी ने उन्नति के उपकरणों को आम लोगों तक पहुँचाया है, लेकिन इन उपकरणों से होने वाले लाभ असमान रूप से वितरित हैं।

- **'डिजिटल फ्लोर' का उदय: इंडिया स्टैक** (UPI, ONDC और आधार) ने एक 'डिजिटल फ्लोर' प्रदान किया है, जो SC/ST और OBC समुदायों को **वित्तीय स्वायत्तता** का एक स्तर देता है।
  - मानव मध्यस्थों को हटाकर, प्रौद्योगिकी बैंकिंग और कल्याण में 'जाति-आधारित बाधा' को कम करती है।
  - हालाँकि, डिजिटल निरक्षरता अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
- **गिग अर्थव्यवस्था में एल्गोरिदमिक स्तरीकरण:** गिग अर्थव्यवस्था (वर्ष 2026 में लगभग एक मिलियन गिग कार्यकर्त्ताओं को जोड़ने की संभावना) हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिये कम बाधा वाली प्रवेश सुविधा प्रदान करती है।
  - हालाँकि, यह असमानता का एक नया रूप उत्पन्न करती है, जिसे एल्गोरिद्मिक प्रबंधन कहा जाता है।
  - कर्मचारियों के पास सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति नहीं होती और प्लेटफॉर्म की 'सुविधा' अक्सर उर्ध्वगतिशीलता की कमी को छिपा देती है, जिससे एक 'डिजिटल सर्वहारा वर्ग' (Digital Proletariat) का निर्माण होता है।
- **AI और 'कौशल-प्रीमियम' बाधा:** जैसे-जैसे AI श्वेत-पेशा (white-collar) नौकरियों में एकीकृत हो रहा है, वे 'प्रवेश-स्तर' भूमिकाएँ, जिन्होंने पहले प्रथम-पीढ़ी के स्नातकों को सामाजिक उन्नति का अवसर प्रदान किया था, समाप्त होती जा रही हैं।
  - यह 'योग्यता' के मानक को ऐसे स्तर तक बढ़ा देता है, जिसे केवल उच्च-स्तरीय निजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही हासिल कर सकते हैं।

स्थायी सामाजिक पदानुक्रम: 'अदृश्य संरचना'

जाति, धर्म और पितृसत्ता जैसी पारंपरिक संरचनाएँ समाप्त नहीं हो रही हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था में 'पुन: कूटबद्ध' किया जा रहा है।

- **सामाजिक पूंजी एक 'गुप्त तर्क' के रूप में:** कॉरपोरेट और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में सामाजिक पूंजी (नेटवर्क) प्राय: मानव पूंजी (डिग्रियाँ) पर भारी पड़ती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सिफारिशें, मार्गदर्शन और वेंचर कैपिटल निवेश अब भी संकीर्ण सामाजिक नेटवर्कों के माध्यम से अनुपातहीन रूप से संचालित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 'वंशानुगत संपत्ति' या अभिजात पूर्व छात्र संपर्कों से वंचित व्यक्तियों के सामने 'काँच की छत' जैसी बाधा उत्पन्न होती है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का 'स्टिकी फ्लोर':** भारत का 90% से अधिक कार्यबल अब भी अनौपचारिक क्षेत्र में है।
  - सामाजिक पदानुक्रम यह निर्धारित करते हैं कि वंचित जातियाँ कम उत्पादकता, जोखिमपूर्ण और कलंकित अनौपचारिक कार्यों में अधिक प्रतिनिधित्व रखती हैं, जिससे इन क्षेत्रों से 'बाहर निकलना' सांख्यिकीय रूप से अत्यंत दुर्लभ हो जाता है।

परस्पर क्रिया:

- **पितृसत्ता का 'प्लेटफॉर्म आधारित रूपांतरण' (लिंग, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था):** यद्यपि गिग अर्थव्यवस्था अनुकूलनशील प्रगति का आश्वासन देती है, परंतु अवैतनिक देखभाल कार्य का पितृसत्तात्मक बोझ और लैंगिक डिजिटल विभाजन महिलाओं की वास्तविक आर्थिक गतिशीलता को सीमित कर देता है।
  - परिणामस्वरूप, प्लेटफॉर्म एल्गोरिद्म अनजाने में पारंपरिक लैंगिक वेतन अंतराल और व्यावसायिक अलगाव को आधुनिक डिजिटल कार्यबल के भीतर पुनरुत्पादित करते हैं।
- **स्थानिक-डिजिटल बहिष्करण (शहरी-ग्रामीण, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था):** आर्थिक विकास बढ़ते हुए 'स्मार्ट सिटी' केंद्रों में केंद्रित हो रहा है, जहाँ प्रौद्योगिकी का प्रसार एक तीव्र गति वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, जो ग्रामीण और निम्न-जातीय आंतरिक क्षेत्रों को पीछे छोड़ देता है।
  - यह परस्पर क्रिया एक 'डिजिटल दीवार' का निर्माण करती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या तकनीक के उत्पादक की बजाय मात्र उपभोक्ता बनकर रह जाती है और इस प्रकार भौगोलिक तथा वर्ग-आधारित असमानता राष्ट्रीय व्यापार संतुलन में संरचनात्मक रूप से अंतर्निहित हो जाती है।
- **स्वचालित बहिष्करण (वर्ग, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था):** पूंजी-गहन आर्थिक आधुनिकीकरण और AI का एकीकरण उन प्रवेश-स्तर की नौकरियों को तीव्र गति से स्वचालित कर रहा है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से वर्गीय उर्ध्वगतिशीलता के लिये एक मार्ग प्रदान किया था।
  - चूँकि स्थायी वर्गीय पदानुक्रम उच्च-स्तरीय शिक्षा तक पहुँच को निर्धारित करते हैं, इसलिये हाशिये पर रह रहे गरीबों के पास अपेक्षित उन्नत डिजिटल कौशल का अभाव रहता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर संरचनात्मक ठहराव उत्पन्न होता है।

सामाजिक गतिशीलता और असमानता पर इस परस्पर क्रिया का प्रभाव

अंतर्संबंध	परिणामी सामाजिक परिघटना	असमानता पर प्रभाव
विकास + **पदानुक्रम**	**अभिजात अधिग्रहण:** विकास उन लोगों को लाभान्वित करता है, जिनके पास मौजूदा सामाजिक नेटवर्क होते हैं।	सापेक्ष असमानता में **वृद्धि**।
प्रौद्योगिकी + **विकास**	**डिजिटल उछाल:** छोटे व्यवसाय UPI/ONDC के माध्यम से तीव्र गति से विस्तार कर सकते हैं।	निरपेक्ष गरीबी में **कमी**।
प्रौद्योगिकी + **पदानुक्रम**	**पुन: कूटबद्ध पक्षपात:** एल्गोरिद्म और भर्ती फिल्टर सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करते हैं।	सामाजिक स्तरीकरण **बना रहता है**।

निष्कर्ष:

यद्यपि प्रौद्योगिकी और आर्थिक उदारीकरण ने उर्ध्वगतिशीलता के लिये नए अवसर प्रदान किये हैं, वे प्राय: पूर्व-विद्यमान सामाजिक विभाजनों पर अध्यारोपित होकर उन्हें और अधिक तीव्र कर देते हैं। इस परस्पर क्रिया को न्यायसंगत सामाजिक परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिये राज्य को केवल आर्थिक विकास को सुगम बनाने तक सीमित न रहकर डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं में सक्रिय निवेश करना होगा, उभरते क्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई को दृढ़तापूर्वक लागू करना होगा तथा अनौपचारिक कार्यबल के लिये सामाजिक सुरक्षा जाल को सुदृढ़ करना होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजव्यवस्था

प्रश्नः परिणाम-आधारित शासन लोक प्रशासन सुधारों में एक केंद्रीय विषय के रूप में उभरा है। इसके महत्त्व, सीमाओं और उन संस्थागत आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिये जो बजटीय आवंटनों को मापनीय सामाजिक परिणामों में बदलने के लिये आवश्यक हैं। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोणः

- उत्तर की शुरुआत हाल के वर्षों में परिणाम-आधारित शासन की ओर हुए बदलाव को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में इस बदलाव के महत्त्व की व्याख्या कीजिये।
- इस बदलाव की सीमाओं का उल्लेख कीजिये।
- अंत में यह स्पष्ट कीजिये कि बजटीय आवंटनों को मापनीय सामाजिक परिणामों में बदलने के लिये किन संस्थागत पूर्वापेक्षाओं की आवश्यकता है।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

हाल के वर्षों में भारत की शासन व्यवस्था में **'व्यय' से हटकर 'परिणामों'** पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, जिसमें नीतियों के वास्तविक प्रभाव और नागरिकों पर पड़ने वाले असर को केंद्र में रखा गया है। **परिणाम-आधारित बजट, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ** तथा रियल-टाइम डैशबोर्ड जैसी सुधार पहलें इस बदलाव को दर्शाती हैं।

मुख्य भागः

परिणाम-आधारित शासन की ओर बदलाव का महत्त्व

- **व्यय को मापनीय परिणामों में बेहतर रूपांतरणः** परिणाम-आधारित शासन ने सार्वजनिक नीतियों का ध्यान मात्र वित्तीय व्यय से हटाकर मानव विकास के ठोस और मापनीय सुधारों की दिशा में केंद्रित किया है। **अब मंत्रालयों को बजटीय आवंटनों को स्पष्ट रूप से आउटपुट और परिणामों से जोड़ना होता है।**
  - उदाहरण के लिये, **परिणाम बजट 2025-26 तथा उसके बाद के 2026-27 के दस्तावेज़ों में विस्तृत आउटपुट-परिणाम निगरानी ढाँचा प्रस्तुत किया गया है।**
- **जवाबदेही और प्रदर्शन निगरानी में मज़बूतीः** स्पष्ट परिणाम संकेतक **मंत्रालयों, राज्यों और ज़िलों के प्रदर्शन का आकलन संभव बनाते हैं,** जिससे जवाबदेही सुदृढ़ होती है। डैशबोर्ड और रैंकिंग बेहतर कार्यान्वयन के लिये प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
  - **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत, मार्च 2018 से फरवरी 2024 के बीच सभी आकांक्षी ज़िलों का औसत संयुक्त स्कोर 54% तक बढ़ा।**
    - **लगभग 60% ज़िलों ने अपने कुल अंकों में 50% से अधिक का सुधार दर्ज किया।**
- **कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित क्रियान्वयन और दक्षता में सुधारः** परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण ने कमज़ोर प्रदर्शन वाली योजनाओं और क्षेत्रों की पहचान करके दोहराव को कम किया है तथा लक्षित लाभ वितरण को बेहतर बनाया है। इससे राजकोषीय दक्षता में वृद्धि होती है।
  - **JAM आधारित सुधारों** से सब्सिडी में होने वाली लीकेज कम हुई है; सरकारी अनुमानों के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं में बेहतर लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से **₹3.48 लाख करोड़** से अधिक की बचत हुई है।
- **व्यावहारिक परिवर्तन और वास्तविक उपयोग पर बढ़ता ज़ोरः अब फोकस केवल परिसंपत्तियों के निर्माण से हटकर उनके वास्तविक उपयोग और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित हो गया है,** जिससे सार्वजनिक हस्तक्षेपों की स्थिरता बढ़ती है।
  - **स्वच्छ भारत मिशन** के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज **वर्ष 2014 में 39% से बढ़कर वर्ष 2019 तक लगभग 100% हो गया** और सर्वेक्षणों से यह संकेत मिला कि केवल शौचालय निर्माण ही नहीं बल्कि उनके उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा: परिणाम-आधारित शासन सर्वेक्षणों, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और रियल-टाइम आँकड़ों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि नीतिगत निर्णय अधिक तथ्यपरक बन सकें।**
    - NFHS-5 जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षणों का अब **पोषण, स्वास्थ्य और महिला-केंद्रित कार्यक्रमों** में परिणामों की कमियों के आधार पर पुनर्संयोजन के लिये स्पष्ट रूप से उपयोग किया जा रहा है, न कि केवल व्यय के आधार पर।

परिणाम-आधारित शासन की ओर बदलाव की सीमाएँ

- **जटिल सामाजिक परिणामों का अत्यधिक मात्रात्मककरण:** सीखने की गुणवत्ता, गरिमा, सशक्तीकरण और समग्र कल्याण जैसे कई सामाजिक परिणामों को संख्यात्मक संकेतकों में पूरी तरह मापना कठिन होता है। **केवल मापनीय मानकों पर अत्यधिक निर्भरता विकास की जटिलताओं को सरल रूप में प्रस्तुत करने का जोखिम उत्पन्न करती है।**
    - उदाहरण के लिये, **नामांकन** और अवसंरचना पर खर्च बढ़ने के बावजूद, ASER 2022 की रिपोर्ट के अनुसार **कक्षा 5 के केवल 42% विद्यार्थी** ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने में सक्षम थे, **जो मापे गए इनपुट तथा वास्तविक शैक्षणिक परिणामों के बीच अंतर को दर्शाता है।**
- **आँकड़ों की गुणवत्ता, समयबद्धता और विश्वसनीयता से जुड़ी समस्याएँ:** परिणाम-आधारित शासन मुख्यतः प्रशासनिक आँकड़ों पर आधारित होता है, जिनमें प्रायः समय पर उपलब्ध न होना, असंगति तथा रिपोर्टिंग में पक्षपात जैसी समस्याएँ दिखाई देती हैं विशेषकर राज्यों और ज़िलों के स्तर पर।
    - **NFHS-5 के सर्वेक्षण आँकड़ों** और **नियमित प्रशासनिक स्वास्थ्य आँकड़ों** के बीच पाए गए अंतर ने टीकाकरण तथा पोषण संबंधी परिणामों को लेकर विसंगतियाँ उजागर की हैं, **जिससे डैशबोर्ड-आधारित आकलनों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं।**
- **अल्पकालिक सोच और प्रतीकात्मक अनुपालन को बढ़ावा:** त्वरित परिणाम दिखाने का दबाव कई बार स्थाई सुधारों के बजाय सतही अनुपालन की ओर ले जाता है, जहाँ लक्ष्य पूरे करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, न कि संस्थागत प्रणालियाँ विकसित करने पर।
    - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2024 में दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना पर CAG की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट** में पाया गया कि बेहतर सेवाओं के लिये बनाए गए ऑपरेशन थिएटर और बिस्तरों जैसी अस्पताल सुविधाओं का बड़ा हिस्सा, **पर्याप्त व्यय के बावजूद, मानव संसाधनों की कमी तथा कमज़ोर योजना के कारण या तो अत्यंत कम उपयोग में था या पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा था।**
- **संस्थागत और प्रशासनिक क्षमताओं में असमानता:** राज्यों और ज़िलों के बीच तकनीकी, वित्तीय तथा मानव संसाधन क्षमताओं में भारी अंतर है, जिससे परिणाम-आधारित ढाँचों को तैयार करने, उनकी निगरानी करने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता भी अलग-अलग होती है।
    - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के अंतर्गत, **बेहतर प्रशासनिक क्षमता वाले ज़िलों ने अपेक्षाकृत तीव्र प्रगति की, जबकि समान बजटीय आवंटन के बावजूद कमज़ोर ज़िलों का प्रदर्शन पीछे रहा।**
- **बहिष्करण और संकेतकों से छेड़छाड़ का जोखिम:** कठोर परिणाम-लक्ष्य अनजाने में ही कठिन पहुँच वाले वर्गों को बाहर रखने या बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिये संकेतकों में हेरफेर को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2024 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)** की एक रिपोर्ट में पाया गया कि लक्ष्य निर्धारण में हुई त्रुटियों के कारण **PMAY और NFSA** जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से 34% से अधिक गरीब परिवार बाहर रह गए, जो यह दर्शाता है कि कठोर लक्ष्य तथा संकेतक-आधारित क्रियान्वयन कई बार सबसे ज़रूरतमंद वर्गों तक नहीं पहुँच पाता।

बजट को मापनीय सामाजिक परिणामों में बदलने के लिये आवश्यक संस्थागत पूर्वापेक्षाएँ

- **स्पष्ट परिणाम ढाँचे और संकेतक:** परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये, वे यथार्थवादी हों तथा दीर्घकालिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों। **संकेतकों में मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता को भी प्रतिबिंबित करना चाहिये।**

   - इससे अस्पष्टता दूर होती है और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समान समझ विकसित होती है।

- **मज़बूत आँकड़ा और निगरानी प्रणालियाँ: विश्वसनीय डेटा प्रणालियाँ, आपस में जुड़ने योग्य प्लेटफॉर्म तथा स्वतंत्र सत्यापन विश्वसनीय परिणाम-निगरानी के लिये अनिवार्य हैं।**
   - रियल-टाइम डैशबोर्ड को **आवधिक सर्वेक्षणों और ऑडिट के साथ पूरक किया जाना चाहिये।**
- **अंतिम स्तर पर क्षमता निर्माण:** स्थानीय स्तर की संस्थाओं को परिणाम-उन्मुख कार्यक्रमों को लागू करने और उनकी निगरानी के लिये **आवश्यक कौशल, मानव संसाधन तथा तकनीकी सहायता** उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
   - स्थानीय स्तर पर पर्याप्त क्षमता न होने की स्थिति में परिणाम-आधारित ढाँचे केवल शीर्ष-स्तरीय निर्देश बनकर रह जाते हैं और व्यवहार में प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाते।
- **केंद्र-राज्य तथा अंतर-विभागीय समन्वय:** परिणाम प्रायः **कई विभागों और सरकार के विभिन्न स्तरों से जुड़े होते हैं,** जिसके लिये अभिसरण तथा सहकारी संघवाद की आवश्यकता होती है।
   - **स्पष्ट भूमिका-निर्धारण और समन्वय तंत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।**
- **प्रतिक्रिया-चक्र और अनुकूलनीय शासन:** परिणाम-आधारित शासन में प्राप्त अनुभवों और फीडबैक के आधार पर सुधार की गुंजाइश होनी चाहिये।
   - **नियमित मूल्यांकन नीति के पुनर्रचना में सहायक हों,** न कि केवल दंडात्मक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किये जाएँ।
- **पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी:** परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण और नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया शासन की वैधता तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करती है।
   - सामाजिक लेखा-परीक्षा और शिकायत निवारण तंत्र स्थानीय स्तर पर परिणामों के सत्यापन में सहायता करते हैं।

निष्कर्ष

परिणाम-आधारित शासन भारत के सार्वजनिक प्रशासन में एक महत्त्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह राज्य की दिशा को मात्र व्यय से हटाकर ठोस परिणामों और वास्तविक प्रभावों पर केंद्रित करता है। हालाँकि, **सुदृढ़ संस्थानों, विश्वसनीय आँकड़ों और स्थानीय क्षमता के अभाव** में परिणाम केवल प्रतीकात्मक लक्ष्यों तक सीमित रह जाने का खतरा रखते हैं। इसलिये इन पूर्वापेक्षाओं को सुदृढ़ करना अनिवार्य है, ताकि सार्वजनिक बजट वास्तव में **सार्थक और समावेशी सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तित हो सकें।**

प्रश्न: संसदीय निगरानी लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक केंद्रीय तत्त्व है, किंतु समय के साथ इसकी प्रभावशीलता कमज़ोर हुई है। इसके कारणों पर चर्चा कीजिये तथा विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जवाबदेही बनाए रखने में संसद की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में संसदीय निरीक्षण के साधनों का विस्तार से विवरण दीजिये।
- निरीक्षण के कमज़ोर होने के कारणों की व्याख्या कीजिये।
- विधायी जाँच को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाएँ।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संसदीय निगरानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि **कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे।**

- भारत में इस सिद्धांत को संवैधानिक रूप से **अनुच्छेद 75(3)** में संहिताबद्ध किया गया है, जो मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी को अनिवार्य बनाता है।
- हालाँकि, हाल के रुझान इन **जवाबदेही तंत्रों के 'खोखले होने' की ओर संकेत करते हैं,** जिसके परिणामस्वरूप संसद एक विमर्शात्मक संस्था के बजाय तर्कतः सरकार के निर्णयों की **सूचना-पट्टिका** (नोटिस बोर्ड) में परिवर्तित होती जा रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

संसदीय निगरानी के उपकरण

संसद शासन के विभिन्न चरणों में कार्यपालिका की निगरानी और समीक्षा के लिये अनेक उपकरणों का उपयोग करती है:

निगरानी का प्रकार	प्रमुख उपकरण	कार्य
विधायी	समितियाँ (DRSC – विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ):	विधेयकों की गहन जाँच, जो राजनीतिक दबावों से मुक्त और तथ्यों पर आधारित हो।
कार्यपालिका/प्रशासनिक	प्रश्नकाल	दैनिक प्रशासन और नीति कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर मंत्रियों से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना।
वित्तीय	लोक लेखा समिति (PAC)	सरकारी व्यय का लेखा-परीक्षण (घटनाओं के बाद का विश्लेषण/पोस्ट-मॉर्टम एनालिसिस)।
	कटौती प्रस्ताव	नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिये विशिष्ट अनुदानों का विरोध।
राजनीतिक	अविश्वास प्रस्ताव	बहुमत समर्थन खो चुकी सरकार को पद से हटाने का अंतिम और सबसे प्रभावी साधन।
	स्थगन प्रस्ताव	जनहित के तात्कालिक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की निंदा करना।

निगरानी के कमज़ोर होने के कारण

- **संसदीय कार्य दिवसों की संख्या में निरंतर कमी: 17वीं लोकसभा में संसद के औसत वार्षिक बैठक-दिन घटकर 55 रह गए हैं, जबकि पहली लोकसभा में यह संख्या 135 थी।** इसके विपरीत ब्रिटेन की **हाउस ऑफ कॉमन्स** लगभग 150 दिनों तक बैठती है।
  - इससे महत्त्वपूर्ण नीतियों और विधेयकों पर व्यापक एवं गहन बहस के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।
- **संसदीय समितियों को दरकिनार करना:** विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ (DRSCs) विधायी जाँच का प्रमुख माध्यम हैं। किंतु इन समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों के प्रतिशत में तीव्र गिरावट आई है।
  - 17वीं लोकसभा में **केवल 16% विधेयकों को संसदीय जाँच हेतु स्थायी समितियों के पास भेजा गया।**
- **'मनी बिल' का दुरुपयोग:** कुछ विवादास्पद विधेयकों को कभी-कभी मनी बिल (**अनुच्छेद 110**) के रूप में पारित किया गया, जिससे **राज्यसभा की समीक्षा** से बचा जा सके। इससे द्विसदनीय निगरानी तंत्र कमज़ोर होता है।
- **दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची):** यद्यपि इसका उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर रोक लगाना था, लेकिन इसने दल के भीतर असहमति को दबा दिया है। सांसद सामान्य विधेयकों पर भी पार्टी व्हिप से बंधे रहते हैं, जिससे उनकी भूमिका केवल संख्या-गणना तक सीमित हो जाती है और सरकार से प्रश्न पूछने की उनकी व्यक्तिगत क्षमता क्षीण हो जाती है।
- **बार-बार होने वाले व्यवधान और 'गिलोटिन' प्रक्रिया:** विपक्ष द्वारा बढ़ते व्यवधानों के कारण कई बार पूरे सत्र बाधित हो जाते हैं।
  - परिणामस्वरूप, सरकार 'गिलोटिन' प्रक्रिया का सहारा लेकर बजट और महत्त्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर देती है।
    - उदाहरण के लिये, लोकसभा ने **वर्ष 2023-24 का लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का बजट बिना बहस के पारित किया,** जिससे **'वित्तीय नियंत्रण' (Power of the Purse)** मात्र औपचारिकता बनकर रह गया।
- **अध्यादेशों पर अत्यधिक निर्भरता:** अध्यादेश जारी करने की शक्ति (**अनुच्छेद 123**) का बार-बार प्रयोग नियमित विधायी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रक्रिया को दरकिनार करता है और संसद को पूर्व जाँच के अवसर के बजाय एक पहले से तय तथ्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

विधायी जाँच को सुदृढ़ करने के उपाय

- **DRSC को अनिवार्य रूप से संदर्भित करना:** संसद के नियमों में संशोधन कर सभी प्रमुख विधायी विधेयकों को अनिवार्य रूप से विभाग-संबंधी स्थायी समितियों (DRSC) के पास भेजने का प्रावधान किया जाना चाहिये। केवल अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय आपात स्थितियों में ही इससे अपवाद की अनुमति दी जाए।
- **संसदीय सत्रों के लिये न्यूनतम कार्य दिवसों का अनिवार्य निर्धारण:** संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने लोकसभा के लिये न्यूनतम 120 और राज्यसभा के लिये 100 बैठक-दिनों की सिफारिश की है।
  - **एक निश्चित संसदीय कैलेंडर को संस्थागत रूप देने से निगरानी के लिये पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जा सकता है।**
- **दलबदल विरोधी कानून में संशोधन:** इस कानून को केवल सरकार के अस्तित्व से जुड़े मतों (जैसे—अविश्वास प्रस्ताव या मनी बिल) तक सीमित किया जाना चाहिये।
  - अन्य सभी विधेयकों पर **सांसदों को अपने विवेक और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों के अनुसार मतदान करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिये।**
- **पूर्व-विधायी जाँच को संस्थागत बनाना:** वर्ष 2014 की **पूर्व-विधायी परामर्श नीति (PLCP)** को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। संसद में पेश किये जाने से पहले मसौदा विधेयकों को कम-से-कम 30 दिनों के लिये सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए, ताकि जनता और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किये जा सकें।
- **विपक्ष की भूमिका को सशक्त बनाना: विपक्ष को कार्यसूची तय करने के लिये विशेष दिन समर्पित करने जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सकता है,** ताकि कार्यपालिका से कठोर और प्रभावी प्रश्न पूछे जा सकें।
- **राज्यसभा को सशक्त करना:** किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करने में अध्यक्ष की शक्ति को लेकर स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश और न्यायिक निगरानी स्थापित की जानी चाहिये, ताकि उच्च सदन को अनुचित रूप से दरकिनार न किया जा सके।

निष्कर्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने **'दैनिक मूल्यांकन'** (संसदीय निरीक्षण) और **'आवधिक मूल्यांकन'** (चुनाव) के बीच अंतर स्पष्ट किया था। जहाँ भारत ने दूसरे (चुनाव) में महारत हासिल कर ली है, वहीं पहला (संसदीय निरीक्षण) वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रहा है। निरीक्षण को मज़बूत करने का उद्देश्य सरकार के कार्य में बाधा डालना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नीतियाँ मज़बूत, आम सहमति पर आधारित और संवैधानिक रूप से सुदृढ़ हों। एक 'मज़बूत सरकार' को लोकतांत्रिक बने रहने के लिये एक **'मज़बूत संसद'** की आवश्यकता होती है।

प्रश्न: "भारतीय संघवाद एक ऐसे परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है जिसमें प्रतिस्पर्द्धी संघवाद का उदय हो रहा है।" इस परिवर्तन की प्रकृति और इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर का परिचय हाल के वर्षों में प्रतिस्पर्द्धी संघवाद के रुझानों पर प्रकाश डालते हुए दीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि यह परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है (इसकी प्रकृति)।
- इसके पश्चात यह स्पष्ट कीजिये कि इसके क्या लाभ हैं।
- साथ ही यह भी बताइये कि इस मॉडल में क्या कमज़ोरियाँ निहित हैं।
- प्रतिस्पर्द्धी-सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय संघवाद **केंद्रीकृत, योजना आयोग के नेतृत्व वाली कमांड प्रणाली से बदलकर प्रतिस्पर्द्धी संघवाद में परिवर्तित हो गया है,** जहाँ राज्य केंद्र के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से और एक-दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। यह बदलाव **वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण से प्रेरित** हुआ तथा हाल के वर्षों में इसमें तीव्रता आई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसे **नीति आयोग, GST, लाइसेंस राज को समाप्त** करने तथा पूंजी के लिये तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से **संस्थागत रूप** दिया गया है।

मुख्य भाग:

परिवर्तन की प्रकृति: संरक्षण से प्रदर्शन की ओर

प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की ओर यह परिवर्तन बहुआयामी है, जो राज्यों के आर्थिक और प्रशासनिक रूप से कार्य करने के तरीके को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

- **उप-राष्ट्रीय अर्द्ध-राजनयिक गतिविधियाँ:** राज्य अब केवल केंद्र पर आर्थिक मध्यस्थ के रूप में निर्भर नहीं रह गए हैं।
  - वे हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलनों (जैसे, वाइब्रेंट गुजरात समिट, इन्वेस्ट राजस्थान और UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) के माध्यम से सीधे वैश्विक निवेशकों से जुड़ रहे हैं।
  - विदेशी कंपनियाँ अब अमूर्त रूप से 'भारत' में निवेश नहीं करतीं, बल्कि वे प्रतिस्पर्द्धी लाभों के आधार पर विशिष्ट राज्यों का चयन करती हैं।
- **प्रतिस्पर्द्धा का संस्थागतकरण:** नीति आयोग ने शासन मॉडल को 'वन साइज फिट्स ऑल' (one-size-fits-all) से बदलकर एक प्रतिस्पर्द्धी रैंकिंग प्रणाली में परिवर्तित कर दिया है।
  - **सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक** और **निर्यात तैयारी सूचकांक** जैसे सूचकांक राज्यों को अपने प्रदर्शन की अन्य राज्यों के साथ सार्वजनिक रूप से तुलना करने के लिये बाध्य करते हैं।
- **प्रदर्शन-आधारित राजकोषीय विकेंद्रीकरण:** संसाधन आवंटन की गतिशीलता विशुद्ध अधिकारिता से बदलकर परिणाम-आधारित पुरस्कारों की ओर स्थानांतरित हो रही है।
  - **हाल के वित्त आयोगों** (जैसे 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग के लिये वर्तमान रूपरेखा) ने कर वितरण में प्रदर्शन प्रोत्साहन को एकीकृत किया है, जिससे अनुदानों को बिजली क्षेत्र की दक्षता, व्यापार करने में सुगमता और जनसांख्यिकीय प्रबंधन में मापनीय सुधारों से जोड़ा जा रहा है।
- **उभरते क्षेत्रों में प्रतिद्वंद्विता:** अगली पीढ़ी के उद्योगों के लिये एक तीव्र 'संघीय बाज़ार' उभर कर सामने आया है। राज्य आक्रामक रूप से विशिष्ट नीतियाँ बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और AI डेटा सेंटरों के लिये प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं (उदाहरण के लिये, गूगल ने 15 अरब डॉलर के AI हब के लिये आंध्र प्रदेश को चुना)।

परिवर्तन के निहितार्थ: दोहरा प्रभाव

प्रतिस्पर्द्धी संघवाद का उदय भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिये गहरे निहितार्थ उत्पन्न करता है, जो एक ओर प्रगति का शक्तिशाली इंजन है तो वहीं दूसरी ओर संरचनात्मक कमज़ोरियाँ भी उत्पन्न करता है।

रचनात्मक लाभांश

- **नीतिगत नवाचार और 'लोकतंत्र की प्रयोगशालाएँ':** प्रतिस्पर्द्धा राज्यों को नवाचार करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करती है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **अग्रणी एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली (जैसे तेलंगाना का TS-iPASS) ने नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के लिये राष्ट्रीय मानक स्थापित किये हैं।**
- **आर्थिक गतिशीलता और रोज़गार सृजन:** प्रशासनिक मानसिकता को 'लालफीताशाही से लाल कालीन' (red tape to red carpet) की ओर परिवर्तित करके, राज्य व्यापार सुगमता में व्यापक सुधार कर रहा है।
  - घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने का यह सक्रिय प्रयास बुनियादी ढाँचे के विकास और रोज़गार सृजन को गति प्रदान करता है।
- **परिणाम-उन्मुख शासन:** चूँकि राज्यों की रैंकिंग राजनीतिक आख्यानों के बजाय मापने योग्य आँकड़ों पर आधारित होती है, इसलिये स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार लाने के लिये एक ठोस प्रयास होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

संरचनात्मक कमज़ोरियाँ

- **बढ़ती क्षेत्रीय विषमताएँ (मैथ्यू प्रभाव):** एक विशुद्ध प्रतिस्पर्द्धी मॉडल स्वभावत: उन राज्यों के हित में कार्य करता है, जिनके पास अवसंरचना, तटीय पहुँच तथा कुशल श्रम (जैसे, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक) क्षेत्रों में पूर्व-विद्यमान लाभ है।
  - ऐतिहासिक रूप से पिछड़े या भू-अवरोधित राज्य (जैसे, बिहार, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से) निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिये संघर्ष करते हैं, जिससे उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम आर्थिक विभाजन बढ़ने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **राजकोषीय साहसिकता और 'नीचे की ओर दौड़':** मेगा-परियोजनाओं के लिये प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिये, राज्य अक्सर असंवहनीय कर छूट, अत्यधिक सब्सिडी वाली भूमि और सस्ती बिजली की पेशकश करते हैं।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहले भी इसे एक गंभीर राजकोषीय जोखिम बताया है जो राज्य के खजाने पर दबाव डाल सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, पूंजी को आकर्षित करने की होड़ में महत्त्वपूर्ण श्रम और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है।
- **सहकारी भावना का क्षरण:** अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा टकरावपूर्ण संघवाद में बदल सकती है।
  - विभाज्य कर पूल को लेकर घर्षण, GST मुआवज़े में देरी, आगामी परिसीमन को लेकर आशंकाएँ और अंतर-राज्य जल विवाद यह संकेत देते हैं कि अत्यधिक प्रतिद्वंद्विता राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर कर सकती है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रतिस्पर्द्धा 'नीचे की ओर दौड़' में न बदल जाए, भारत को अपने प्रतिस्पर्द्धी ढाँचे में सहकारी सुरक्षा उपायों को एकीकृत करना होगा:

- **अंतर-राज्य परिषद (ISC) को सशक्त बनाना:** अंतर-राज्य परिषद को एक सामयिक विचार-विमर्श निकाय से बदलकर विवाद समाधान और नीति समन्वय के लिये एक स्थायी संस्थागत तंत्र में परिवर्तित किया जाना चाहिये।
- **पिछड़े राज्यों के लिये असममित प्रोत्साहन:** केंद्र को प्रतिस्पर्द्धा की मंशा को समतल बनाने के लिये विशेष श्रेणी के दर्जे (SCS) वाले या भू-अवरोधित राज्यों को उच्च 'सहयोगात्मक सहायता' और तकनीकी अनुदान प्रदान करना चाहिये।
  - यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिस्पर्द्धा केवल 'समान' न होकर 'न्यायसंगत' हो, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्यों के स्थायी हाशियाकरण को रोका जा सके।
- **GST 2.0 के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक बाज़ार' को संस्थागत रूप देना:** कर प्रशासन में सहयोग आवश्यक है ताकि राज्यों को पड़ोसी राज्यों से निवेश 'छीनने' के लिये हानिकारक राजकोषीय प्रोत्साहनों का उपयोग करने से रोका जा सके।
- **राज्य-से-राज्य (S2S) मेंटरशिप कार्यक्रम:** केंद्र को 'अग्रणी राज्यों' को ज्ञान-साझाकरण समझौतों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से 'पिछड़े राज्यों' का मार्गदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - यह प्रतिस्पर्द्धा को एक सहयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया में बदल देता है, जहाँ एक राज्य की सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे, केरल का स्वास्थ्य मॉडल) को औपचारिक रूप से दूसरे राज्यों द्वारा अपनाया जाता है।

निष्कर्ष:

प्रतिस्पर्द्धी संघवाद ने भारत को अधिक गतिशील और निवेश-उन्मुख बनाया है, परंतु केवल प्रतिस्पर्द्धा समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं कर सकती। केंद्र को एक रणनीतिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिये, जो राजकोषीय अनुशासन लागू करते हुए पिछड़े राज्यों का समर्थन करे। आगे की राह प्रतिस्पर्द्धी-सहकारी संघवाद में निहित है, जहाँ समानता और संघीय सद्भाव बनाए रखने के लिये प्रतिद्वंद्विता को सहयोग के साथ समन्वित किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न: डिजिटल शासन ने राज्य के अंदर शक्ति का केवल विकेंद्रीकरण ही नहीं, बल्कि पुनर्वितरण भी किया है। विश्लेषण कीजिये कि प्रौद्योगिकी जवाबदेही और विवेकाधिकार को किस प्रकार नया स्वरूप प्रदान करती है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की भूमिका डिजिटल शासन के प्रमुख स्तंभों को रेखांकित करते हुए प्रस्तुत कीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क दीजिये कि डिजिटल शासन ने केवल विकेंद्रीकरण नहीं किया है, बल्कि राज्य के भीतर शक्ति के पुनर्वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
- इसके पश्चात विश्लेषण कीजिये कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार जवाबदेही और विवेकाधिकार को पुनर्परिभाषित करती है।
- अंत में प्रौद्योगिकी–शासन इंटरफेस को सुदृढ़ करने के उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

परिचय:

डिजिटल शासन अब केवल फाइलों के स्वचालन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह राज्य-प्रशासन की संरचना के मूल तंत्र को परिवर्तित करने वाला एक मौलिक संस्थागत तंत्र बन चुका है। वर्ष 2026 तक AIआधारित पूर्वानुमान उपकरणों और रियल-टाइम निगरानी के एकीकरण ने इसे साधारण **'ई-सेवा वितरण' से आगे बढ़ाकर एक जटिल 'एल्गोरिदमिक राज्य' के रूप में विकसित कर दिया है।**

मुख्य भाग:

डिजिटल शासन – राज्य के भीतर शक्ति का पुनर्वितरण:

यद्यपि डिजिटल शासन को प्राय: **'विकेंद्रीकरण'** के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, व्यवहार में यह प्राय: क्रियान्वयन को परिधि स्तर पर सौंपते हुए शक्ति को केंद्र में पुन:संकेंद्रित कर देता है।

- **डेटा का केंद्रीकरण: आधार या गति शक्ति** जैसे प्लेटफॉर्म केंद्र स्तर पर भारी मात्रा में डेटा एकत्र करते हैं। यह 'ऊपर-से-नीचे' की निगरानी और नीति-निर्धारण को सक्षम बनाता है, जिससे प्राय: **स्थानीय सरकारों की स्वायत्तता की अनदेखी होती है।**
- **मानकीकरण बनाम स्थानीय संदर्भ:** स्वचालित प्रणालियाँ प्राय: 'एकसमान मानकीकृत व्यवस्था' दृष्टिकोण अपनाती हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों की अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप नियमों में अनुकूलन लाने की क्षमता घट जाती है तथा कठोर कोडिंग के जरिये नीतियाँ दोबारा केंद्रीकृत हो जाती हैं।
- **राजकोषीय तकनीक के माध्यम से संसाधनों का पुनर्वितरण: कर (GSTN) और सब्सिडी (DBT)** के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने वित्तीय नियंत्रण को केंद्रीय खजाने के करीब ला दिया है। इससे स्थानीय स्तर की संस्थाएँ फंड जारी करने के लिये केंद्रीय डेटा-क्लियरिंग हाउसों पर अधिक निर्भर हो गई हैं।
- **'प्लेटफार्म राज्य' का उदय:** राज्य अब एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है **(जैसे, इंडिया स्टैक)**। यह केंद्रीय प्राधिकरण को सभी अन्य खिलाड़ियों, जिसमें निजी भागीदार और उप-राष्ट्रीय संस्थाएँ शामिल हैं, के लिये 'खेल के नियम' निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रौद्योगिकी: जवाबदेही और विवेकाधिकार का नया स्वरूप

- **जवाबदेही के रूप में पारदर्शिता: 'डिजिटल इंडिया' और 'RTI ऑनलाइन'** जैसे पोर्टल सूचना की असमानता को कम करते हैं। अब राज्य (सरकार) नागरिक के लिये 24/7 'दृश्यमान' है, जो एक प्रकार की क्षैतिज जवाबदेही उत्पन्न करता है।
  - साथ ही संपत्तियों की **जियो-टैगिंग** और **बायोमेट्रिक उपस्थिति** यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारी शारीरिक रूप से उपस्थित हैं तथा कार्य वास्तव में किया जा रहा है।
    - अब जवाबदेही केवल किसी पर्यवेक्षक के प्रति न होकर 'सिस्टम' के प्रति हो गई है।
  - हालाँकि, जब निर्णय **एल्गोरिदम** द्वारा लिये जाते हैं (जैसे कि कल्याणकारी सूचियों से स्वचालित निष्कासन) तो जवाबदेही अपारदर्शी हो जाती है। किसी प्रणालीगत त्रुटि के लिये 'कोड' को ज़िम्मेदार ठहराना कठिन होता है।
- **नकारात्मक विवेकाधिकार में कमी: नियम-आधारित सॉफ्टवेयर अधिकारियों को रिश्वत मांगने या पक्षपात करने से रोकता है,** क्योंकि सिस्टम तभी आगे बढ़ता है जब विशिष्ट मानदंड पूरे होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हालाँकि, कठोर डिजिटल सिस्टम प्राय: **'मानवीय अपवादों'** को स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिये, बायोमेट्रिक विफलता के कारण किसी बुजुर्ग व्यक्ति को राशन देने से मना किया जा सकता है और स्थानीय अधिकारी के पास अब मशीन के निर्णय को बदलने का कानूनी विवेकाधिकार नहीं रह जाता।

प्रौद्योगिकी-शासन इंटरफेस को सुदृढ़ करने के उपाय

- **जवाबदेही बढ़ाना:** प्रतिक्रियाशील से सक्रिय की ओर
  - **स्वचालित ऑडिट ट्रेल्स:** मैन्युअल ऑडिट (हस्तचालित लेखा परीक्षा) से आगे बढ़कर **ब्लॉकचेन-आधारित लॉगिंग** की ओर बढ़ना आवश्यक है।
    - किसी अधिकारी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय एक **अपरिवर्तनीय लेज़र** में दर्ज किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि **जाँच के दौरान 'ज़िम्मेदारी' को बदला नहीं जा सकता।**
  - **नागरिक-नेतृत्व वाली निगरानी (Crowdsourcing):** मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों **(जैसे- सड़कें, स्कूल)** की तस्वीरें सीधे निगरानी प्रणाली में अपलोड करने की सुविधा देना।
    - यह एक **'सामाजिक जवाबदेही'** चक्र बनाता है। इसमें सिस्टम केवल तभी फंड जारी करता है जब 'डिजिटल साक्ष्य' भौतिक वास्तविकता से मेल खाते हों।
- **विवेकाधिकार को सशक्त बनाना:** मानवीय तत्त्व का संवर्द्धन
  - **इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (IDSS):** कठोर 'हाँ/नहीं' आधारित सॉफ्टवेयर के स्थान पर अधिकारियों को ऐसे AI उपकरण प्रदान किये जाएँ, जो पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों के आधार पर अनेक वैधानिक विकल्प सुझाएँ।
    - यह **'संवर्द्धित विवेकाधिकार' (Augmented Discretion)** अधिकारी को उसके निर्णयाधिकार को समाप्त किये बिना, अधिक त्वरित और विधिसम्मत निर्णय लेने में सहायता करता है।
  - **अपवाद-प्रबंधन प्रोटोकॉल:** सॉफ्टवेयर में **'लॉजिक ब्रेक' (Logic Breaks)** का प्रावधान किया जाए। यदि किसी नागरिक का मामला मानक डिजिटल प्रारूप में फिट न हो (जैसे पेंशन दावे में तकनीकी त्रुटि) तो प्रणाली उसे स्वत: चिह्नित कर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा **'ह्यूमन-इन-द-लूप'** (Human-in-the-Loop) समीक्षा के लिये अग्रेषित करे।
- **संरचनात्मक एवं नैतिक सुरक्षा उपाय**
  - **'स्पष्टीकरण का अधिकार':** यह कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए कि किसी भी स्वचालित निर्णय से प्रभावित नागरिक को उस एल्गोरिदम के तर्क और आधार को जानने का अधिकार हो।
    - इससे 'ब्लैक बॉक्स' प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सकेगा, जिसमें 'कंप्यूटर ने अस्वीकार कर दिया' जैसी बात प्रशासनिक निष्क्रियता का औचित्य बन जाती है।
  - **डिजिटल साक्षरता एवं नैतिक प्रशिक्षण:** सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का फोकस 'कंप्यूटर का उपयोग कैसे करें' से आगे बढ़ाकर **'डेटा के माध्यम से नैतिक एवं उत्तरदायी शासन कैसे संचालित करें'** पर केंद्रित किया जाना चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग बहिष्कार के लिये नहीं, बल्कि समावेशन के लिये करें।

निष्कर्ष

डिजिटल शासन ने शक्ति को मात्र जनता की ओर 'नीचे' स्थानांतरित नहीं किया है, बल्कि उसे डेटा-आधारित केंद्रीय नोड्स के भीतर 'अंतर्निहित' रूप से पुन: केंद्रीकृत कर दिया है। जैसे-जैसे हम वर्ष 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि **'जवाबदेह विवेकाधिकार'** बना रहे, जहाँ तकनीक मानवीय संवेदना को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसकी सहायता करे—यही एक लोकतांत्रिक राज्य की पहचान होनी चाहिये। **'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'** का लक्ष्य **न्यूनतम विवेकाधिकार'** की ओर नहीं ले जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्नः भारत की विदेश नीति तेज़ी से वैचारिक जुड़ाव के बजाय व्यावहारिक जुड़ाव द्वारा आकार ले रही है। विश्लेषण कीजिये कि यह दृष्टिकोण प्रमुख शक्तियों और क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोणः

- उत्तर की शुरुआत भारत की विदेश नीति में नैतिक संकोच से हटकर रणनीतिक यथार्थवाद की ओर हुए बदलाव को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि इस बदलाव ने प्रमुख शक्तियों के साथ-साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित किया है।
- इसके बाद इस नए दृष्टिकोण से जुड़े लाभों और कमज़ोरियों का विश्लेषण कीजिये।
- अंत में, व्यावहारिक सहभागिता को और सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

'बहु-संकटों' और खंडित बहुपक्षवाद के इस दौर में भारत की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्षता की नैतिक संकोचपूर्ण प्रवृत्ति से आगे बढ़ते हुए बहु-संरेखण के रणनीतिक यथार्थवाद को अपनाया है। **भारत ने स्वयं को एक 'विश्व बंधु' के रूप में सुदृढ़ रूप से स्थापित किया है।**

मुख्य भागः

प्रभावः

- **प्रमुख शक्तियों के साथ सहभागिताः**
  - अब भारत के प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध किसी स्थायी सैन्य या वैचारिक गठबंधन पर नहीं, बल्कि **मुद्दा-आधारित सामंजस्य** पर आधारित हैं, जिससे **वह प्रतिस्पर्द्धी गुटों के साथ भी एक साथ संवाद और सहयोग कर सकता है।**
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका (लेन-देन आधारित साझेदारी):** वर्ष 2026 वह मोड़ दर्शाता है जब आर्थिक घर्षण को रणनीतिक आवश्यकता के साथ संतुलित किया गया।
    - **फरवरी 2026 के भारत-अमेरिका व्यापार समझौते, जिसके तहत शुल्क घटाकर 18% किया गया** और बदले में **500 अरब डॉलर** की ऊर्जा व प्रौद्योगिकी प्रतिबद्धता मिली, यह दिखाता है कि भारत विनिर्माण क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिये ऊर्जा संबंधी रियायतें (रूसी तेल आयात में कमी) देने को तैयार है।
  - **रूस (महाद्वीपीय स्थिरकर्त्ता):** पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपनी **"विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी"** बनाए हुए है।
    - यह एक व्यावहारिक संतुलनकारी रणनीति है, ताकि चीन-रूस के **'असीमित' (नो-लिमिट्स) गठबंधन** को पूरी तरह आकार लेने से रोका जा सके, जिसे भारत अपनी सबसे बड़ी महाद्वीपीय रणनीतिक चुनौती मानता है।
  - **चीन (नियंत्रित प्रतिस्पर्द्धा):** वर्ष 2024 के बाद तनाव-न्यूनन के पश्चात भारत 'शीत शांति' (Cold Peace) की नीति अपना रहा है जिसमें सतर्क आर्थिक पुनर्संपर्क (जैसे 2025 में चीन द्वारा उर्वरकों और टनल-बोरिंग मशीनों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील) के साथ-साथ **चीन की 'ग्रे ज़ोन' रणनीतियों** का मुकाबला करने हेतु उच्च सैन्य तत्परता बनाए रखना शामिल है।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समूहों के साथ सहभागिता**
  - **अनुकूल बहुपक्षवाद और मुद्दा-आधारित भागीदारी:** भारत क्षेत्रीय समूहों के साथ गुटीय राजनीति के बजाय अपने व्यावहारिक हितों के आधार पर चयनात्मक रूप से जुड़ता है।
    - **चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद** (समुद्री सुरक्षा) और BRICS (विकास वित्त) दोनों में सक्रिय भागीदारी व्यावहारिक बहुपक्षवाद को दर्शाती है।
  - **क्षेत्रीय नेतृत्व की सुदृढ़ भूमिका:** व्यावहारिक सहभागिता ने भारत की छवि को अपने पड़ोस और विस्तारित क्षेत्रों में एक विश्वसनीय तथा गैर-बलप्रयोगी भागीदार के रूप में मज़बूत किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हिंद महासागर क्षेत्र में **विकास सहयोग, आपदा प्रबंधन और संस्थागत क्षमता निर्माण** के साथ-साथ '**ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि**' के रूप में भारत की भूमिका उसके नेतृत्व को वैचारिक दायरों से ऊपर उठाकर मज़बूत करती है।
- **वैश्विक नियम-निर्धारण में अधिक प्रभाव:** विविध मंचों पर सहभागिता भारत को **व्यापार, जलवायु और विकास** से जुड़े वैश्विक मानकों को प्रभावित करने का अवसर देती है।
  - **यूरोपीय संघ और G20** के साथ जुड़ाव से **आपूर्ति शृंखलाओं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जलवायु वित्त** जैसे विषयों पर वैश्विक बहसों को दिशा देने में भारत सक्षम हुआ है।

विश्लेषण: लाभ और कमज़ोरियाँ

विशेषता	व्यावहारिक परिणाम	संबद्ध जोखिम
रणनीतिक स्वायत्तता	**रूस से S-400** प्रणाली खरीदते हुए अमेरिका के साथ **GE-F414** जेट इंजन सौदों पर हस्ताक्षर करने की क्षमता।	इससे "दोनों पक्षों को नाराज़ करने" का खतरा रहता है—अमेरिका रूसी संबंधों के कारण CAATSA जैसे प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि पश्चिम के साथ बढ़ती निकटता के चलते रूस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीमित कर सकता है।
आर्थिक कूटनीति	चीन पर निर्भरता घटाने के लिये **मुक्त व्यापार समझौतों** (FTA) को तेज़ी से आगे बढ़ाना (जैसे हालिया EU के साथ समझौते)।	अत्यधिक तीव्र उदारीकरण से व्यापार घाटा बढ़ सकता है यदि घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी न बन पाए। भारत की FTA उपयोग दर अभी केवल लगभग **25%** है।
ग्लोबल साउथ में नेतृत्व	वैश्विक विकास समझौते (**तीसरा VOGSS, 2025**) का समर्थन करते हुए भारत को चीन की '**ऋण-जाल**' **कूटनीति** के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना।	हालाँकि, भारत के पास **G7 या चीन जैसी विशाल पूंजीगत क्षमता नहीं है,** जिससे कूटनीतिक वक्तव्यों और परियोजना क्रियान्वयन के बीच '**प्रदर्शन अंतर' का जोखिम** बना रहता है।
बहुपक्षीय संतुलन	वर्ष 2026 में **BRICS की अध्यक्षता** सँभालते हुए साथ-साथ **हिंद महासागर क्षेत्र में Quad के समुद्री सुरक्षा अभ्यासों** को गहरा करना।	इससे '**फेंस-सिटर' (बीच का रुख अपनाने वाला)** कहे जाने और अत्यंत संवेदनशील '**आंतरिक-घेरा**' खुफिया साझाकरण (**जैसे AUKUS**) से बाहर रखे जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

व्यावहारिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उपाय

- **स्पष्ट रणनीतिक संप्रेषण:** भारत को निरंतर यह स्पष्ट करना चाहिये कि उसका बहु-संरेखण राष्ट्रीय हितों पर आधारित एक सोची-समझी रणनीति है, **न कि किसी प्रकार की अस्पष्टता।**
  - पारदर्शी संवाद विश्वसनीयता बढ़ाता है और **साझेदार देशों की अपेक्षाओं को संतुलित करने में सहायता करता है।**
- **आर्थिक कूटनीति को गहराई देना:** व्यापार समझौतों, सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाओं और निवेश साझेदारियों के माध्यम से आर्थिक जुड़ाव को कूटनीति का आधार बनाया जाना चाहिये।
  - आर्थिक परस्परनिर्भरता रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करती है। **FTA, अवसंरचना सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी दीर्घकालिक संबंधों को आधार प्रदान कर सकती हैं।**
- **मुद्दा-आधारित गठबंधन निर्माण:** वैश्विक चुनौतियों पर गठबंधनों का नेतृत्व या सह-नेतृत्व करने से भारत कठोर गुटीयता के बिना परिणामों को दिशा दे सकता है।
  - **जलवायु कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सुरक्षा और आपदा-अनुकूलन** जैसे क्षेत्र उच्च सामंजस्य की संभावनाएँ रखते हैं।
- **नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सशक्त बनाना: दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत में सतत विकास, संपर्क-विस्तार और क्षमता निर्माण** भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को मज़बूत करते हैं। एक स्थिर पड़ोस रणनीतिक स्वायत्तता को और सुदृढ़ करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संस्थागत क्षमता में वृद्धि: कूटनीतिक सेवा, व्यापार विशेषज्ञता और रणनीतिक योजना संस्थानों** को मज़बूत करना आवश्यक है, ताकि विदेश नीति के उद्देश्यों तथा घरेलू क्षमताओं के बीच सामंजस्य बना रहे।
  - **समेकित नीति-निर्माण व्यावहारिक सहभागिता में निरंतरता और प्रभावशीलता बढ़ाता है।**

निष्कर्ष:

भारत की विदेश नीति में व्यावहारिकता एक **खंडित, बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता की परिपक्व खोज को दर्शाती है।** वैचारिक गुटबंदी के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर भारत अपनी **अनुकूलन क्षमता, सहनशीलता और वैश्विक प्रासंगिकता** को सुदृढ़ करता है। आगे की प्रमुख चुनौती इस व्यावहारिक सहभागिता को सतत आर्थिक शक्ति, क्षेत्रीय नेतृत्व और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव में परिवर्तित करने की होगी।

प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच सुदृढ़ होता रणनीतिक सहयोग अपनी स्वायत्तता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है। विश्व के बदलते समीकरणों के बीच, इस दोहरी नीति का आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव होता है, इसका विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अमेरिका के साथ हाल ही में हुए अंतरिम समझौते पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ बढ़ते रणनीतिक सहयोग का विस्तार से वर्णन कीजिये।
- बदलती भू-राजनीति के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर इसके प्रभाव का आकलन कीजिये।
- आपसी मतभेदों या तनाव को कम करने के उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच **फरवरी 2026 का हालिया 'अंतरिम व्यापार ढाँचा'** द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है। इसका उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ विवादों को सुलझाना और **'मिशन 500' (वर्ष 2030 तक 500 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य)** की दिशा में आगे बढ़ना है।

- यह विकास इस साझेदारी के एक परिपक्व चरण को दर्शाता है: एक ऐसा चरण जो गहरे **रणनीतिक अभिसरण** से परिभाषित है, फिर भी भारत की दृढ़ **रणनीतिक स्वायत्तता** से बँधा हुआ है।
- निकटता से सहयोग करने और साथ ही अपना स्वतंत्र मार्ग प्रशस्त करने की यह दोहरी प्रकृति, बदलती भू-राजनीति के बीच एक जटिल लेकिन अनुकूल संबंध ढाँचा तैयार करती है।

मुख्य भाग:

संवर्द्धित रणनीतिक सहयोग: अभिसरण

- **आर्थिक एकीकरण (वर्ष 2026 का बदलाव):** हालिया अंतरिम समझौता अतीत के गतिरोध से आगे बढ़ने का संकेत है।
  - **'पारस्परिक टैरिफ' (Reciprocal Tariffs) और कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के लिये बाज़ार पहुँच के मुद्दों को सुलझाकर,** दोनों राष्ट्र अपनी **आपूर्ति शृंखलाओं** को एकीकृत कर रहे हैं।
- **रक्षा और प्रौद्योगिकी ('iCET' आधार स्तंभ): 'महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल' (iCET)** अब इस रिश्ते का केंद्रीय स्तंभ बन गई है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को **'क्रेता-विक्रेता'** के पुराने ढर्रे से बदलकर **'सह-उत्पादक'** के रूप में मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है।
  - **जेट इंजन: तेजस Mk2 के लिये भारत में F414 इंजन बनाने हेतु GE एयरोस्पेस** और **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)** के बीच जून 2023 में हुआ समझौता एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसने पश्चिम द्वारा दशकों से अपनाई गई **'प्रौद्योगिकी निषेध'** की नीति को समाप्त कर दिया है।
  - **रक्षा नवाचार: INDUS-X** जैसे मंच अमेरिकी तकनीकी स्टार्टअप्स और भारत की रक्षा आवश्यकताओं के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं।
  - **अंतरिक्ष: आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords)** पर भारत के हस्ताक्षर इसके अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों को अमेरिका के नेतृत्व वाले समूह के साथ जोड़ते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **AI और महत्त्वपूर्ण खनिज:** भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन '**पैक्स सिलिका**' (Pax Silica) में शामिल होने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण खनिजों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिये एक अनुकूल और सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला का निर्माण करना है।
- **भू-राजनीतिक संरेखण:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिये '**क्वाड**' (**भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया**) मुख्य माध्यम बना हुआ है, जो चीनी संशोधनवाद के विरुद्ध एक '**स्वतंत्र और मुक्त**' व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

रणनीतिक स्वायत्तता: 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण

अमेरिका के साथ इतनी निकटता के बावजूद, भारत पश्चिमी अर्थों में एक औपचारिक 'सहयोगी' (Ally) बनने से इनकार करता है और 'बहु-संरेखण' के माध्यम से अपनी स्वायत्तता बनाए रखता है।

- **रूस कारक:** भले ही भारत रक्षा आयात में विविधता ला रहा है, लेकिन वह रूस के साथ अपने गहरे पुराने संबंधों (जैसे **S-400 प्रणाली**) को बरकरार रखे हुए है।
  - जहाँ अमेरिका '**डिकपलिंग**' (**संबंध विच्छेद**) के लिये दबाव डालता है, वहीं भारत अपनी महाद्वीपीय सुरक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं (**रियायती तेल**) को प्राथमिकता देता है। भारत इसे '**पश्चिम-विरोधी**' होने के बजाय '**राष्ट्रीय हित**' के रूप में प्रस्तुत करता है।
- **ग्लोबल साउथ का नेतृत्व:** भारत स्वयं को '**वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ**' (जैसे G20 अध्यक्षता, 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन) के रूप में स्थापित करता है। वह प्रायः जलवायु न्याय या WTO के नियमों पर ऐसे स्टैंड लेता है जो अमेरिकी रुख से भिन्न होते हैं।
- **रणनीतिक हेजिंग:** वाशिंगटन पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिये भारत अन्य शक्तियों जैसे **फ्राँस** (रक्षा), **जापान** (बुनियादी ढाँचा) के साथ संबंध गहरे कर रहा है और मध्य पूर्व (IMEC - **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा**) में सक्रिय भागीदारी कर रहा है।

यह द्वैत संबंधों को कैसे प्रभावित करता है

सहयोग और स्वायत्तता का परस्पर संबंध ऐसा रिश्ता निर्मित करता है जो क्षमताओं के स्तर पर उच्च-विश्वासयुक्त है, लेकिन नीतिगत स्तर पर लेन–देनात्मक बना रहता है।

आयाम	द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव
भू-राजनीति (चीन कारक)	**स्थिरक:** अमेरिका भारत की स्वायत्तता को स्वीकार करता है (जैसे कि **CAATSA प्रतिबंधों से छूट** देना), क्योंकि भारत चीन के विरुद्ध एक **अपरिहार्य प्रतिसंतुलन** है। **यहाँ 'समान खतरा' (चीन) 'मतभेद वाली नीतियों' पर भारी पड़ता है।**
व्यापार एवं अर्थव्यवस्था	**तनाव का बिंदु: स्वायत्तता प्रायः संरक्षणवाद (आत्मनिर्भरता) के रूप में प्रकट होती है।** अमेरिका भारत के शुल्क (टैरिफ) और डेटा स्थानीयकरण कानूनों की आलोचना करता है, जिससे लेन–देनात्मक विवाद उत्पन्न होते हैं (जिनका आंशिक समाधान 2026 के समझौते से हुआ)।
मूल्य एवं लोकतंत्र	**कंटक (Irritant):** अमेरिकी नागरिक समाज और विधायकों द्वारा कभी-कभी मानवाधिकारों या प्रेस स्वतंत्रता पर आलोचना की जाती है। स्वायत्तता के मुद्दे पर भारत के सख्त रुख से कूटनीतिक संबंधों में कभी-कभी ठहराव आता है, भले ही कार्यपालिका स्तर पर सहयोग जारी रहता है।
संकट प्रतिक्रिया	**चयनात्मक संरेखण:** वैश्विक संकटों (जैसे— **यूक्रेन, गाज़ा**) में भारत स्वतः अमेरिका के साथ नहीं जुड़ता, बल्कि संतुलित मध्य मार्ग अपनाता है। इससे एशिया से इतर क्षेत्रों में भारत को '**फोर्स मल्टीप्लायर**' के रूप में प्रयोग करने की अमेरिकी क्षमता सीमित रहती है।

तनाव को नियंत्रित करने के उपाय

- **विषयगत सीमांकन:** व्यापार **विवाद या मानवाधिकार** जैसे मुद्दों को मुख्य रणनीतिक स्तंभों (रक्षा एवं प्रौद्योगिकी) से

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

'फायरवॉल' किया जाना चाहिये। वर्ष 2026 का अंतरिम समझौता इसका सफल उदाहरण है।

- **भिन्न मतों का संस्थानीकरण:** नियमित संवाद मंचों (जैसे—2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता) में असहमतियों (उदाहरण—रूस या ईरान पर दृष्टिकोण) के लिये स्पष्ट स्थान निर्धारित किया जाए, ताकि वे साझेदारी को **अचानक प्रभावित न करें** और **उनकी निरंतरता में व्यवधान न डालें**।
- **जन संपर्क को गहरा करना:** भारतीय प्रवासी समुदाय एक 'जीवंत सेतु' के रूप में कार्य करता है। वीज़ा व्यवस्थाओं को सरल बनाना (जैसे—H-1B सुधार) संबंधों को राजनीतिक उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रख सकता है।
- **बिक्री के बजाय सह-विकास:** हथियार 'बेचने' से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी के 'सह-विकास' (रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के अनुरूप) पर ज़ोर देने से ऐसी परस्पर निर्भरता बनती है, जो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद टिकाऊ रहती है।

निष्कर्ष

भारत का अमेरिका के साथ जुड़ाव अब 'गुटनिरपेक्षता' का नहीं, बल्कि 'रणनीतिक सौदेबाज़ी' का रूप ले चुका है। हालिया अंतरिम समझौता यह सिद्ध करता है कि जहाँ भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा, वहीं अपने उदय को सुनिश्चित करने के लिये वह आवश्यक **सामरिक समायोजन** करने को तैयार है।

प्रश्न: "परिवर्तनशील वैश्विक शक्ति संतुलन के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक शासन संस्थाओं के सुधार हेतु भारत की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।" (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वैश्विक शक्ति संरचना में हाल ही में आए परिवर्तनों को उजागर करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में भारत द्वारा वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार के लिये किये गए योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिये।
- इसके बाद, यह बताइये कि आगे किन प्रयासों की आवश्यकता है।
- अंत में तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आधुनिक वैश्विक शक्ति संरचना तेज़ी से **पश्चिमी प्रभुत्व वाली एकध्रुवीयता से बहुध्रुवीय विश्व क्रम** में परिवर्तित हो रही है, जिसका मुख्य कारण **ग्लोबल साउथ की आर्थिक प्रगति और बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धाएँ** हैं।

- इस बदलते परिदृश्य में **भारत एक महत्त्वपूर्ण सेतु-निर्माता और सुधारकारी समर्थक** के रूप में उभरा है, जो वैश्विक शासन में लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करने के लिये गहन स्थापित प्रणालीगत विशेषाधिकारों को चुनौती देता है।

मुख्य भाग:

वैश्विक शासन संस्थाओं के सुधार में भारत का योगदान:

- **ग्लोबल साउथ की आवाज़/voice को दृढ़ता देना:** भारत ने **विकासशील देशों** की प्राथमिकताओं को समेकित करने के लिये **वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन** जैसे मंचों को सक्रिय रूप से संस्थागत किया है।
  - इसके तहत 2023 में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत की सबसे प्रमुख उपलब्धि **अफ्रीकी संघ (African Union) के लिये स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करना** रही, जिसने दुनिया के प्रमुख आर्थिक मंच में जनसांख्यिकीय और भौगोलिक प्रतिनिधित्व को मूल रूप से बदल दिया।
- **बहुपक्षीय संस्थागत सुधारों का नेतृत्व:** G4 समूह में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत निरंतर **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विस्तार** के लिये प्रयास करता रहा है, ताकि यह आधुनिक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो सके।
  - साथ ही भारत **IMF के भीतर कोटा पुनर्वितरण में समानता** की मांग करता है, ताकि मतदान अधिकार उभरते बाज़ारों के वर्तमान आर्थिक भार के अनुरूप हों।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) कूटनीति में अग्रणी भूमिका:** पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़ते हुए, भारत ने अपने सफल DPI मॉडलों **(जैसे UPI और Aadhaar)** को वैश्वीकृत किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

  - **ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी** लॉन्च करके, भारत विकासशील देशों को **स्केलेबल, पारदर्शी और लोकतांत्रिक शासन समाधान** प्रदान करता है और एकाधिकारवादी तकनीकी परिदृश्यों को चुनौती देता है।
- **जलवायु कार्रवाई और सतत वित्त को बढ़ावा देना:** भारत ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई के शासन को पश्चिमी निर्देशों से विकासशील राष्ट्रों द्वारा संचालित साझेदारी की ओर स्थानांतरित किया है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (ISA) और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI)** की सह-स्थापना के माध्यम से भारत ने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाया है।
- **समान बहुपक्षीय व्यापार का समर्थन: विश्व व्यापार संगठन** (WTO) में भारत लगातार **'विशेष और भिन्न व्यवहार'** (Special and Differential Treatment) सिद्धांत का बचाव करता है।
  - यह ग्लोबल नॉर्थ की **संरक्षणवादी नीतियों के विरुद्ध एक ढाल** के रूप में कार्य करता है, खाद्य सुरक्षा के लिये कृषि सब्सिडी की सुरक्षा हेतु सक्रिय रूप से वार्ता करता है और वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में **बौद्धिक संपदा (IP) छूट** का समर्थन करता है।
- **वैकल्पिक वित्तीय संरचनाओं को बढ़ावा देना:** भारी शर्तों वाले ब्रेटन वुड्स संस्थानों पर निर्भरता को कम करने के लिये भारत ने **BRICS ढाँचे के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना में नींव की भूमिका निभाई।**
  - इस योगदान से एक **अधिक बहुलवादी वैश्विक वित्तीय संरचना** विकसित होती है, जो **ऋण-जाल वाली शर्तों के बिना रियायती वित्त** प्रदान करती है।

महत्त्वाकांक्षा से क्रियान्वयन की ओर: सुधार का ब्लूप्रिंट

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 'टेक्स्ट-आधारित वार्ताओं' को आगे बढ़ाना:** भारत को सामान्य वक्तव्यों से आगे बढ़कर **सुरक्षा परिषद सुधार के लिये एक विशिष्ट, लिखित प्रारूप (ड्राफ्ट)** की मांग करते रहना चाहिये, ताकि **'इंटर-गवर्नमेंटल नेगोशिएशन्स (IGN)'** एक अंतहीन विचार-विमर्श मंच बनकर न रह जाए।
  - यह कदम P5 देशों को अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करेगा, जिससे **'वीटो-जनित गतिरोध'** विश्व के सामने पारदर्शी हो सके।
- **WTO के विवाद निपटान तंत्र के सुधार में नेतृत्व:** महाशक्ति राजनीति के चलते WTO के अपीलीय निकाय के निष्क्रिय होने की पृष्ठभूमि में, **भारत को विवाद निपटान तंत्र की पुनर्स्थापना हेतु सक्रिय भूमिका निभाते हुए सहमति-आधारित संस्थागत ढाँचे प्रस्तावित करने चाहिये, जिससे बढ़ती वैश्विक संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का प्रभावी सामना किया जा सके।**
- **उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये वैश्विक मानदंडों का निर्माण:** भारत को **'नियमों का पालन करने वाले'** से पूर्णतः **'नियमों का निर्माण करने वाले'** देश के रूप में रूपांतरित होना होगा। इसके लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर स्पेस शासन और बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण** हेतु वैश्विक नियामक मानकों के निर्माण में उसे दृढ़, आधारभूत और नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिये।
- **वैश्विक विकास समझौते का विस्तार:** प्रतिद्वंद्वी शक्तियों की दबावपूर्ण और अपारदर्शी आर्थिक कूटनीति का सामना करने के लिये भारत को अपनी विकास वित्त पहलों का व्यापक विस्तार करना होगा, **विशेषकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित तथा मांग-प्रेरित क्षमता-निर्माण के माध्यम से।**
- **एजाइल/त्वरित बहुपक्षीय सहभागिताओं को सुदृढ़ करना:** ऐसी विश्व व्यवस्था में जहाँ सार्वभौमिक सहमति प्राप्त करना लगातार कठिन होता जा रहा है, भारत को **मध्यम शक्तियों के गठबंधनों (जैसे- क्वाड, I2U2 और विस्तारित ब्रिक्स) को मज़बूत कर अनुकूलनशील 'मिनी-लेटरल' समस्या-समाधान मंच** विकसित करने चाहिये, जो गतिरोधग्रस्त वैश्विक नौकरशाही तंत्रों को दरकिनार कर प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकें।

निष्कर्ष:

वैश्विक शासन में सुधार हेतु भारत का **प्रयास केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन नहीं है**, बल्कि **विकासशील विश्व**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

के लिये **न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की एक संरचनात्मक आवश्यकता** है। मानव-केंद्रित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से साकार करने के लिये **भारत को आंतरिक क्षमता-निर्माण को निरंतर आगे बढ़ाते हुए महान शक्तियों की प्रतिद्वंद्विताओं के बीच रणनीतिक स्वायत्तता** के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा।

प्रश्न: बहुध्रुवीय विश्व में भारत-फ्रांँस साझेदारी ने किस सीमा तक भारत को अपनी रणनीतिक और तकनीकी निर्भरताओं में विविधता लाने में सहायता की है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की भूमिका में मैक्रों की हालिया भारत यात्रा को रेखांकित कीजिये।
- मुख्य भाग में यह विस्तार से स्पष्ट कीजिये कि इस सामरिक साझेदारी ने भारत को अपनी रणनीतिक और तकनीकी निर्भरताओं के विविधीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की है।
- इसके पश्चात इसमें निहित सीमाओं का उल्लेख कीजिये।
- अंत में इस साझेदारी को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

परिचय

भारत-फ्रांँस साझेदारी भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** के एक आधारस्तंभ के रूप में उभरी है। **फरवरी 2026** में फ्रांँसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ दोनों देशों के संबंधों को **'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी'** के स्तर तक पहुँचाया गया। इसने **'होराइजन 2047 रोडमैप'** के माध्यम से एक स्थिर और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण को और अधिक मज़बूती दी है।

मुख्य भाग:

रणनीतिक निर्भरताओं का विविधीकरण

फ्रांँस भारत के लिये पारंपरिक शक्ति-गठबंधनों का एक 'विश्वसनीय विकल्प' प्रदान करता है, जिससे भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों में संतुलन स्थापित कर पाता है।

- **हिंद-प्रशांत 'निवासी शक्ति' तालमेल:** एक 'निवासी शक्ति' के रूप में **(रीयूनियन जैसे अपने क्षेत्रों के माध्यम से),** फ्रांँस भारत को समुद्री सुरक्षा के लिये एक गैर-अमेरिकी भागीदार प्रदान करता है। इसका उदाहरण **संयुक्त गश्त** और **'वरुण'** जैसे युद्धाभ्यास हैं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता और 'मध्यम शक्ति' कूटनीति:** फ्रांँस के साथ जुड़कर, भारत अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच किसी एक को चुनने की मजबूरी से बचता है। यह एक **'तीसरे मार्ग'** को प्रस्तुत करता है जो संप्रभु समानता और नियम-आधारित व्यवस्था पर ज़ोर देता है।
- **रक्षा खरीद में जोखिम कम करना:** फ्रांँस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्त्ता बन गया है। **राफेल-मरीन** सौदे और **P-75 स्कॉर्पीन पनडुब्बी परियोजना** को अंतिम रूप देने से रूसी हार्डवेयर पर भारत की ऐतिहासिक निर्भरता कम हुई है।
- **वैश्विक शासन और बहुपक्षीय समर्थन:** फ्रांँस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का वह स्थायी सदस्य है जो भारत की स्थायी सीट का सबसे मुखर समर्थक है। इसके साथ ही दोनों देश **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** जैसे अभियानों का सह-नेतृत्व करते हुए ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं।

तकनीकी निर्भरता का विविधीकरण

यह साझेदारी अब **'क्रेता-विक्रेता'** मॉडल से बदलकर **सह-विकास** और **उच्च-तकनीकी संप्रभुता** के मॉडल में परिवर्तित हो गई है।

- **रक्षा औद्योगिक 'मेक इन इंडिया':** कर्नाटक में **टाटा-एयरबस H125** की 'फाइनल असेंबली लाइन' का उद्घाटन और **HAMMER मिसाइलों** के लिये **BEL-Safran** का संयुक्त उद्यम (JV), महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों के स्वदेशी निर्माण की दिशा में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **नागरिक परमाणु ऊर्जा अनुकूलन:** जैतापुर परियोजना के अलावा, भारत और **फ्रांँस** अब **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)** और **एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स** पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसे भारत के हालिया परमाणु क्षेत्र सुधारों, जैसे **SHANTI अधिनियम 2025** का समर्थन प्राप्त है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संप्रभु AI और डिजिटल गवर्नेंस:** AI इम्पैक्ट समिट 2026 के माध्यम से दोनों राष्ट्र मिलकर 'नैतिक AI ढाँचे' का निर्माण कर रहे हैं। यह अमेरिका के निजी-क्षेत्र के प्रभुत्व और चीन के राज्य-आधारित मॉडल के बीच एक '**तीसरा मार्ग**' प्रदान करता है।
- **अंतरिक्ष और अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ:** ISRO-CNES का पुराना बंधन अब TRISHNA जैसे संयुक्त मिशनों और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता एवं उपग्रह-आधारित AI अनुप्रयोगों में '**डीप-टेक' सहयोग** के रूप में परिपक्व हो चुका है।

सीमाएँ और संरचनात्मक चुनौतियाँ

इस गति के बावजूद, कई ऐसे घर्षण बिंदु मौजूद हैं जो पूर्ण एकीकरण में बाधा बन सकते हैं।

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) की गहराई:** हालाँकि फ्रांस अन्य देशों की तुलना में अधिक उदार है, लेकिन कई मुख्य प्रौद्योगिकियों का '**ब्लैक बॉक्स' (अति-गोपनीय हिस्सा)** प्राय: फ्राँसीसी राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के कारण प्रतिबंधित रहता है।
- **असमतल व्यापारिक संरचना:** द्विपक्षीय व्यापार, जो **$15 बिलियन** तक बढ़ गया है, अभी भी मुख्य रूप से रक्षा और एयरोस्पेस की ओर झुका हुआ है। **कृषि या उपभोक्ता वस्तुओं** जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण सीमित है।
- **नियामक बाधाएँ:** डेटा संप्रभुता पर अलग-अलग विचारधाराएँ (जैसे भारत का **DPDP अधिनियम** बनाम यूरोपीय संघ का GDPR) नए '**इनोवेशन नेटवर्क**' के भीतर स्टार्टअप्स के लिये अनुपालन लागत को बढ़ाती हैं।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** चीन के साथ फ्राँस का गहरा आर्थिक जुड़ाव और पश्चिम एशियाई संघर्षों पर अलग-अलग दृष्टिकोण कभी-कभी राजनयिक तनाव का कारण बन सकते हैं।

साझेदारी को सुदृढ़ करने के उपाय

- **एयरो-इंजन स्वायत्तता:** सफरान के साथ **110 kN इंजन** के सह-विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए, ताकि भारत के भावी लड़ाकू विमान (AMCA) वास्तव में स्वदेशी बन सकें।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाएँ:** महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग हेतु जारी संयुक्त अभिप्राय घोषणा को ठोस रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिये, ताकि भारत के EV तथा सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिये आवश्यक दुर्लभ मृदा तत्त्वों की विश्वसनीय और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- **'टेक-डिप्लोमेसी' को गहन बनाना:** संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी विकास समूह को संस्थागत रूप दिया जाए और इसमें दोनों देशों की निजी क्षेत्र की तकनीकी दिग्गज कंपनियों को भी शामिल किया जाए, ताकि संबंध केवल सरकार-से-सरकार (G2G) तक सीमित न रहें।
- **SME एकीकरण:** भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को एयरोस्पेस और समुद्री क्षेत्रों में फ्राँसीसी वैश्विक आपूर्ति शृंखला से जोड़ा जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रौद्योगिकी का अवशोषण सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

काफी हद तक **भारत-फ्राँस साझेदारी ने भारत की सामरिक स्थिति को पुनर्परिभाषित किया है, जिससे वह 'निर्भरता' से 'परस्पर निर्भरता' की ओर अग्रसर हुआ है।** यद्यपि आर्थिक स्तंभ अभी परिपक्वता की प्रक्रिया में है, फिर भी इस संबंध ने भारत को केवल एक क्रेता के बजाय एक संप्रभु सह-उत्पादक के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'पेरिस–नई दिल्ली धुरी' (Paris–New Delhi axis) भारत की वैश्विक आकांक्षाओं के लिये एक स्थिर और विश्वसनीय आधार-स्तंभ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न: तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद, संरचनात्मक असमानताएँ भारत में समावेशी विकास को सीमित करती रहती हैं। समावेशिता में बाधक प्रमुख अवरोधों पर चर्चा कीजिये तथा उन्हें दूर करने में हाल की नीतिगत पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत अर्थव्यवस्था में हाल के विकास को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में समावेशी विकास प्राप्त करने में प्रमुख बाधाओं का विवरण दीजिये।
- इस संदर्भ में हाल ही में लागू प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों का आकलन कीजिये।
- समावेशी विकास को सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाएँ।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्तमान समय में भारत विश्व स्तर पर उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जो अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसकी वृद्धि दर मज़बूत है। हालाँकि, यह समग्र आर्थिक सफलता प्राय: **'K-आकार की'** वसूली को छिपा देती है, जहाँ संरचनात्मक असमानताएँ संपत्ति सृजन के लाभों को पिरामिड के निचले स्तर तक पहुँचने से रोकती हैं।

मुख्य भाग:

समावेशी विकास में प्रमुख बाधाएँ

- **आय असमानता:** विकास के बावजूद आय का वितरण असमान बना हुआ है। **शीर्ष 10% कमाने वालों के पास लगभग 58% राष्ट्रीय आय है,** जबकि निचले 50% के पास केवल लगभग 15% आय है, जो यह दर्शाता है कि विकास के लाभ किसे मिलते हैं इसमें गहरी आर्थिक असमानताएँ मौजूद हैं।
- **स्थायी जाति और सामाजिक पदानुक्रम:** जाति आधारित भेदभाव अब भी अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण रोज़गार** तक पहुँच को सीमित करता है, जिससे संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंचना बनी रहती है। सामाजिक बहिष्कार विकास को ऊँची सामाजिक गतिशीलता में बदलने की क्षमता को कमज़ोर करता है।
  - NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, **जनजातीय बच्चों में 40.9% कुपोषण पाया गया,** जो पोषण और स्वास्थ्य असमानता की निरंतरता को दर्शाता है।
- **असमान क्षेत्रीय विकास:** सुधारों के बाद का विकास कुछ तटीय और औद्योगिक राज्यों तक केंद्रित रहा है, जबकि पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र कम उत्पादकता और कमज़ोर बुनियादी ढाँचे के कारण पीछे छूट गए हैं। यह क्षेत्रीय असंतुलन संकटग्रस्त प्रवासन और शहरी भीड़भाड़ को बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण के लिये, **बिहार का प्रति व्यक्ति NSDP तमिलनाडु** की तुलना में काफी कम है, जो गहरी क्षेत्रीय आय असमानताओं को दर्शाता है।
- **अनौपचारिकरण और बेरोज़गार विकास:** भारत की विकास यात्रा पूंजी-प्रधान रही, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले रोज़गार उपलब्ध नहीं हुए और श्रमिक अनौपचारिक एवं असुरक्षित रोज़गार की ओर प्रवृत्त हुए।
  - **भारत में 85% से** अधिक श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, जिसमें संगठित क्षेत्र के भीतर भी बड़ी हिस्सेदारी शामिल है।
- **आर्थिक भागीदारी में लैंगिक असमानता:** महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अप्रत्याशित देखभाल के बोझ, सामाजिक मानदंडों और सुरक्षा चिंताओं के कारण सीमित रहती है, जिससे घरेलू आय तथा समग्र विकास क्षमता प्रभावित होती है।
  - PLFS 2023-24 के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 41.7% है। हालाँकि इसमें सुधार हुआ है, फिर भी यह पुरुष भागीदारी से कम है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हालिया प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन

- **सामाजिक सुरक्षा:** आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना) और वरिष्ठ नागरिकों के लिये विस्तार
  - **हस्तक्षेप:** निचले 40% नागरिकों को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना तथा हाल ही में इसे **70 वर्ष** और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक विस्तारित करना।
  - **प्रभावकारिता (उच्च प्रभाव/क्रियान्वयन अंतराल):** यह नीति वित्तीय सुरक्षा में अत्यधिक प्रभावी रही है, जिससे **व्यक्तिगत व्यय (OOPE) 62.6% (FY15) से घटकर 39.4% (FY22) हो गया है।**
  - **आलोचना:** 'पहुँच' का अर्थ 'गुणवत्ता' नहीं है। आपूर्ति-संबंधी सीमाओं के कारण लाभार्थियों को प्रायः निजी अस्पतालों द्वारा सेवा से इनकार किया जाता है या उन्हें रिश्वत देने के लिये मजबूर होना पड़ता है।
    - CAG ने इस योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख अनियमितताओं को भी उजागर किया है।
- **श्रम सुधार:** 4 श्रम संहिताएँ और गिग श्रमिकों के अधिकार
  - **हस्तक्षेप:** 29 श्रम कानूनों को 4 कोड में समेकित करना और गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान (2025 में लागू करने का प्रयास)।
  - **प्रभावकारिता (मध्यम/विकसित होती स्थिति):** यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसने पहली बार कानूनी रूप से 'गिग अर्थव्यवस्था' (Uber/Zomato श्रमिक) को मान्यता दी है। यह अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने का प्रयास करता है।
  - **आलोचना:** कार्यान्वयन राज्यों में विखंडित है। नियोक्ता स्थायी रोज़गार से बचने के लिये फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट का अधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे रोज़गार असुरक्षा बढ़ती है।
- **वित्तीय समावेशन: JAM त्रिमूर्ति और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)**
  - **हस्तक्षेप:** जन धन–आधार–मोबाइल (JAM) इकोसिस्टम के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)।
  - **प्रभावकारिता (अत्यंत उच्च दक्षता):** इसने लीकेज को प्रभावी ढंग से रोका, जिससे फर्जी लाभार्थियों को हटाकर खजाने में **₹3 लाख करोड़** से अधिक की बचत हुई। संकट के समय (जैसे COVID-19) में यह जीवन-रक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रहा।
  - **आलोचना:** तकनीकी विफलताओं (बायोमेट्रिक मेल न खाने) के कारण इसमें '**बहिष्कार त्रुटियाँ**' पाई जाती हैं।
    - इसके अलावा, वित्तीय समावेशन पूरी तरह से 'वित्तीय गहराई' में नहीं बदल पाया; कई खाते निष्क्रिय हैं या केवल सब्सिडी निकालने के लिये इस्तेमाल होते हैं, न कि क्रेडिट एक्सेस के लिये।
- **आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)**
  - **हालिया पहल:** जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-U और PMAY-G योजनाओं के तहत वर्ष 2029 तक 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की।
  - **प्रभावकारिता (उच्च दृश्यता):** यह सबसे बुनियादी संपत्ति की कमी को पूरा करता है। 'पक्का' घर का मालिक होना पीढ़ियों तक संपत्ति की स्थिरता और गरिमा को बढ़ाता है।
  - **आलोचना:** ध्यान **मात्रात्मक (यूनिट की संख्या)** पर है, **गुणात्मक (जीवनोपयोगिता)** पर नहीं। कई यूनिट्स जीवनयापन केंद्रों से दूर पेरिफेरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे कुछ शहरी क्षेत्रों में अधिभोग कम है।

समावेशी विकास को सुदृढ़ करने हेतु उपाय

- **निचले स्तर पर मानव पूंजी को सशक्त बनाना:** पिछड़े क्षेत्रों में प्रारंभिक बाल पोषण, बुनियादी शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना।
- **गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजन:** औद्योगिक, MSME और कौशल विकास नीतियों को श्रम-प्रधान, औपचारिक रोज़गार उत्पन्न करने के लिये समन्वित करना।
- **लैंगिक-संवेदनशील विकास नीतियाँ:** महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये **देखभाल अवसंरचना, सुरक्षा और अनुकूल कार्य विकल्पों** में निवेश करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **क्षेत्र-विशिष्ट विकास रणनीतियाँ:** समान योजनाओं से आगे बढ़कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेप तैयार करना।
- **राज्य क्षमता और जवाबदेही में सुधार:** अंतिम स्तर की **संस्थाओं और परिणाम** निगरानी को मज़बूत करें ताकि बहिष्कार को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

सुधारों के बाद भारत की विकास यात्रा ने अवसरों को बढ़ाया है, लेकिन गहरी संरचनात्मक असमानताएँ इसे पूरी तरह समावेशी बनने से रोकती हैं। हाल ही की नीतिगत पहलें प्रगति का संकेत देती हैं, लेकिन असमान राज्य क्षमता और कार्यान्वयन में अंतराल उनके प्रभाव को कम कर देते हैं। सच्चा समावेशी विकास तभी संभव होगा जब रोज़गार-प्रधान, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और मानव पूंजी-केंद्रित वृद्धि होगी, जो समृद्धि को सीमित रूप से केंद्रित करने के बजाय व्यापक रूप से फैलाए।

प्रश्न: "भारतीय कृषि अब भी अत्यधिक इनपुट-आधारित है और पर्यावरणीय दबावों से जूझ रही है।" जलवायु-अनुकूल और संधारणीय कृषि प्रणालियों की ओर बदलाव में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय कृषि में अस्थिर प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में उन चुनौतियों का उल्लेख कीजिये जो जलवायु-अनुकूल और संधारणीय कृषि की ओर बढ़ने में बाधा डालती हैं।
- इस संक्रमण को सुगम बनाने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय कृषि वर्तमान में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। जबकि **हरित क्रांति** ने भारत को **'भिक्षापात्र' से 'अन्न भंडार'** में बदल दिया, लेकिन यह उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYVs) की विशेषता है, जो **गहन सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की मांग** करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि **गंभीर पारिस्थितिक संकट की स्थिति** में पहुँच गई है।

- यद्यपि **जलवायु-अनुकूल और संधारणीय कृषि** की ओर संक्रमण की आवश्यकता अत्यंत तात्कालिक है, लेकिन यह परिवर्तन **गहन रूप से अंतर्निहित संरचनात्मक तथा नीतिगत अवरोधों** के कारण बाधित हो रहा है।

मुख्य भाग:

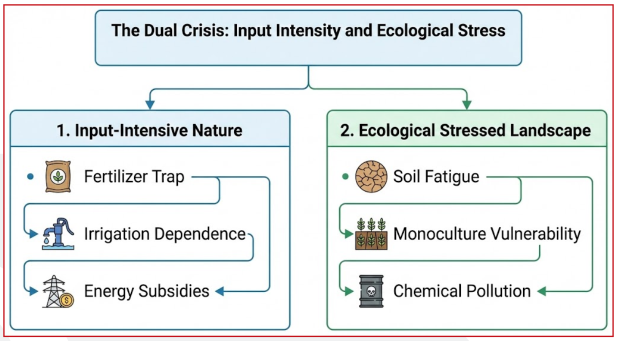

जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर संक्रमण में चुनौतियाँ

प्राकृतिक कृषि या क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर (CSA) जैसी सतत प्रणालियों की ओर संक्रमण, गहन रूप से अंतर्निहित **संरचनात्मक और व्यवहारगत बाधाओं** के कारण कठिन बना हुआ है।

- **'सब्सिडी का जाल' (Subsidy Lockdown):** वर्तमान नीतियाँ **रासायनिक आदानों (जैसे यूरिया) और पानी** पर भारी सब्सिडी देती हैं। ऐसे में किसानों के लिये उन जैविक विधियों को अपनाना आर्थिक रूप से तर्कहीन लगता है, जहाँ सब्सिडी बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है।
- **उपज को लेकर चिंता :** छोटे और सीमांत किसान **(जो कुल किसानों का लगभग 86% हैं)** इस बात से चिंतित रहते हैं कि **संधारणीय कृषि** की ओर संक्रमण की 3–5 वर्षों की अवधि में प्रारंभिक उपज में गिरावट आ सकती है, जिसे वे किसी सुरक्षा-जाल के बिना वहन नहीं कर सकते।
- **सूचना असमानता:** पारंपरिक **कृषि विस्तार सेवाएँ (कृषि विज्ञान केंद्र)** प्रायः कर्मियों की कमी से जूझती हैं या अब भी हरित क्रांति-कालीन तकनीकों पर केंद्रित हैं, बजाय पुनर्योजी कृषि पद्धतियों के।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विखंडित आपूर्ति शृंखलाएँ:** हालाँकि **'गंगा-ब्रांडेड'** जैविक कृषि क्षेत्र उभर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर **जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों (BRCs)** की कमी के कारण किसानों के लिये मानकीकृत जैविक इनपुट्स बड़े पैमाने पर प्राप्त करना कठिन है।
- **बाज़ार मूल्य अंतर:** संधारणीय कृषि उत्पादों को स्थानीय मंडियों में प्रायः कोई **'उचित' मूल्य नहीं मिल पाता** और प्रमाणन की कमी के कारण छोटे किसानों के लिये उच्च-मूल्य वाले निर्यात बाज़ारों तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है।

सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करने के उपाय

वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है, जब कृषि प्रणाली जितनी उत्पादक हो, उतनी ही हरित और पर्यावरण-संवेदनशील भी हो।

- **सब्सिडी का युक्तिकरण (PM-PRANAM):** PM-PRANAM योजना का विस्तार किया जाए, ताकि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जा सके। सब्सिडी से होने वाली बचत को **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से सीधे किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिये दिया जाए।
- **कृषि में 'iCET' का विस्तार:** कृषि के लिये **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसानों को **सटीक, समयबद्ध और स्थान-विशिष्ट कृषि परामर्श** उपलब्ध हो सके।
- **पुनर्योजी कृषि हब्स को बढ़ावा:** गाँव स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों (जैव-इनपुट संसाधन केंद्र—BRCs) की स्थापना की जाए, जो जीवामृत जैसे तैयार जैव-इनपुट्स उपलब्ध कराएँ, जिससे व्यक्तिगत किसानों पर श्रम का बोझ कम हो।
- **'पोषक अनाजों' (मोटे अनाज/मिलेट्स) पर फोकस:** अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष से उत्पन्न सकारात्मक गति का लाभ उठाते हुए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** और सरकारी खरीद की प्राथमिकता उन जलवायु-अनुकूल फसलों की ओर स्थानांतरित की जानी चाहिये, जिन्हें धान की तुलना में लगभग 70% कम जल की आवश्यकता होती है।
- **जलवायु-अनुकूल बीज:** राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार परियोजना के तहत **जीनोम-संपादित** और **ताप-सहिष्णु किस्मों** (जैसे DBW 187 गेहूँ) को तेज़ी से किसानों तक पहुँचाया जाए।

निष्कर्ष:

'इनपुट-प्रधानता' से **'पारिस्थितिक बुद्धिमत्ता'** की ओर परिवर्तन अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि **अस्तित्व की अनिवार्यता** बन चुका है। भारत को पाँच 'R'— **प्रतिरोध (Resistance), पुनर्प्राप्ति (Recovery), पुनः उछाल (Rebounding), पुनरुत्थान (Regeneration) और सुदृढ़ता (Robustness)** को अपनाना होगा। पारिस्थितिक स्वास्थ्य के साथ **वित्तीय प्रोत्साहनों का समन्वय** करके ही भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके **'अन्नदाता' (किसान)** बदलते और गर्म होते वैश्विक पर्यावरण की चुनौतियों के बावजूद सुदृढ़ एवं सक्षम बने रहें।

प्रश्न: भारत के कृषि सुधारों में बाज़ार की कार्यकुशलता और किसानों की आय की स्थिरता के बीच एक अंतर्विरोध दिखाई देता है। वर्तमान सरकारी योजनाओं के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारत में कृषि की स्थिति को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में बाज़ार दक्षता को बढ़ावा देने और आय सुरक्षा की अनिवार्यता पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- इसके बाद तर्क दीजिये कि यह बाज़ार दक्षता और आय सुरक्षा के बीच किस प्रकार का तनाव उत्पन्न करता है।
- अंत में सुझाव दीजिये कि इन तनावों को किस प्रकार कम किया जा सकता है।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी हुई है, जो लगभग **45% कार्यबल को रोज़गार प्रदान करती है** और **सकल मूल्यवर्द्धन (GVA)** में लगभग 18% का योगदान देती है। यह क्षेत्र

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है, जिसमें उन्नत डिजिटल एकीकरण और बाज़ार उदारीकरण के माध्यम से '**उत्पादन-केंद्रित' मॉडल से 'आय-केंद्रित' मॉडल** की ओर बदलाव हो रहा है।

मुख्य भाग:

बाज़ार दक्षता को बढ़ावा

बाज़ार दक्षता पर केंद्रित नीतियों का उद्देश्य क्षेत्र का विनियमन कम करना, बिचौलियों की संख्या घटाना तथा आपूर्ति शृंखलाओं के आधुनिकीकरण के लिये निजी पूंजी को आकर्षित करना है।

- **ई-नाम (e-NAM – राष्ट्रीय कृषि बाज़ार):** यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो वर्तमान APMC मंडियों को आपस में जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करता है, जिससे सूचना की असमानता तथा स्थानीय स्तर पर कीमतों में हेरफेर की संभावना कम होती है।
- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF):** ₹1 लाख करोड़ की वित्तीय सुविधा, जिसका उद्देश्य कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि कटाई के बाद होने वाले भारी नुकसान (लगभग 15–20% अनुमानित) को कम किया जा सके।
- **10,000 FPO (किसान उत्पादक संगठनों) को बढ़ावा:** इसका उद्देश्य छोटे किसानों को संगठित कर पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ प्राप्त करना है, जिससे वे कुशल बाज़ार भागीदार बन सकें और बड़े खरीदारों के साथ सीधे मोलभाव कर सकें।

आय सुरक्षा की अनिवार्यता

मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, विखंडित भूमि जोत और बाज़ार की अस्थिरता के कारण भारत में कृषि अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। इसलिये आय सुरक्षा से जुड़ी नीतियाँ किसानों के लिये एक **सुरक्षा जाल** का कार्य करती हैं।

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था:** मूल रूप से खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में शुरू की गई MSP अब किसानों की आय सुरक्षा का प्रमुख साधन बन चुकी है। चावल और गेहूँ की खुली खरीद (Open-ended procurement) किसानों को सुनिश्चित आय देती है और उन्हें बाज़ार में कीमतों के गिरने से काफी हद तक सुरक्षित रखती है।
- **पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि):** यह **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसके तहत **भूमिधारक किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 प्रदान किये जाते हैं।** यह बाज़ार कीमतों को विकृत किये बिना किसानों को एक बुनियादी, बिना शर्त आय सुरक्षा प्रदान करता है।
- **पीएम-आशा (अन्नदाता आय संरक्षण अभियान):** इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, विशेषकर तिलहन और दलहनों के लिये MSP तथा बाज़ार मूल्य के बीच के अंतर को कम करना।
- **इनपुट सब्सिडी:** उर्वरकों (विशेषकर यूरिया), विद्युत और सिंचाई पर भारी सब्सिडी किसानों को लागत पक्ष पर सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इससे राजकोषीय घाटे पर बड़ा बोझ भी पड़ता है।

तनाव का विश्लेषण: दक्षता बनाम सुरक्षा

इन दोनों लक्ष्यों के बीच टकराव कई प्रणालीगत समस्याओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है—

- **बाज़ार विकृति बनाम सुनिश्चित आय: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खुली खरीद व्यवस्था** के माध्यम से मिलने वाली आय सुरक्षा ने कृषि प्रारूप को बिगाड़ दिया है, जिससे किसानों का रुझान धान और गेहूँ जैसी जल-गहन फसलों की ओर अत्यधिक बढ़ गया है।
  - यह बाज़ार की वास्तविक मांग जहाँ अधिक मात्रा में दलहनों और तिलहनों की आवश्यकता है तथा पारिस्थितिक संतुलन, विशेषकर पंजाब एवं हरियाणा में भूजल के घटते स्तर, दोनों के विपरीत जाता है।
- **विनियमन में ढील की आशंका बनाम निजी पूंजी:** कृषि कानूनों की वापसी ने इस मूलभूत तनाव को उजागर किया।
  - जहाँ अर्थशास्त्रियों का तर्क था कि ये कानून दक्षता बढ़ाएंगे और निजी पूंजी को आकर्षित करेंगे, वहीं किसानों को आशंका थी कि **APMC प्रणाली के कमज़ोर होने से अंततः MSP समाप्त हो सकती है** और वे बड़ी कंपनियों के प्रति असुरक्षित हो जाएंगे (आय सुरक्षा का ह्रास)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **राजकोषीय अनुशासन बनाम सब्सिडी:** विद्युत और उर्वरकों पर सब्सिडी इनपुट लागत कम रखकर अल्पकालिक आय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
  - हालाँकि, इससे संसाधनों का अल्प-दक्ष उपयोग होता है **(जैसे अत्यधिक यूरिया के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता में गिरावट)** और कृषि अनुसंधान व अवसंरचना में सार्वजनिक पूंजी निवेश के लिये उपलब्ध संसाधन भी सीमित हो जाते हैं।

तनाव का समन्वय

सतत कृषि विकास प्राप्त करने के लिये भारत को टकराव की रूपरेखा से आगे बढ़कर **समन्वय** की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे—

- **मूल्य समर्थन से आय समर्थन की ओर संक्रमण: बाज़ार को विकृत करने वाली सब्सिडी और खुली MSP खरीद से धीरे-धीरे प्रत्यक्ष आय सहायता** (जैसे पीएम-किसान के विस्तार) की ओर बढ़ना चाहिये। इससे किसानों की आय सुरक्षित रहती है और साथ ही फसल चयन बाज़ार की मांग के अनुसार तय हो सकता है।
- **FPO को सशक्त बनाना:** छोटे और सीमांत किसान अकेले मुक्त बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते। उन्हें **FPO** के रूप में संगठित करने से उनकी सौदेबाज़ी क्षमता बढ़ती है, जिससे वे विनियमन-मुक्त बाज़ार में भी दक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं और शोषण से बच सकते हैं।
- **फसल विविधीकरण और जलवायु-स्मार्ट कृषि:** MSP और खरीद नीतियों को इस प्रकार समायोजित करना चाहिये कि दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज (श्री अन्न) की कृषि को प्रोत्साहन मिले। इससे किसानों की आय सुरक्षा बनी रहती है, पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा मिलता है और घरेलू बाज़ार की मांग भी पूरी होती है।
- **परामर्शात्मक सुधार:** कृषि कानूनों के अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि कृषि सुधारों की प्रकृति केवल 'ऊपर से नीचे' वाली नहीं हो सकती। बाज़ार के उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने से पूर्व हितधारकों के बीच आम सहमति बनाना और कानूनी रूप से पुख्ता सुरक्षा तंत्र स्थापित करना एक पूर्व शर्त होनी चाहिये।

निष्कर्ष

भारतीय कृषि को केवल '**उत्पादन-केंद्रित**' होने के बजाय '**आय-केंद्रित**' दिशा में आगे बढ़ना होगा। कृषि नीति का अंतिम उद्देश्य बाज़ार दक्षता और आय सुरक्षा के बीच किसी एक को चुनना नहीं होना चाहिये, बल्कि बाज़ार दक्षता को ही उस प्रमुख इंजन के रूप में उपयोग करना चाहिये जो भारतीय किसानों के लिये **सतत एवं दीर्घकालिक आय सुरक्षा** सुनिश्चित कर सके।

जैव विविधता और पर्यावरण

प्रश्न: "भारत की विकास प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में जलवायु कार्रवाई तथा पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने से जुड़ी चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।" (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत विकास और स्थिरता के बीच मौजूद द्वंद्व को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि भारत विकास की प्राथमिकताओं को बनाए रखते हुए जलवायु कार्रवाई और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित कर रहा है।
- इसके बाद यह बताइये कि अभी कौन-कौन सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- अंत में, इन चुनौतियों से निपटने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, भारत '**गोल्डीलॉक्स विरोधाभास**' (Goldilocks Paradox) का सामना कर रहा है। इसका अर्थ है कि भारत को करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिये तेज़ी से आर्थिक विकास हासिल करना होगा। साथ-ही-साथ एक ऐसे **कम-कार्बन विकास मार्ग** का नेतृत्व करना होगा, जो पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह सूक्ष्म संतुलन अब कोई पर्यावरणीय **'ऐड-ऑन'** नहीं रहा, बल्कि वर्ष 2047 तक एक **विकसित राष्ट्र (विकसित भारत)** बनने की भारत की यात्रा के लिये एक मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकता बन चुका है।

मुख्य भाग:

रणनीति: विकास के साथ जलवायु कार्रवाई का एकीकरण

- **'पंचामृत' ढाँचे का संस्थानीकरण:** भारत ने अपने **वर्ष 2070 के नेट ज़ीरो लक्ष्य और वर्ष 2030 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)** को क्रियान्वयन योग्य नीतियों में संहिताबद्ध किया है।
    - भारत ने वर्ष 2030 की समय-सीमा से काफी पहले अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
- **आर्थिक विकास से उत्सर्जन का विच्छेदन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** और उच्च-दक्षता सौर मॉड्यूल के लिये **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** के माध्यम से भारत एक **'हरित औद्योगिक क्रांति'** को बढ़ावा दे रहा है।
    - यह सुनिश्चित करता है कि **नए विनिर्माण केंद्र नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हों,** जिससे पश्चिमी औद्योगीकरण में देखे गए कार्बन-लॉक-इन से बचा जा सके।
- **मिशन LiFE के माध्यम से व्यावहारिक अर्थशास्त्र: मिशन LiFE के ज़रिये भारत ने जलवायु विमर्श का केंद्र व्यापक नीतियों से बदलकर व्यक्तिगत प्रयासों को बना दिया है।**
    - यह **परिपत्रता (पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सचेत उपभोग) पर केंद्रित है,** ताकि उच्च विकास का लक्ष्य साधते हुए प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।
- **जलवायु-अनुकूलन अवसंरचना और शहरीकरण: अर्बन चैलेंज फंड** और **AMRUT 2.0** के माध्यम से भारत अपने अवसंरचना विस्तार में **प्रकृति-आधारित समाधानों (जैसे- 'स्पंज सिटी' और शहरी वन)** को एकीकृत कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि **वर्ष 2025-26 के लिये भारत के पूंजीगत व्यय में जलवायु जोखिम का दृष्टिकोण शामिल हो।**
- **सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा: पीएम-कुसुम** (सिंचाई का सौरकरण) और **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन** जैसे कार्यक्रम किसानों को जलवायु जोखिमों को कम करने में सहायता करते हैं।
    - **'ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग' (शून्य बजट प्राकृतिक कृषि)** और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों पर ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करता है कि पैदावार बढ़ाने के लिये पारिस्थितिक स्वास्थ्य (मृदा और जल) से समझौता न किया जाए।

निरंतर बनी हुई चुनौतियाँ:

- **नवीकरणीय ऊर्जा की पहुँच में कमी:** सौर ऊर्जा उत्पादन केवल दिन के उजाले तक सीमित है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसमी तथा भौगोलिक रूप से असमान है।
    - लागत-प्रभावी, ग्रिड-स्तरीय बैटरी भंडारण प्रणालियों के अभाव में यह परिवर्तनशीलता विद्युत आपूर्ति और चौबीसों घंटे औद्योगिक मांग के बीच एक संरचनात्मक असंतुलन उत्पन्न करती है।
- **राजकोषीय और वित्तीय बाधाएँ:** हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिये खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
    - नीति आयोग के अनुसार, वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये भारत को लगभग **21 ट्रिलियन डॉलर** के निवेश की आवश्यकता होगी।
    - वर्तमान वैश्विक पूंजी प्रवाह **'अपर्याप्त'** हैं और **घरेलू संसाधन प्रायः स्वास्थ्य, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा जाल जैसी तात्कालिक विकासात्मक आवश्यकताओं की ओर परिवर्तित कर दिये जाते हैं।**
- **स्थानिक और क्षेत्रगत असमानताएँ: कोयला अर्थव्यवस्था** पर अत्यधिक निर्भर राज्य **(कोल बेल्ट)** एक स्पष्ट **'जस्ट ट्रांज़िशन' (न्यायसंगत संक्रमण)** ढाँचे के बिना आर्थिक पतन के जोखिम का सामना कर रहे हैं, जो लाखों श्रमिकों के लिये वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित कर सके।
- **पारिस्थितिक क्षरण बनाम अवसंरचना आवश्यकताएँ:** ग्रेट निकोबार विकास परियोजना या हिमालयी राजमार्ग विस्तार जैसी उच्च-प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाएँ प्रायः 'पारिस्थितिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

समझौते' को जन्म देती हैं, **जहाँ रणनीतिक विकास के नाम पर जैव-विविधता की हानि और वनों का विखंडन होता है।**

- **संघवाद में 'रेस टू द बॉटम' की प्रवृत्ति:** जब राज्य निवेश आकर्षित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा (प्रतिस्पर्द्धी संघवाद) करते हैं, तो पर्यावरणीय नियमों को शिथिल करने या **'सनराइज़' उद्योगों को आकर्षित करने के लिये अस्थिर सब्सिडी देने का जोखिम उत्पन्न होता है, जो दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकता है।**

चुनौतियों से निपटने के उपाय:

- **हरित वित्त वर्गीकरण को अंतिम रूप देना:** भारत को हरित वित्त के लिये एक स्पष्ट एवं सुदृढ़ नियामक ढाँचे को शीघ्र अंतिम रूप देना चाहिये, ताकि **'ग्रीनवॉशिंग' को रोका जा सके** और हरित हाइड्रोजन तथा **दीर्घ-अवधि ऊर्जा भंडारण (LDES)** जैसी उच्च-जोखिम जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक विशिष्ट निजी पूंजी को आकर्षित किया जा सके।
- **राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार को क्रियाशील बनाना:** वर्ष 2026 के मध्य तक **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)** को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिये, जिससे उच्च-कार्बन उत्पादन को हतोत्साहित करने और औद्योगिक क्षेत्र में पारिस्थितिक दक्षता को प्रोत्साहित करने वाला मूल्य प्रेरक संकेत उपलब्ध हो सके।
- **'जस्ट ट्रांज़िशन' तंत्र को सुदृढ़ करना:** कोयला-आधारित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिये 'ग्रीन स्किल' विकास और विशेषीकृत आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करना आवश्यक है, ताकि संवेदनशील समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विस्थापन रोका जा सके।
- **प्रकृति-आधारित समाधानों (NBS) को मुख्यधारा में लाना:** MISHTI (मैंग्रोव पहल) और अमृत धरोहर (आर्द्रभूमि संरक्षण) जैसी पहलों को राष्ट्रीय अवसंरचना योजना में विस्तारित करने से कम लागत पर अनुकूलन एवं कार्बन अवशोषण संभव होगा, साथ ही जैव-विविधता की रक्षा भी सुनिश्चित होगी।
- **संघीय जलवायु शासन को सशक्त बनाना:** राज्यों को राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC) लागू करने के लिये समर्पित वित्तपोषण और **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों** के साथ सशक्त करने से यह सुनिश्चित होगा कि जलवायु कार्रवाई स्थानीय स्तर पर, स्थानीय भागीदारी के साथ प्रभावी रूप से लागू हो सके।

निष्कर्ष:

भारत की विकास गाथा विशिष्ट रूप से उसकी इस क्षमता से जुड़ी हुई है कि वह **'विकास के अधिकार'** को **'संरक्षण के कर्त्तव्य'** के साथ किस हद तक समन्वित कर पाता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए भारत, **SDG-13 (जलवायु कार्रवाई)** को प्राप्त कर सकता है, वह भी **SDG-1 (गरीबी उन्मूलन)** से समझौता किये बिना। अंततः, सफलता एक **'मानव-केंद्रित' संक्रमण** में निहित है, **जो भावी पीढ़ियों के लिये पारिस्थितिक साझा संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ अनुकूलन, समानता और समावेशन को प्राथमिकता देता है।**

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न: भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ अब पारंपरिक कानून-व्यवस्था से अधिक गैर-पारंपरिक खतरों से आकार ले रही हैं। आंतरिक सुरक्षा खतरों के बदलते स्वरूप की जाँच कीजिये तथा भारत की सुरक्षा संरचना की तैयारी पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत गैर-पारंपरिक खतरों को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में खतरों के बदलते स्वरूप पर गहराई से चर्चा कीजिये।
- इसके बाद, इस संदर्भ में भारत की तैयारी (मज़बूतियाँ और चुनौतियाँ) का आकलन कीजिये।
- तैयारी को सुधारने हेतु उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की आंतरिक सुरक्षा की रूपरेखा संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, **जैसा कि साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि, चुनावों के दौरान डीपफेक-संचालित गलत जानकारी, महत्त्वपूर्ण**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

डिजिटल अवसंरचना पर हमले और सीमा-पार के हाइब्रिड तरीकों में देखा जा सकता है।

- त्वरित डिजिटलीकरण और सोशल मीडिया पहुँच के कारण ये गैर-पारंपरिक खतरे अब पारंपरिक कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के बराबर या प्राय: उनसे भी अधिक गंभीर हो गए हैं, जिससे हाल के वर्षों में आंतरिक सुरक्षा की प्रकृति पुन: परिभाषित हुई है।

मुख्य भाग:

आंतरिक सुरक्षा खतरों का बदलता स्वरूप

- **साइबर अपराध और वित्तीय सुरक्षा खतरे:** साइबर अपराध आंतरिक सुरक्षा की सबसे तेज़ी से बढ़ती चुनौतियों में से एक बन गया है, जो व्यक्तियों, बैंकों और सरकारी प्रणालियों को प्रभावित करता है।
  - भारत में साइबर सुरक्षा घटनाएँ **वर्ष 2022 में 10.29 लाख से बढ़कर 2024 में 22.68 लाख हो गईं,** जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग और UPI धोखाधड़ी का प्रमुख हिस्सा है।
    - **कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना** जैसे राज्यों में हज़ारों पीड़ितों से जुड़े बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टें आईं।
  - **हवाला से क्रिप्टोकरेंसी और NFT की ओर बदलाव ने ED जैसी एजेंसियों के लिये 'पैसे का पता लगाना' कठिन बना दिया है।**
- **गलत सूचना, सोशल मीडिया और सार्वजनिक व्यवस्था:** सोशल मीडिया-प्रेरित गलत सूचना **हिंसा, भय और सांप्रदायिक तनाव** को बढ़ावा देने लगी है, जिससे आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन जटिल हो गया है।
  - इसे नियंत्रित करने के लिये सरकार **इंटरनेट शटडाउन** जैसे सख्त उपायों पर अधिक निर्भर होती जा रही है। उल्लेखनीय है कि **वर्ष 2023 में भारत में विश्व के सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन हुए।**
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना पर खतरे: ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य तथा दूरसंचार अवसंरचना** साइबर घुसपैठ और तोड़फोड़ के प्रति संवेदनशील होती जा रही है, जिससे **प्रणालीगत सुरक्षा जोखिम** बढ़ रहे हैं।
  - **वर्ष 2020 में** एक संदिग्ध साइबर घुसपैठ ने **मुंबई पावर ग्रिड** के संचालन को बाधित किया, जिससे **अस्पताल, रेलवे और वित्तीय संस्थान** प्रभावित हुए।
  - बाद की रिपोर्टों में पावर वितरण में प्रयुक्त **SCADA (सुपरवाइज़री कंट्रोल एंड डेटा अक्विज़िशन) सिस्टम** में कमज़ोरियों को उजागर किया गया।
- **हाइब्रिड और प्रौद्योगिकी-सक्षम आतंकवाद:** परंपरागत आतंकवाद अब भी मौजूद है, लेकिन इसने नए उपकरणों को अपनाया है जैसे **ड्रोन, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और ऑनलाइन फाइनेंसिंग,** जिससे आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा की सीमाएँ धुंधली हो गई हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2021 में **जम्मू एयरफोर्स स्टेशन** को दो कम-तीव्रता वाले IEDs के ज़रिये ड्रोन से निशाना बनाया गया।
  - वर्ष 2025-26 की अवधि में संगठित **साइबर-कार्टेल्स** का उदय देखा गया, जो **रैनसमवेयर-एज़-ए-सर्विस (RaaS)** प्रदान करते हैं, जिससे **अपराध और राज्य-प्रायोजित तोड़फोड़** के बीच की सीमाएँ धुंधली हो गई हैं।
- **जलवायु और आपदा-जनित सुरक्षा दबाव: जलवायु से उत्पन्न आपदाएँ आंतरिक सुरक्षा बलों पर निरंतर दबाव बना रही हैं, क्योंकि इनके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन, शहरी दबाव और मानवीय संकट पैदा हो रहे हैं।**
  - भारत ने विशेष रूप से बांग्लादेश से होने वाले जलवायु-जनित विस्थापन का सबसे अधिक भार उठाया है। **भारत में बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या का अनुमान व्यापक रूप से भिन्न है, जो लगभग 2-5 मिलियन से लेकर 12-20 मिलियन तक बताया जाता है।**

भारत की सुरक्षा संरचना की तैयारी

- **संस्थागत और प्रौद्योगिकीगत मज़बूतियाँ**
  - **साइबर सुरक्षा संस्थाओं और प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त बनाना:** समर्पित साइबर सुरक्षा संस्थाएँ और घटना-प्रतिक्रिया ढाँचे स्थापित किये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने **वर्ष 2025 में 30 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं को सँभाला,** जो क्षमता में वृद्धि और खतरे की तीव्रता दोनों को दर्शाता है।
- **कानूनी और नीतिगत तैयारी:** भारत ने **आतंकवाद वित्तपोषण, साइबर अपराध और डिजिटल दुरुपयोग** को संबोधित करने के लिये कानूनों को अपडेट किया है।
  - **अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम में संशोधन, IT नियम** और हालिया **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023** प्रवर्तन को मज़बूत बनाते हैं।
- **डेटा फ्यूजन:** NATGRID (**नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड**) और CCTNS (**क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स**) विभिन्न डेटाबेस को इंटरलिंक कर केंद्रीय एजेंसियों को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
- **पूर्वानुमान पुलिसिंग और AI:** भारतीय पुलिस AI आधारित CCTV कैमरों का उपयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने, तोड़फोड़ रोकने, यातायात उल्लंघनों की निगरानी और ANPR व गन डिटेक्शन के लिये कर रही है।

- संरचनात्मक कमज़ोरियाँ (चुनौतियाँ)
  - **लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) का अभाव:** भारत में अभी भी कोई औपचारिक और सार्वजनिक रूप से घोषित NSS नहीं है, जो **नागरिक तथा सैन्य प्रतिक्रियाओं का समन्वय** कर सके।
  - **'साइलो' समस्या:** राज्य पुलिस (प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले) और केंद्रीय एजेंसियों (विश्लेषक) के बीच खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान राजनीतिक तथा क्षेत्राधिकार संबंधी टकराव के कारण विखंडित रहता है।
  - **कानूनी पिछड़ापन:** IT अधिनियम, 2000 जैसे कानून वर्ष 2026 स्तरीय खतरों जैसे 'Q-Day' (**क्वांटम-सक्षम डिक्रिप्शन**) या **AI आधारित सोशल इंजीनियरिंग** के लिये प्रायः अपर्याप्त हैं।
  - **मानव संसाधन की कमी:** मई 2023 तक भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों के लिये 40,000 नौकरी के अवसर थे, लेकिन टीमलीज डिजिटल (टीमलीज सर्विसेज की सहायक कंपनी) की रिपोर्ट के अनुसार, इन रिक्तियों का 30% बड़ा कौशल संकट होने के कारण भरा नहीं जा सका।

तैयारी को सुदृढ़ करने हेतु उपाय

- **विकेंद्रीकृत साइबर पुलिसिंग:** ज़िला स्तर पर साइबर अपराध इकाइयाँ और फॉरेंसिक लैब स्थापित करें ताकि साइबर अपराधों में त्वरित जाँच, साक्ष्य संरक्षण तथा पीड़ित सहायता सुनिश्चित की जा सके।
- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा:** पावर, दूरसंचार, परिवहन तथा स्वास्थ्य नेटवर्क को साइबर तोड़फोड़ से सुरक्षित रखने के लिये नियमित **साइबर ऑडिट, स्ट्रेस टेस्ट और ज़ीरो-ट्रस्ट सिस्टम लागू करना।**
- **गलत सूचना के खिलाफ ढाँचा:** डीपफेक, गलत जानकारी और सूचना युद्ध का मुकाबला करने के लिये स्थायी रणनीतिक संचार इकाई स्थापित करें, जिसमें **फैक्ट-चेकिंग एवं प्लेटफॉर्म समन्वय** शामिल हो।
- **केंद्र-राज्य खुफिया समन्वय:** इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म एवं टास्क फोर्स के माध्यम से राज्य पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त संचालन सक्षम करें।
- **जलवायु-सुरक्षा समेकन:** आपदा-जनित प्रवासन, शहरी तनाव और संघर्ष जोखिम प्रबंधन के लिये आंतरिक सुरक्षा योजना में जलवायु जोखिम मूल्यांकन को मुख्यधारा में लाएँ।
- **भविष्य-उन्मुख साइबर कानून: AI-संचालित तथा एन्क्रिप्टेड अपराधों** से निपटने के लिये कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण करें और पोस्ट-क्वांटम सुरक्षा व नैतिक AI आधारित निगरानी में निवेश करें।

निष्कर्ष

भारत के आंतरिक सुरक्षा खतरे अब अल्पकालिक नहीं बल्कि **प्रणालीगत, डिजिटल और हाइब्रिड** स्वरूप के हैं। हालाँकि संस्थागत क्षमता में विस्तार हुआ है, भविष्य की तैयारी अनुमानात्मक शासन,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

तकनीकी रूप से दक्ष पुलिसिंग, संघीय समन्वय और जलवायु-संवेदनशील सुरक्षा योजना पर निर्भर करती है, ताकि सुरक्षा संरचना उन खतरों की गति के साथ विकसित हो सके जिनका सामना करना पड़ता है।

प्रश्न: सीमावर्ती राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ भूगोल, अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति की जटिल अंत:क्रिया से निर्धारित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत सीमा सुरक्षा से जुड़ी जटिल चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में इन चुनौतियों को भूगोल, अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति के संदर्भ में विस्तार से स्पष्ट कीजिये।
- इसके बाद इन चुनौतियों से निपटने के लिये उपायों का सुझाव दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारत की सीमा सुरक्षा अब केवल एक स्थानीय **कानून-व्यवस्था** का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बहु-स्तरीय चुनौती में परिवर्तित हो चुकी है, जहाँ **भौतिक भू-परिदृश्य, स्थानीय आजीविकाएँ और वैश्विक शक्ति-राजनीति** एक-दूसरे से जुड़ते हैं।

- '**डिजिटल सीमा**' की अवधारणा की ओर संक्रमण और **वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) II** का कार्यान्वयन यह दर्शाता है कि सीमा प्रबंधन अब प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से आगे बढ़कर **सक्रिय एवं एकीकृत सीमा प्रबंधन** की दिशा में विकसित हो रहा है।

मुख्य भाग:

सुरक्षा के भौगोलिक आयाम

भौतिक भू-भाग एक ओर प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, तो दूसरी ओर सामरिक कमज़ोरियाँ भी उत्पन्न करता है, जिससे घुसपैठ तथा निगरानी की प्रकृति निर्धारित होती है।

- **छिद्रपूर्ण सीमाएँ और उष्णकटिबंधीय वन:** पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर भारत–म्याँमार सीमा के साथ सघन सदाबहार वन और बाड़ की अनुपस्थिति के कारण उग्रवादी समूहों जैसे NSCN की गुप्त आवाजाही संभव हो जाती है। साथ ही **फ्री मूवमेंट रेजीम** का दुरुपयोग हथियार तस्करों द्वारा किया जाता है।
- **हिमनदीय संवेदनशीलता और उच्च ऊँचाई:** पूर्वी लद्दाख में अत्यधिक ठंड और दुर्गम हिमालयी चोटियाँ ऐसे '**ब्लाइंड स्पॉट**' बनाती हैं, जहाँ पारंपरिक गश्त करना कठिन होता है। इसके कारण उच्च-ऊँचाई वाले ड्रोन की तैनाती तथा **अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे** जैसे अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वर्षभर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
- **नदीय और दलदली घुसपैठ:** असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय क्षेत्र और गुजरात के रण ऑफ कच्छ जैसे इलाके 'परिवर्तित होती सीमाएँ' प्रस्तुत करते हैं। शत्रुतापूर्ण तत्त्व इन बदलती नदी धाराओं का उपयोग कर भौतिक बाड़ को पार कर लेते हैं, जिससे **सेंसर-आधारित व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)** की आवश्यकता पड़ती है।
- **रणनीतिक गलियारे (सिलीगुड़ी कॉरिडोर): 'चिकन नेक' के रूप में प्रसिद्ध सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक संकुचन बिंदु है।** उत्तर बंगाल में अस्थिरता या पहाड़ी क्षेत्रों में जातीय अशांति पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारतीय मुख्यभूमि से भौतिक रूप से अलग करने का खतरा उत्पन्न कर सकती है।

अस्थिरता के आर्थिक कारक

सीमावर्ती ज़िलों में आर्थिक हाशियाकरण एक '**निर्भरता जाल**' उत्पन्न करता है, जिसका विरोधी तत्त्व भर्ती और लॉजिस्टिक समर्थन के लिये लाभ उठाते हैं।

- **नशीले पदार्थ और 'गोल्डन ट्रायंगल' का प्रभाव: मणिपुर और मिज़ोरम** जैसे राज्यों में म्याँमार से सिंथेटिक ड्रग्स की बड़ी मात्रा में तस्करी होती है।
  - औद्योगिक रोज़गार के अभाव के कारण स्थानीय युवा प्राय: **ड्रग कार्टेल के लिये 'म्यूल' (तस्करी के वाहक) बनने के लिये विवश हो जाते हैं,** जिससे **अप्रतिबंधित/अनौपचारिक अर्थव्यवस्था** विकसित होती है जो स्थानीय उग्रवाद को वित्तपोषित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **तस्करी और FICN नेटवर्क: भारत-पाकिस्तान (पंजाब) और बांग्लादेश** सीमाओं पर **नकली भारतीय मुद्रा (FICN)** की तस्करी एक प्रकार के '**आर्थिक आतंकवाद**' के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य भारतीय रुपये को अस्थिर करना तथा आतंकवादी स्लीपर सेल्स को आसानी से धन उपलब्ध कराना है।
- **जनसांख्यिकीय पलायन:** उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँवों में कमज़ोर अवसंरचना के कारण '**निर्जन गाँव**' (Ghost Villages) बनने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
  - इस खालीपन का उपयोग पड़ोसी शक्तियाँ विवादित क्षेत्रों में **द्वैध-उपयोग (Dual-use) नागरिक-सैन्य बस्तियाँ**, जैसे '**श्याओकांग गाँव** (Xiaokang villages)', स्थापित करने के लिये कर सकती हैं।
- **अनौपचारिक सीमा व्यापार पर निर्भरता:** कई सीमावर्ती कस्बों की **स्थानीय अर्थव्यवस्था** अनौपचारिक सीमा व्यापार पर निर्भर करती है। भू-राजनीतिक तनाव के कारण अचानक सीमा बंद होने से आर्थिक आघात लगते हैं, जो प्राय: स्थानीय नागरिक अशांति या सरकार-विरोधी भावनाओं के रूप में सामने आते हैं।

भू-राजनीतिक जटिलताएँ

सीमावर्ती राज्य '**हाइब्रिड युद्ध**' (Hybrid Warfare) के अग्रिम मोर्चे के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ बाहरी राज्य-समर्थित तत्त्व आंतरिक सामाजिक विभाजनों का उपयोग कर राज्य को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं।

- **राज्य-प्रायोजित प्रॉक्सी युद्ध:** जम्मू-कश्मीर में '**हाइब्रिड आतंकवाद**' की प्रवृत्ति उभर रही है, जिसमें सूचीबद्ध न होने वाले स्थानीय उग्रवादी **एन्क्रिप्टेड ऐप्स** का उपयोग करते हैं और ड्रोन से गिराए गए छोटे हथियारों का प्रयोग करते हैं। यह पाकिस्तान पर बढ़ते भू-राजनीतिक दबाव का परिणाम है, जिससे वह **पारंपरिक सीमा-पार हमलों से हटकर अप्रत्यक्ष तरीकों का सहारा ले रहा है।**
- **सीमा-पार जातीय संबंध:** वर्ष 2021 के बाद म्याँमार में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के चलते मिज़ोरम में शरणार्थियों का बड़े पैमाने पर आगमन हुआ है।
  - यह एक **भू-राजनीतिक दुविधा उत्पन्न करता है:** एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानदंडों का पालन करना तथा दूसरी तरफ बिना दस्तावेजों के आने वाले लोगों से जुड़ी घरेलू जातीय कलह और सुरक्षा जोखिमों का प्रबंधन करना।
- **दो-मोर्चीय 'सांठगांठ' खतरा:** चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक समन्वय भारत को आंतरिक सुरक्षा (जैसे विद्रोह-रोधी अभियानों) से सैनिकों को हटाकर **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** पर तैनात करने के लिये मज़बूर करता है। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का **घनत्व कम** हो जाता है, जिससे सुरक्षा तंत्र **अपर्याप्त** पड़ सकता है।
- **सूचना युद्ध और कट्टरपंथीकरण:** भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सोशल मीडिया का उपयोग कर स्थानीय शिकायतों (**जैसे पंजाब या मणिपुर में**) को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और प्रशासनिक कमियों को '**अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार**' के मुद्दों के रूप में प्रचारित कर वैश्विक मंचों पर भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं।

चुनौतियों से निपटने के लिये सुझाए गए उपाय

- **वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम-II का प्रभावी क्रियान्वयन:** केवल सड़कों के निर्माण तक सीमित न रहकर **स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं** की **समग्र उपलब्धता** सुनिश्चित की जाए, ताकि सीमावर्ती आबादी स्वयं '**पहली रक्षा पंक्ति**' के रूप में कार्य कर सके।
- **तकनीकी सुदृढ़ीकरण (CIBMS):** मानव-श्रम आधारित गश्त की जगह **AI-सक्षम थर्मल सेंसर, एंटी-ड्रोन सिस्टम (जैसे 'इंद्रजाल')** और **उपग्रह से जुड़ी रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली** का उपयोग कर सीमा सुरक्षा को मज़बूत बनाया जाए।
- **एक सीमा, एक बल नीति (One Border, One Force Policy):** विशेषीकृत सीमा बलों की भूमिका को मज़बूत किया जाए जैसे पाकिस्तान/बांग्लादेश सीमा के लिये BSF और चीन सीमा के लिये ITBP, साथ ही राज्य स्तर पर **एकीकृत कमांड संरचना** के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सीमा-पार आर्थिक एकीकरण: बॉर्डर हाट** विकसित किये जाएँ और **एक्ट ईस्ट नीति** के तहत व्यापार को औपचारिक रूप दिया जाए, ताकि स्थानीय युवाओं को तस्करी तथा उग्रवाद के बजाय वैध एवं लाभकारी रोज़गार के अवसर मिल सकें।
- **समुदाय-आधारित खुफिया तंत्र (HUMINT): सद्भावना अभियानों** के माध्यम से विश्वास को सुदृढ़ किया जाए तथा स्थानीय पंचायतों को सशक्त बनाकर उन्हें घुसपैठ और कट्टरपंथ के विरुद्ध **सजग प्रहरी** के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

सीमावर्ती राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एक **गतिशील संतुलन** है, जिसे केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से बनाए नहीं रखा जा सकता। जैसे-जैसे भारत **विकसित भारत @ 2047** की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे **भौगोलिक सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सक्रिय भू-राजनीति** का समन्वय आवश्यक हो जाता है, ताकि इन तथाकथित **'सीमांत क्षेत्रों'** को राष्ट्रीय विकास के **सुरक्षित द्वार** में परिवर्तित किया जा सके।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्न: भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडलों की व्याख्या करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिये इनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है।
- इस दृष्टिकोण की सीमाओं या कमियों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

विकसित भारत @2047 की यात्रा में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** केवल बुनियादी ढाँचा विकसित करने का साधन न रहकर भारत की **डीप-टेक क्रांति की प्रेरक शक्ति** बनकर उभरी है।

- वर्ष 2026 तक सड़कों के निर्माण जैसे पारंपरिक मॉडलों को रूपांतरित कर **सॉवरेन क्लाउड, AI सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष उपग्रह समूहों** के निर्माण में अपनाया जा रहा है।

मुख्य भाग:

उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये PPP का उपयोग

PPP **'वैली ऑफ डेथ'** (प्रयोगशाला अनुसंधान और व्यावसायिक सफलता के बीच के अंतर) को कम करने का कार्य करते हैं।

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (IndiaAI मिशन):** सरकार GPU **आधारित सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर** उपलब्ध कराती है, जबकि निजी कंपनियाँ **(जैसे Sarvam) लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)** विकसित करती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, PPP के माध्यम से **सॉवरेन क्लाउड** प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं, ताकि निजी क्षेत्र की एंक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करते हुए महत्त्वपूर्ण डेटा भारत के भीतर ही सुरक्षित रहे।
- **सेमीकंडक्टर्स (ISM 2.0): इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0** के तहत राज्य सरकार बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी निजी कंपनियाँ उच्च-मूल्य वाले फैब्रिकेशन (फैब्स) और असेंबली यूनिट्स का प्रबंधन करती हैं।
  - राज्य सरकार सार्वजनिक **इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA) प्लेटफॉर्म पर 'टूल आवर्स'** भी उपलब्ध कराती है, जिससे निजी स्टार्टअप्स बिना भारी शुरुआती लागत के चिप डिज़ाइन कर सकें।
- **अंतरिक्ष: IN-SPACe** एक सिंगल-विंडो PPP नियामक के रूप में कार्य कर रहा है और **Skyroot या Agnikul** जैसी निजी कंपनियों को ISRO के लॉन्च पैड तथा परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे निजी उपग्रह प्रक्षेपण के लिये **'टाइम-टू-मार्केट'** कम होता है।
  - इसके अलावा, भारत **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत पूरी तरह स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन (EO) उपग्रह समूह तैनात करने की तैयारी कर रहा है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

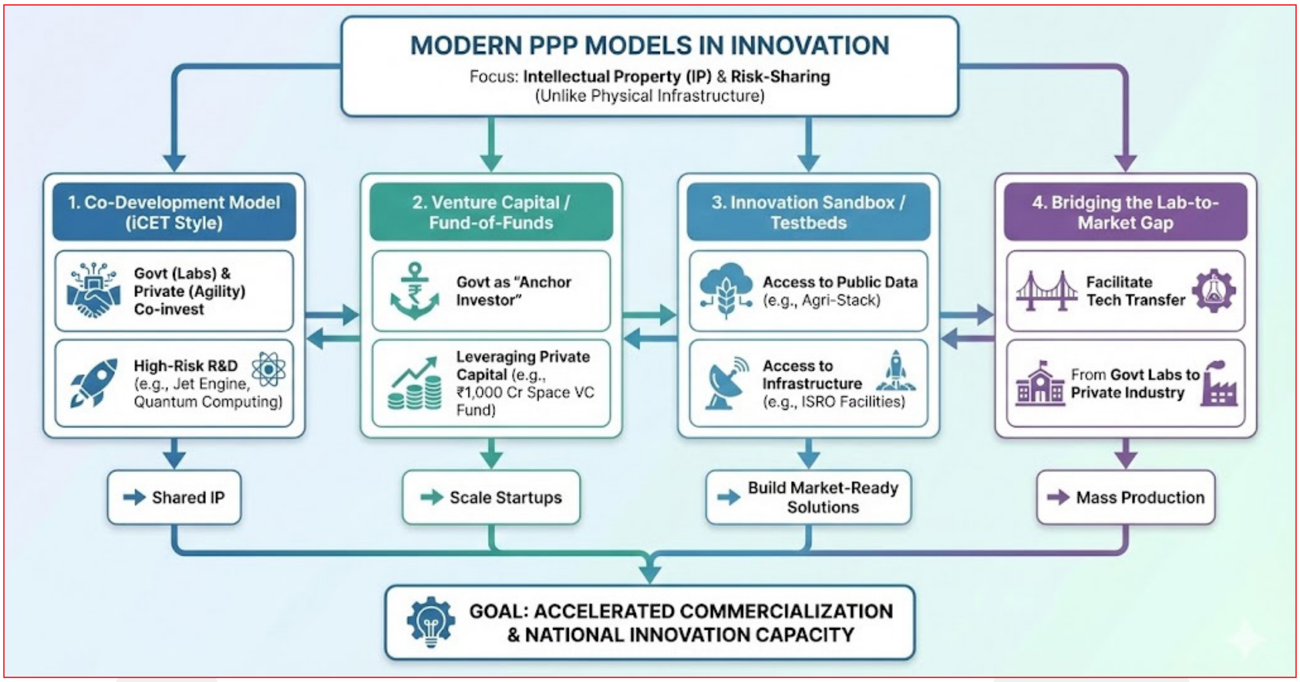

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** भारत ने एक अनूठा PPP मॉडल विकसित किया है, जिसमें सरकार **'रेल' (ओपन प्रोटोकॉल)** बनाती है और निजी क्षेत्र **'ट्रेन' (उपभोक्ता ऐप्स)** विकसित करता है।
  - **उदाहरण: UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का प्रबंधन NPCI (एक अर्द्ध-सार्वजनिक निकाय) करता है,** लेकिन फिनटेक में नवाचार (PhonePe, Paytm, Google Pay) निजी क्षेत्र द्वारा इस सार्वजनिक ढाँचे पर आधारित होकर संचालित होता है।

नवाचार में PPP दृष्टिकोण की सीमाएँ:

- **कम GERD भागीदारी:** भारत में **अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर कुल व्यय (GERD)** अभी भी **GDP का लगभग 0.64% ही है।** विशेष रूप से इसमें निजी क्षेत्र का योगदान केवल लगभग 37% है, जबकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह 70% से अधिक है।
- **जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति:** उच्च जोखिम और दीर्घकालिक प्रतिफल वाली परियोजनाएँ **(जैसे क्वांटम या बायोटेक)** प्राय: निजी पूंजी को आकर्षित करने में कठिनाई महसूस करती हैं, क्योंकि निवेशक त्वरित लाभ की अपेक्षा रखते हैं।
- **बौद्धिक संपदा (IP) स्वामित्व विवाद:** सार्वजनिक धन से उत्पन्न बौद्धिक संपदा का स्वामित्व किसके पास होगा, इस पर होने वाले विवाद प्राय: सहयोग की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं।
- **नौकरशाही जटिलताएँ:** जटिल खरीद प्रक्रियाएँ और सरकारी अनुबंधों में **'L1' (सबसे कम बोलीदाता)** की मानसिकता, **उभरती प्रौद्योगिकियों की 'फेल-फास्ट' (तेज़ी से प्रयोग और सीख) प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं।**

साझेदारी को सुदृढ़ करने के उपाय:

- **परिणाम-आधारित वित्तपोषण: 'इनपुट-आधारित' वित्तपोषण** से हटकर प्रमुख उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाए (जैसे—सफल प्रोटोटाइप का विकास या पेटेंट दाखिल करना)।
- **स्पष्ट बौद्धिक संपदा (IP) ढाँचा:** IP साझा करने के समझौतों का मानकीकरण किया जाए, ताकि निजी कंपनियाँ नवाचारों का व्यावसायीकरण कर सकें, जबकि राज्य **सार्वजनिक हित के लिये 'लाइसेंस-शुल्क मुक्त उपयोग'** का अधिकार बनाए रखे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नियामक सैंडबॉक्स:** फिनटेक, ड्रोन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में सैंडबॉक्स का विस्तार किया जाए, जिससे पूर्ण पैमाने पर लागू करने से पहले 'हल्के-नियमन' (लाइट-टच रेगुलेशन) के तहत निजी नवाचार को बढ़ावा मिल सके।
- **डीप-टेक खरीद:** सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में सुधार कर 'सबसे कम कीमत' के बजाय 'नवाचार' और 'रणनीतिक मूल्य' को प्राथमिकता दी जाए, ताकि सरकार स्वदेशी तकनीकों के लिये **प्रथम खरीदार (First Buyer)** की भूमिका निभा सके।

निष्कर्ष:

राज्य-नेतृत्व वाले R&D मॉडल से **निजी-नेतृत्व वाले नवाचार चक्र** की ओर बदलाव भारत की वर्तमान आर्थिक रणनीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs)** का उपयोग करके भारत **'श्रम-आधारित लागत लाभ' (IT सेवाएँ)** से आगे बढ़ते हुए **'बौद्धिक संपदा (IP) आधारित नेतृत्व'** की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न: "भारत में सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामुदायिक भागीदारी किस प्रकार योगदान देती है?" उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की भूमिका में सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि भारत में सामुदायिक भागीदारी किस प्रकार सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में योगदान देती है।
- इसके बाद यह व्याख्या कीजिये कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भारत में सामुदायिक भागीदारी क्यों अभी भी अपर्याप्त बनी हुई है।
- अंत में, सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में **सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)** का आधार **अनुकूलन, समावेशिता और उपसहायकता** के सिद्धांत हैं। यह केवल तात्कालिक और प्रतिक्रियात्मक राहत पर निर्भर रहने की बजाय दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देता है। साथ ही, यह वैश्विक **सेंडाई फ्रेमवर्क** के अनुरूप कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि विकास की प्रक्रिया नई संवेदनशीलताओं को जन्म न दे।

मुख्य भाग:

सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में सामुदायिक भागीदारी का योगदान

- **पारंपरिक ज्ञान का उपयोग:** स्थानीय समुदायों के पास जीवनरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्वदेशी ज्ञान होता है।
  - उदाहरण के लिये, **उत्तराखंड की कोटी बनाल वास्तुकला और कच्छ के भुंगा घर समय-परीक्षित,** भूकंप-रोधी संरचनाएँ हैं, जिन्हें अब आधुनिक DRR रणनीतियों में भी सम्मिलित किया जा रहा है।
- **अति-स्थानीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ:** समुदाय 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' की अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
  - **आपदा मित्र** योजना जैसे कार्यक्रम स्वयंसेवकों को वैज्ञानिक चेतावनियों (जैसे- तड़ित या आकाशीय बिजली गिरने की सूचना देने वाला **दामिनी ऐप**) को समझने और उन्हें स्थानीय बोलियों में प्रसारित करने के लिये प्रशिक्षित करते हैं, जिससे त्वरित निकासी सुनिश्चित हो पाती है।
- **प्रथम प्रतिक्रिया और जीवन-रक्षा क्षमता:** अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश आपदा-पीड़ितों को आधिकारिक NDRF टीमों के पहुँचने से पहले पड़ोसियों द्वारा ही बचा लिया जाता है।
  - **समुदाय-नेतृत्व वाले अभ्यास और 'मॉक ड्रिल्स' (DMEx) खोज एवं बचाव कार्यों के लिये आवश्यक व्यावहारिक तैयारी तथा त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **स्थानीय खतरा और संसाधन मानचित्रण:** पार्टिसिपेटरी रूरल एप्रेज़ल (PRA) के माध्यम से ग्रामीण समुदाय **ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएँ** (VDMPs) तैयार करते हैं।
  - इस प्रक्रिया में वे विशिष्ट स्थानीय जोखिमों जैसे **किसी विशेष कमज़ोर तटबंध या बाढ़-प्रवण विद्यालय भवन की पहचान करते हैं,** जिन्हें व्यापक स्तर की योजना प्रायः नज़रअंदाज कर देती है।
- **आपदा-पश्चात पुनर्बहाली और सामाजिक पूंजी:** सतत पुनर्प्राप्ति सामाजिक नेटवर्क पर निर्भर करती है।
  - सामुदायिक भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि **पुनर्वास सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो** और **स्वयं सहायता समूहों** (SHGs) के माध्यम से बुजुर्गों एवं महिलाओं जैसे सबसे संवेदनशील वर्गों तक प्रभावी रूप से पहुँचे।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सार्थक सामुदायिक भागीदारी को कमज़ोर करने वाली चुनौतियाँ:

- **संस्थागत शीर्ष-से-नीचे (Top-Down) पूर्वाग्रह:** ऐतिहासिक रूप से भारत में आपदा प्रबंधन 'आदेश-और-नियंत्रण' केंद्रित रहा है।
  - यद्यपि वर्ष 2025 के **आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम** के बाद सुधार हुए हैं, फिर भी व्यवहार में **'सामुदायिक सशक्तीकरण' की अपेक्षा 'निगरानी' और 'दिशानिर्देशों' की भाषा अधिक प्रमुख रहती है।**
- **'निर्भरता सिंड्रोम':** आपदा के बाद बार-बार दी जाने वाली लोकलुभावन राहत योजनाएँ अनजाने में राज्य की अनुग्रह राशि पर निर्भरता की संस्कृति विकसित कर सकती हैं, **जिससे समुदाय की स्वयं-वित्तपोषित जोखिम न्यूनीकरण या बीमा में निवेश की प्रेरणा कम हो जाती है।**
- **सामाजिक-आर्थिक विखंडन:** जाति, लैंगिक और वर्ग आधारित पदानुक्रम प्रायः **ग्रामसभाओं की निर्णय-प्रक्रिया से वंचित वर्गों को बाहर कर देते हैं, जिससे 'बहिष्करणात्मक अनुकूलन' की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ केवल प्रभावशाली वर्गों को ही संरक्षण मिलता है।**
- **वित्तीय विकेंद्रीकरण का अभाव:** यद्यपि 16वें वित्त आयोग ने अनुदानों में वृद्धि की है, **फिर भी अनेक स्थानीय निकायों (PRIs और ULBs) के पास ऐसे 'अनटाइड फंड्स' (अप्रतिबंधित निधियों) का अभाव है, जिनसे वे समुदाय द्वारा पहचानी गई विशिष्ट जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं को लागू कर सकें।**
- **सूचना विषमता:** जलवायु जोखिमों (जैसे- GLOF या हीटवेव) से संबंधित वैज्ञानिक आँकड़े प्रायः स्थानीय भाषा और व्यावहारिक प्रारूप में उपलब्ध नहीं होते, जिससे समुदाय खतरे से अवगत तो होते हैं, परंतु उसके तकनीकी समाधान के संबंध में अनिश्चित रहते हैं।

सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के उपाय

- **'युवा आपदा मित्र' योजना को मुख्यधारा में लाना:** सभी आपदा-प्रवण ज़िलों में युवाओं (NCC, NSS, NYKS) को प्रमाणित **'आपदा मित्र'** के रूप में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम का विस्तार करना, ताकि एक स्थायी और प्रशिक्षित स्थानीय कैडर तैयार हो सके।
- **GPDP के साथ अनिवार्य एकीकरण:** यह सुनिश्चित करना कि **ग्राम पंचायत विकास योजनाओं** (GPDP) में एक समर्पित **'आपदा अनुकूलन' घटक** अनिवार्य रूप से शामिल हो, जिसकी **सामाजिक अंकेक्षण** के माध्यम से समुदाय द्वारा समीक्षा की जाए।
- **DPI के माध्यम से डिजिटल सशक्तीकरण:** **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** का उपयोग करते हुए एक एकीकृत राष्ट्रीय स्वयंसेवक पोर्टल विकसित करना, जो स्थानीय प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ताओं को रियल-टाइम AI-आधारित निगरानी और संसाधन आवंटन से जोड़े।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बीमा और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहन:** **'माइक्रो-इंश्योरेंस'** और समुदाय-शासित जोखिम-साझाकरण कोषों को बढ़ावा देना, ताकि त्वरित वित्तीय तरलता उपलब्ध हो सके और धीमी सरकारी राहत पर निर्भरता कम हो।
- **समावेशी एवं लैंगिक-केंद्रित शासन:** आपदा प्रबंधन समितियों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका को औपचारिक रूप देना, क्योंकि संकट के समय वे प्राय: घरेलू खाद्य और जल सुरक्षा की प्रमुख प्रबंधक होती हैं।

निष्कर्ष

सामुदायिक भागीदारी सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की 'मुख्य कड़ी' है, जो संवेदनशील आबादी को अनुकूल और सक्षम हितधारकों में परिवर्तित करती है। वैज्ञानिक विशेषज्ञता और स्थानीय सहभागिता के बीच अंतर को कम करते हुए भारत 'शून्य जनहानि' के अपने लक्ष्य के और निकट पहुँच सकता है तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDG 11 एवं 13), अनुकूल मानव बस्तियों और जलवायु कार्रवाई को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न: आप एक ऐसे ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) हैं, जहाँ एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर स्थित है। प्रतिवर्ष एक निश्चित महीने में 'महायात्रा' (महान तीर्थयात्रा) का आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश से लगभग 10 लाख श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था इस एक माह चलने वाले आयोजन पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि दुकानदारों, होटल संचालकों और परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों की वार्षिक आय का लगभग 70% इसी अवधि में अर्जित होता है।

यात्रा के आरंभ होने से दो सप्ताह पहले पड़ोसी राज्य में एक नए और अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रकार का प्रकोप फैल जाता है। यद्यपि इसकी मृत्यु दर कम है, लेकिन संक्रमण की गति बहुत तीव्र है और यह बुजुर्गों में गंभीर श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक सघन जनसमूह संक्रमण के तीव्र प्रसार का कारण बन सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता पर गंभीर दबाव पड़ने की आशंका है।

आपके ज़िले में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण और अस्थिर बनी हुई है:

1. धार्मिक अभिकर्त्ता: मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि यह यात्रा 200 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और इसे रोकना अपशकुन माना जाएगा।
2. आर्थिक हितधारक: स्थानीय व्यापारियों के संघ ने चेतावनी दी है कि यदि यात्रा रद्द की जाती है तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे, क्योंकि उन्होंने इस मौसम की उम्मीद में बड़े ऋण लिये हैं।

आप विचार-विमर्श कर ही रहे होते हैं कि तभी एक रिपोर्ट आती है, जिसमें बताया जाता है कि आपके ज़िले में वायरस के 5 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। यदि यात्रा पूर्ण पैमाने पर संपन्न होती है तो आशंका है कि कुछ ही दिनों में ज़िला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप इसे रद्द करते हैं तो कानून-व्यवस्था बिगड़ने और स्थानीय लोगों के लिये आर्थिक तबाही का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

प्रश्न:

1. इस मामले में निहित नैतिक मुद्दों और दुविधाओं की पहचान कीजिये।
2. दी गई स्थिति में आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिये।
3. इस स्थिति में आप कौन-सा मार्ग अपनाएंगे? अपने निर्णय को नैतिक सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट कीजिये।

मुख्य हितधारक शामिल हैं:

- ज़िला मजिस्ट्रेट (DM)
- श्रद्धालु / तीर्थयात्री (जिसमें वृद्ध एवं कमज़ोर वर्ग शामिल हैं)
- ज़िले के स्थानीय निवासी
- राज्य सरकार
- मंदिर ट्रस्ट एवं धार्मिक अभिकर्त्ता
- स्थानीय व्यापारियों का संघ
- दुकानदार, होटल व्यवसायी, परिवहन संचालक
- यात्रा पर निर्भर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
- ज़िला स्वास्थ्य तंत्र (चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिक्स एवं प्रशासन)
- कानून एवं व्यवस्था एजेंसियाँ (पुलिस, होम गार्ड्स)

परिचय:

यह मामला एक अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रकोप के बीच, एक बड़े तीर्थागमन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार के साथ धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजीविका तथा सामाजिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में एक ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधा को प्रस्तुत करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

1. इस मामले में निहित नैतिक मुद्दों और दुविधाओं की पहचान:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार बनाम धार्मिक स्वतंत्रता:** मुख्य नैतिक मुद्दा **जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा है,** विशेषकर कमज़ोर समूहों, जैसे वृद्ध लोगों की।
  - यह **धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा के अधिकार** से टकराता है, क्योंकि यात्रा का गहरा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व है तथा इसकी ऐतिहासिक निरंतरता अनवरत है।
  - दुविधा इस तर्क में है कि क्या सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा धार्मिक प्रथाओं पर नैतिक रूप से प्राथमिकता पा सकती है।
- **आर्थिक आजीविका बनाम स्वास्थ्य सुरक्षा:** यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है, व्यापारियों, परिवहन संचालकों और होटल व्यवसायियों की **वार्षिक आय का लगभग 70% हिस्सा** प्रदान करती है।
  - इसे रद्द करना कई लोगों को **ऋण, बेरोज़गारी और संकट** में डाल सकता है, जिससे आर्थिक न्याय का मुद्दा उठता है।
  - साथ ही, (प्रक्रिया में) आगे बढ़ने से **स्वास्थ्य व्यवस्था के ध्वस्त होने** का जोखिम है, जिससे ऐसी पीड़ा और मृत्यु हो सकती है जिन्हें रोका जा सकता था।
- **प्रशासनिक कर्त्तव्य बनाम सामाजिक और राजनीतिक दबाव:** जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और संभावित आपदा को रोकने का **संवैधानिक एवं नैतिक कर्त्तव्य** है।
  - हालाँकि, धार्मिक अभिकर्त्ताओं एवं व्यापारियों से अत्यधिक दबाव कानून और व्यवस्था को चुनौती देता है तथा DM की ईमानदारी, साहस व निष्पक्षता की परीक्षा लेता है।
  - दुविधा यह है कि क्या अप्रसन्न लेकिन नैतिक रूप से न्यायसंगत निर्णय लेना चाहिये या अल्पकालिक शांति बनाए रखने के लिये सामाजिक दबाव को मान लेना चाहिये।
- **सावधानी का सिद्धांत बनाम हानि की अनिश्चितता:** वायरस की **मृत्यु दर कम** है, लेकिन उच्च संक्रामकता और स्थानीय मामलों की पुष्टि के कारण तेज़ी से फैलने का जोखिम है।
  - नैतिक शासन **वैज्ञानिक पूर्वानुमान** पर कार्य करने की मांग करता है, भले ही हानि संभावित हो, निश्चित न हो।
  - दुविधा यह है कि क्या **संभावित जोखिमों के आधार पर सख्त प्रतिबंध लगाना नैतिक है,** न कि केवल स्पष्ट आपदा के आधार पर।
- **समानता और कमज़ोर समूहों की सुरक्षा:** बड़ी सभाओं से विशेष रूप से **वृद्ध, प्रतिरक्षा कमज़ोर व्यक्ति और स्वास्थ्यकर्मी अधिक जोखिम** में होते हैं।
  - यात्रा को अनुमति देने से जिनके पास **विकल्प और सहनशीलता सबसे कम** है, उन्हें सबसे अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
  - नैतिक मुद्दा **न्याय, हानि न करने और निर्णय-निर्माण में समावेशिता** सुनिश्चित करने में है।

2. दी गई स्थिति में आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं ? प्रत्येक विकल्प के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिये।

विकल्प 1: महा यात्रा को पारंपरिक पूर्ण रूप में जारी रखने की अनुमति देना

गुण:

- स्थानीय अर्थव्यवस्था बनी रहती है, जिससे **व्यापारियों, श्रमिकों और सेवा प्रदाताओं की आजीविका** सुरक्षित रहती है।
- तत्काल **जनअसंतोष, प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की समस्याओं** का जोखिम कम होता है।

दोष:

- उच्च संचरण दर और स्थानीय मामलों की पुष्टि के कारण यह विकल्प सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- यात्रा एक **सुपर-स्प्रेडर घटना** में बदल सकती है, जिससे जिले की स्वास्थ्य संरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है।
- चिकित्सकीय चेतावनियों के बावजूद यात्रा को आगे बढ़ाना **प्रशासनिक लापरवाही** के समान होगा और जीवन की रक्षा के मेरे नैतिक कर्त्तव्य का उल्लंघन करेगा।
- किसी भी प्रकार के (बीमारी के) प्रकोप से शासन में जनता का विश्वास कम हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप जान-माल

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

की ऐसी हानि हो सकती है जिससे बचा जा सकता था, विशेष रूप से वृद्ध लोगों के बीच।

विकल्प 2: महा यात्रा को पूरी तरह रद्द करना

गुण:

- यह विकल्प संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप **जीवन के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य** की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है।
- यह स्वास्थ्य प्रणाली को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है और चिकित्सकीय संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करता है।
- यह निर्णय **सावधानी के सिद्धांत** और वैज्ञानिक परामर्श का पालन दर्शाता है।

दोष:

- इससे **धार्मिक भावनाओं** को गहरा आघात पहुँच सकता है, जिससे सामाजिक असंतोष और भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है।
- व्यापारी एवं श्रमिक **गंभीर आर्थिक संकट,** ऋण चूक और आय की हानि का सामना कर सकते हैं।
- बड़े पैमाने पर **विरोध प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था की चुनौतियाँ और मुद्दे का राजनीतिकरण** होने का उच्च जोखिम है।
- यदि सावधानीपूर्वक नहीं सँभाला गया तो यह निर्णय संवेदनाहीन या अधिनायकवादी समझा जा सकता है।

विकल्प 3: यात्रा को कड़ाई से प्रतिबंध और संशोधनों के साथ अनुमति देना

(सीमित संख्या में तीर्थयात्री, क्रमबद्ध प्रवेश, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल, कोई सामूहिक सभा नहीं)

गुण:

- यह विकल्प **सार्वजनिक स्वास्थ्य को धार्मिक और आर्थिक चिंताओं के साथ संतुलित करने का प्रयास** करता है।
- भीड़ के घनत्व में कमी आने से व्यापक स्तर पर संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है।
- धार्मिक निरंतरता प्रतीकात्मक रूप से बनी रहती है, जिससे **आस्था और परंपरा** सुरक्षित रहती है।
- कुछ आर्थिक गतिविधियाँ जारी रहती हैं, जिससे स्थानीय आजीविका का आंशिक संरक्षण होता है।

दोष:

- बड़ी तीर्थयात्रा में प्रतिबंधों को लागू करना **प्रशासनिक रूप से** चुनौतीपूर्ण है।
- सीमित सभाओं में भी वायरस की संक्रामक प्रकृति के कारण फैलने का जोखिम बना रहता है।
- चयनात्मक प्रवेश के कारण **भेदभाव या पक्षपात के आरोप** लग सकते हैं।
- व्यापारी फिर भी आर्थिक लाभ अपर्याप्त मान सकते हैं।

विकल्प 4: महायात्रा को बाद की, अधिक सुरक्षित अवधि के लिये स्थगित करना

गुण:

- यह धार्मिक आस्था के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है।
- स्वास्थ्य तंत्र की तैयारी मज़बूत करने और वायरस के प्रसार की निगरानी करने का समय प्रदान करता है।
- आर्थिक नुकसान को स्थगित किया जाता है, न कि पूरी तरह समाप्त, जिससे हितधारकों के लिये कुछ उम्मीद बनी रहती है।
- धार्मिक और आर्थिक समूहों के साथ संवाद के माध्यम से सहमति बनाने की संभावना बनती है।

दोष:

- स्थिति कब सामान्य होगी, इस बारे में अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे **निरंतर चिंता** होती है।
- स्थगन के बावजूद अल्पकालिक विरोध और असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
- **निश्चित धार्मिक कैलेंडर** के कारण लॉजिस्टिक और अनुष्ठानिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

विकल्प 5: भौतिक तीर्थयात्रा की जगह प्रतीकात्मक या डिजिटल विकल्प अपनाना

(लाइव-स्ट्रीम किये गए अनुष्ठान, सीमित पुजारी, स्थानीयकृत पूजा)

गुण:

- यह भौतिक सभा को न्यूनतम करता है और यात्रा के **आध्यात्मिक सार** को सुरक्षित रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- कमज़ोर आबादी और स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता की सुरक्षा करता है।
- संकट की स्थिति में **नवाचारी और करुणामय प्रशासनिक** दृष्टिकोण का संकेत देता है।

दोष:

- कई श्रद्धालु आभासी सहभागिता को आध्यात्मिक रूप से समान स्वीकार नहीं कर सकते।
- स्थानीय आबादी के लिये आर्थिक लाभ न्यूनतम ही रहते हैं।
- डिजिटल पहुँच की सीमाओं के कारण समाज के कुछ वर्गों को बाहर रखा जा सकता है।

मैं विकल्प **3, 4 और 5 का संतुलित संयोजन अपनाऊँगा,** जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी, धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा तथा आर्थिक संकट को कम करने के प्रयास किये जाएंगे।

3. इस स्थिति में आप कौन-सा मार्ग अपनाएँगे? अपने निर्णय को नैतिक सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट कीजिये।

इस स्थिति में, मैं एक **संतुलित और मानवीय कार्रवाई अपनाऊँगा,** जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हो तथा साथ ही आस्था एवं आजीविका का सम्मान भी करती हो।

- मैं इस वर्ष महा यात्रा में बड़े पैमाने पर भौतिक सभा को अस्थायी रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित करूँगा।
    - चूँकि पुष्टि किये गए मामले पहले से मौजूद हैं और चिकित्सकीय विशेषज्ञ **सुपर-स्प्रेडर घटना** की चेतावनी दे रहे हैं, इसलिये बड़ी भीड़ को अनुमति देना गैर-हानिकारकता के मेरे नैतिक कर्त्तव्य और **जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21)** की संवैधानिक ज़िम्मेदारी का उल्लंघन होगा। इस चरण में निवारक कदम उठाना **सावधानी के सिद्धांत** का पालन है।
- मैं **आवश्यक मंदिर अनुष्ठानों को प्रतीकात्मक और प्रतिबंधित तरीके से जारी रखने की अनुमति दूँगा,** जिन्हें सीमित संख्या में पुजारियों द्वारा सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत संपन्न किया जाएगा तथा **श्रद्धालुओं के लिये लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।**
    - इससे **अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित होता है,** जबकि **सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उचित प्रतिबंध** लगाए जाते हैं और **अनुपातिकता** का पालन होता है।
- मैं भौतिक यात्रा को बाद की सुरक्षित अवधि के लिये स्थगित करूँगा, जो विशेषज्ञ समीक्षा के अधीन होगी। यह दृष्टिकोण धार्मिक भावनाओं के प्रति **सहानुभूति और संवेदनशीलता** दर्शाता है, साथ ही प्रशासनिक निर्णयों को **साक्ष्य-आधारित तथा नैतिक रूप से ज़िम्मेदार** बनाए रखता है।
- मैं राज्य सरकार के साथ सक्रिय समन्वय करूँगा ताकि यात्रा पर निर्भर व्यापारियों, श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगियों को **आर्थिक राहत, ऋण स्थगन तथा कल्याण समर्थन** प्रदान किया जा सके।
    - यह कदम **न्याय और निष्पक्षता** के नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित है तथा सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्णय का भार कमज़ोर वर्गों पर असमान रूप से न पड़े।
- मैं धार्मिक अभिकर्त्ताओं और आर्थिक हितधारकों के साथ **पारदर्शी संचार तथा निरंतर संवाद** सुनिश्चित करूँगा।
    - इससे **विश्वास, जवाबदेही और लोकतांत्रिक वैधता** मज़बूत होती है तथा आतंक, गलत सूचना एवं कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष:

यह मामला सार्वजनिक अधिकारियों की नैतिक ज़िम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वे शासन में मानव जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखें तथा साथ ही धार्मिक भावनाओं एवं आर्थिक चिंताओं के प्रति सहानुभूति, संवाद और आनुपातिकता के साथ प्रतिक्रिया दें। ऐसी परिस्थितियों में नैतिक नेतृत्व में **वैज्ञानिक तर्क, नैतिक साहस तथा समावेशी निर्णय-निर्माण की आवश्यकता होती है, ताकि सामाजिक सामंजस्य और जनता का विश्वास दोनों सुरक्षित रह सकें।**

प्रश्न: सुश्री रिया मल्होत्रा एक उप मंडल अधिकारी (SDM) के रूप में एक पिछड़े, सूखा-प्रवण विकासखंड में कार्यरत हैं, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वितरण प्रणाली (PDS), पेंशन तथा MGNREGA जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर है।

एक नियमित निरीक्षण के दौरान, सुश्री मल्होत्रा को स्थानीय PDS प्रणाली में गंभीर अनियमितताओं का पता चलता है। कई उचित मूल्य दुकान संचालक निम्न-स्तरीय राजस्व और आपूर्ति अधिकारियों की कथित मिलीभगत से सब्सिडी वाले खाद्यान्न को खुले बाज़ार में बेच रहे हैं। डिजिटल अभिलेखों में अनुपालन दर्शाया गया है, लेकिन स्थल सत्यापन और लाभार्थियों के बयान वास्तविक पात्र परिवारों के व्यापक बहिष्करण की ओर संकेत करते हैं।

यदि तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाती है, जैसे कि डीलरों और अधिकारियों का निलंबन तो अल्पावधि में हज़ारों कमज़ोर परिवारों की खाद्यान्न आपूर्ति बाधित होने का जोखिम है। इसके अतिरिक्त, कुछ आरोपी अधिकारी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं और सुश्री मल्होत्रा को अनौपचारिक संदेश मिलते हैं कि "विवाद से बचने के लिये मामले को संवेदनशील ढंग से सँभालें।"

इसी बीच, नागरिक समाज संगठन एवं स्थानीय मीडिया इस मुद्दे को उजागर करने लगे हैं और प्रशासन की पारदर्शिता तथा न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठा रहे हैं। खेती के मंदी के मौसम में कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में रुकावट आने से भुखमरी और सामाजिक संकट बढ़ने की गंभीर आशंका है।

सुश्री मल्होत्रा को ऐसा निर्णय लेना है जो न्याय सुनिश्चित करे, कमज़ोर वर्गों की रक्षा करे और प्रशासनिक ईमानदारी को बनाए रखे।

प्रश्न

1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
2. सुश्री मल्होत्रा के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के गुण-दोष का परीक्षण कीजिये।
3. सुश्री मल्होत्रा को कौन-सा कदम उठाना चाहिये? अपने उत्तर को नैतिक मूल्यों, लोकहित और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी के संदर्भ में उचित ठहराइये।

परिचय:

यह मामला **तत्काल कल्याण प्रदान करने** और **दीर्घकालिक संस्थागत अखंडता** के बीच टकराव से जुड़ी एक पारंपरिक प्रशासनिक दुविधा को प्रस्तुत करता है। सुश्री **रिया मल्होत्रा** के सामने चुनौती यह है कि वे भ्रष्ट गठजोड़ को समाप्त करें, लेकिन साथ ही उन वास्तविक लाभार्थियों को नुकसान न पहुँचे, जिनकी सुरक्षा और कल्याण के लिये यह व्यवस्था बनाई गई है।

हितधारक

- **सुश्री रिया मल्होत्रा (SDM):** निर्णयकर्त्ता, जो अंतरात्मा के संकट और पेशेवर कर्त्तव्य के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रही हैं।
- **संवेदनशील लाभार्थी:** सूखा-प्रवण क्षेत्र के गरीब परिवार, जिनका **खाद्य का अधिकार (अनुच्छेद 21)** प्रभावित हो रहा है।
- **भ्रष्ट तत्त्व:** FPS (उचित मूल्य दुकान) डीलर और मिलीभगत करने वाले अधिकारी, जो सार्वजनिक कर्त्तव्य के बजाय व्यक्तिगत लालच को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- **राजनीतिक कार्यपालिका:** वे लोग जो भ्रष्ट यथास्थिति की रक्षा के लिये अनौपचारिक दबाव डाल रहे हैं।
- **नागरिक समाज एवं मीडिया:** जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने वाले प्रहरी (वॉचडॉग्स)।
- **राज्य प्रशासन:** जिसकी विश्वसनीयता और जनता का विश्वास दाँव पर लगा है।

मुख्य भाग:

1. सम्मिलित नैतिक मुद्दे

- **सत्यनिष्ठा बनाम राजनीतिक अवसरवाद:** मुख्य द्वंद्व शासन में **शुचिता** सुनिश्चित करने और विवादों से बचने हेतु **'अप्रत्यक्ष' राजनीतिक दबाव** के सम्मुख समर्पण करने के मध्य है।
- **दंडात्मक न्याय बनाम वितरणात्मक न्याय: दोषियों** को दंडित करना (दंडात्मक न्याय) और भूखे लोगों तक खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना (वितरणात्मक न्याय) दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- डीलरों का तत्काल निलंबन आपूर्ति शृंखला को बाधित कर सकता है, **जिससे अल्पकाल में गरीबों को नुकसान हो सकता है।**
- **सार्वजनिक विश्वास बनाम प्रशासनिक मिलीभगत:** राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत विश्वस्तीय विश्वास का उल्लंघन दर्शाती है।
  - कार्रवाई न करना प्रशासन के प्रति जनता की नकारात्मक धारणा को और पुष्ट करेगा।
- **करुणा बनाम प्रक्रियागत कठोरता:** डिजिटल स्तर पर दिखने वाला अनुपालन, प्राय: क्षेत्रीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता।
  - **केवल आँकड़ों (बहिष्करण त्रुटियों)** पर निर्भर रहना बनाम लाभार्थियों की गवाही सुनना, प्रशासन में **करुणा और सहानुभूति** की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **जवाबदेही:** SDM केवल अपने वरिष्ठों के प्रति ही नहीं, बल्कि **संविधान और जनता के प्रति भी जवाबदेह हैं।** अनियमितताओं की अनदेखी करना **प्रशासनिक मिलीभगत** के समान होगा।

2. सुश्री मल्होत्रा के सामने उपलब्ध विकल्प

विकल्प 1: त्वरित एवं कठोर कार्रवाई (सभी आरोपित डीलरों और अधिकारियों का तत्काल निलंबन)

गुण:

- विधि के शासन और **भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता** को सुदृढ़ करता है।
- सार्वजनिक विश्वास की पुनर्स्थापना करता है तथा नागरिक समाज/मीडिया को संतुष्ट करता है।
- अन्य भ्रष्ट तत्त्वों के लिये कड़ा निवारक संदेश देता है।

दोष:

- **मानवीय संकट:** दुकानों के तत्काल बंद होने से संकटकालीन अवधि के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में व्यवधान आ सकता है, जिससे भूख की समस्या उत्पन्न होने की आशंका रहती है।
- **राजनीतिक प्रतिशोध:** जाँच पूर्ण होने से पहले स्थानांतरण या उत्पीड़न की आशंका।

विकल्प 2: 'संवेदनशील ढंग से निपटना'/निष्क्रियता (अनौपचारिक चेतावनी देकर यथास्थिति बनाए रखना)

गुण:

- खाद्य आपूर्ति निर्बाध बनी रहती है।
- राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ टकराव से बचता है।
- प्रशासनिक 'शांति' बनाए रखता है।

दोष:

- **नैतिक जोखिम:** परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़त मिलती है और संबंधित 'गठजोड़' और अधिक सुदृढ़ हो जाता है।
- **कर्त्तव्य में चूक: आचरण संहिता** और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन।
- **विश्वसनीयता में ह्रास:** अंतत: मीडिया में खुलासा होने पर जन-असंतोष और अधिकारी की प्रतिष्ठा को क्षति।

विकल्प 3: रणनीतिक कार्रवाई (पहले आपूर्ति-शृंखला को सुरक्षित करना, फिर जवाबदेही सुनिश्चित करना)

गुण:

- **संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा:** खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता।
- **प्रक्रियात्मक न्याय:** सुदृढ़ एवं न्यायालय में टिकने योग्य मामला तैयार होता है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप कठिन हो जाता है।
- **सतत सुधार:** केवल व्यक्तियों को दंडित करने के बजाय प्रणालीगत कमियों को दूर करता है।

दोष:

- समय-साध्य प्रक्रिया, जिसे प्रारंभ में मीडिया द्वारा 'धीमी कार्रवाई' के रूप में देखा जा सकता है।

3. कार्यवाही का मार्ग

सुश्री मल्होत्रा को विकल्प 3 (रणनीतिक कार्रवाई) अपनानी चाहिये। उनका दृष्टिकोण गांधीजी के ताबीज़ (सबसे गरीब पर केंद्रित दृष्टि) और 'अंत्योदय' के सिद्धांत से प्रेरित होना चाहिये।

चरणबद्ध कार्ययोजना:

- **चरण 1: त्वरित सुधारात्मक उपाय ('नागरिक-प्रथम' दृष्टिकोण)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वैकल्पिक आपूर्ति-श्रृंखला की व्यवस्था:** भ्रष्ट डीलरों को निलंबित करने से पहले, उन्हें निकटवर्ती **उचित मूल्य दुकानों** (FPS) या **सरकारी गोदामों** की पहचान कर प्रभावित लाभार्थियों को निकटतम कार्यशील दुकान से 'टैग' करना चाहिये।
- **बफर स्टॉक का निर्गमन:** ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय कर 15 दिनों के लिये मोबाइल वैनों या अस्थायी वितरण केंद्रों के माध्यम से आपातकालीन बफर स्टॉक जारी किया जाए, जिनका संचालन सीधे राजस्व विभाग (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा किया जाए।

चरण 2: प्रवर्तन एवं जवाबदेही

- **निलंबन और FIR:** वैकल्पिक आपूर्ति स्थिर होने के बाद (48–72 घंटों के भीतर), दोषी डीलरों और संलिप्त 'निम्न-स्तरीय अधिकारियों' को निलंबित किया जाए।
- **कारण बताओ नोटिस:** आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को औपचारिक नोटिस जारी किये जाएँ, ताकि **उचित प्रक्रिया** (Due Process) सुनिश्चित हो और वे बाद में न्यायालय से स्थगन आदेश न प्राप्त कर सकें।
- **डिजिटल ऑडिट:** तृतीय-पक्ष सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए, जिससे 'अनुपालनयुक्त' डिजिटल अभिलेखों का वास्तविक स्थानीय स्थिति से मिलान हो सके और ठोस साक्ष्य एकत्र किये जा सकें।

चरण 3: प्रणालीगत सुधार एवं पारदर्शिता

- **शिकायत निवारण:** प्रखंड स्तर पर समर्पित हेल्पलाइन या '**जन सुनवाई**' की व्यवस्था की जाए, ताकि बहिष्कृत परिवार तुरंत अपना पंजीकरण करा सकें।
- **सामुदायिक निगरानी:** भविष्य के वितरण की निगरानी हेतु स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सेवानिवृत्त शिक्षकों को शामिल कर '**सतर्कता समितियाँ**' गठित की जाएँ।

कार्यवाही का औचित्य

नैतिक मूल्यों के संदर्भ में

- **करुणा और सहानुभूति:** 'दंडात्मक/पुलिस कार्रवाई' से पहले वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित कर वह सूखा-प्रवण आबादी के जीवन और आजीविका को प्राथमिकता देती हैं।
- **धैर्य एवं साहस (Fortitude):** 'अनौपचारिक संदेशों' और राजनीतिक दबावों का प्रतिरोध करना, एक लोक सेवक में अपेक्षित चरित्र-बल को दर्शाता है।
- **शुचिता (Probity):** ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और 'मामले को संवेदनशीलता से सँभालने' (जो कि मामले को रफा-दफा करने का एक आडंबर है) से इनकार करना।

लोकहित के संदर्भ में

- **अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण (उपयोगितावाद):** कुछ भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, जबकि हज़ारों परिवारों को उनका वैध हक मिलता है।
- राज्य तंत्र (सरकारी मशीनरी) में जनता का विश्वास बहाल करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब मीडिया और नागरिक समाज संशय में हों।

प्रशासनिक दायित्व के संदर्भ में

- **संवैधानिक नैतिकता:** एक SDM के रूप में उनकी प्राथमिक निष्ठा संविधान की प्रस्तावना में निहित '**सामाजिक और आर्थिक न्याय**' के वचन के प्रति है।
- **जवाबदेही:** आवश्यक वस्तु अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत रिसाव (लीकेज) रोकना उनका कानूनी दायित्व है।
- **निष्पक्षता:** निर्णय 'स्थानीय सत्यापन और लाभार्थियों की गवाही' (तथ्यों) पर आधारित हैं, न कि 'अनौपचारिक सलाह' (मत) पर।

निष्कर्ष

सुश्री मल्होत्रा का दायित्व केवल यथास्थिति का प्रबंधन करना नहीं, बल्कि लोकहित की सेवा करना है। भ्रष्ट गठजोड़ पर कार्रवाई करने से पहले खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित कर, वे '**न्यूनतम क्षति**' के **नैतिक सिद्धांत** का पालन करते हुए '**दंडात्मक न्याय**' को भी सुनिश्चित करती हैं। यह दृष्टिकोण इस बात की गारंटी देता है कि गरीबों का पेट भरा रहे, जबकि भ्रष्टों की जेबें खाली हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न: श्री कुनाल मेहरा एक तीव्र गति से औद्योगीकरण कर रहे ज़िले के ज़िला कलेक्टर हैं, जिसने हाल ही में राज्य की ईज़-ऑफ-डूइंग-बिज़नेस पहल के तहत बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित किया है। 3,000 से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोज़गार देने वाली एक बड़ी विनिर्माण इकाई ने संचालन शुरू कर दिया है और इसे एक आदर्श सफलता-कथा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

ज़िला प्रशासन में कार्यरत एक कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता गोपनीय रूप से श्री मेहरा से संपर्क करता है तथा दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिनसे संकेत मिलता है कि कंपनी नियमित रूप से प्रदूषण मानकों का उल्लंघन कर रही है विशेष रूप से भूजल प्रदूषण और खतरनाक अपशिष्ट के अनुचित निपटान के मामले में। अभियंता यह भी स्वीकार करता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनीतिक और व्यावसायिक हितों के दबाव में निरीक्षण रिपोर्टों की अनदेखी की है। यह मुखबिर आशंकित है कि यदि उसकी पहचान उजागर हुई, तो उसे प्रतिशोध, स्थानांतरण या करियर में ठहराव का सामना करना पड़ सकता है।

यदि श्री मेहरा औपचारिक जाँच के आदेश देते हैं या इकाई को बंद कर देते हैं, तो इससे रोज़गार में कमी, निवेशकों की तीखी प्रतिक्रिया तथा उन्हें 'विकास-विरोधी' कहे जाने जैसे आरोप लग सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका अनौपचारिक रूप से यह संकेत देती है कि राज्य की निवेश छवि को नुकसान से बचाने के लिये इस मामले को "आंतरिक रूप से सुलझा लिया जाए"।

इसी बीच, स्थानीय किसानों द्वारा फसल उत्पादन में गिरावट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायतें सामने आने लगी हैं, जिनका संबंध औद्योगिक प्रदूषण से हो सकता है। मीडिया की रुचि बढ़ रही है और नागरिक समाज संगठन जवाबदेही तथा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में श्री मेहरा को पर्यावरणीय न्याय, आर्थिक विकास और संस्थागत अखंडता के बीच संतुलन बनाते हुए मुखबिर की शिकायत से निपटने का निर्णय लेना है।

प्रश्न

1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं?
2. श्री मेहरा के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के गुण-दोष का मूल्यांकन कीजिये।
3. श्री मेहरा के लिये सर्वाधिक उपयुक्त कार्यवाही क्या होनी चाहिये? अपने उत्तर को नैतिक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये।

परिचय:

यह प्रकरण **आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय न्याय के बीच टकराव को रेखांकित करता है। जहाँ लोग, पृथ्वी और लाभ के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। ज़िलाधिकारी को राजनीतिक दबाव और संभावित रोज़गार हानि की आशंकाओं के बीच विश्वसनीय प्रदूषण उल्लंघनों पर कार्रवाई करनी है।** यह स्थिति विधि के शासन, व्हिसलब्लोअर संरक्षण तथा नैतिक प्रशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है।

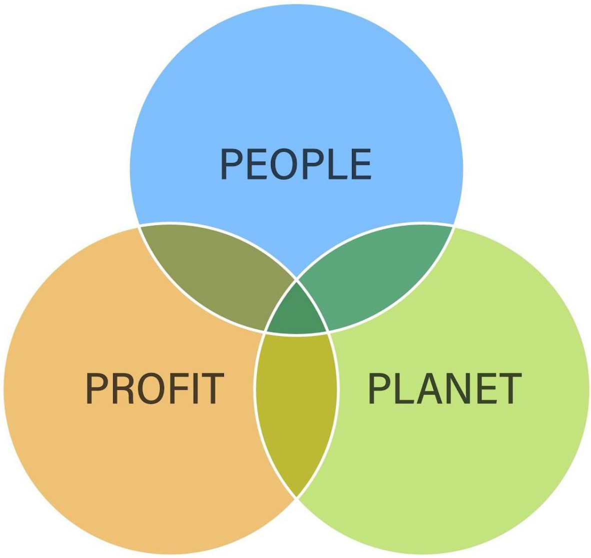

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

संबद्ध हितधारक

- **श्री कुनाल मेहरा (ज़िलाधिकारी):** प्रमुख निर्णयकर्त्ता, जो अपने वैधानिक दायित्व, करियर की स्थिरता और नैतिक अंत:करण के बीच संतुलन बना रहे हैं।
- **कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता (व्हिसलब्लोअर):** सत्य उजागर करने के कारण करियर में ठहराव, स्थानांतरण या व्यक्तिगत क्षति का जोखिम उठाने वाला।
- **स्थानीय किसान एवं समुदाय:** सबसे अधिक संवेदनशील हितधारक, जिनके स्वास्थ्य, आजीविका और स्वच्छ जल के अधिकार पर प्रत्यक्ष खतरा है।
- **स्थानीय श्रमिक (लगभग 3,000 कर्मचारी):** अपनी आर्थिक सुरक्षा और आजीविका के लिये विनिर्माण इकाई पर निर्भर।
- **विनिर्माण इकाई (निवेशक/प्रबंधन):** लाभ अधिकतमकरण से प्रेरित, जिनकी प्रतिष्ठा और पूंजी दाँव पर लगी है।
- **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) के वरिष्ठ अधिकारी:** निहित स्वार्थों के दबाव में कार्य करने वाले, समझौता-ग्रस्त नियामक।
- **राज्य सरकार एवं राजनीतिक कार्यपालिका:** राज्य की 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' छवि, राजस्व सृजन और राजनीतिक पूंजी को लेकर चिंतित।
- **नागरिक समाज संगठन एवं मीडिया:** पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण की मांग करने वाले निगरानीकर्त्ता।
- **पर्यावरण (वनस्पति, जीव-जंतु, भूजल):** वह मूक हितधारक जो अपरिवर्तनीय क्षरण (या पतन) झेल रहा है।

मुख्य भाग:

1. सम्मिलित नैतिक मुद्दे

यह स्थिति अनेक परस्पर जुड़े नैतिक और प्रशासनिक दुविधाओं को प्रस्तुत करती है:

- **विकास बनाम पर्यावरणीय न्याय: मूल संघर्ष अल्पकालिक उपयोगितावादी लाभ** (3,000 लोगों के लिये रोज़गार, राज्य का राजस्व) और दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय स्थिरता तथा जनस्वास्थ्य के बीच है।
- **संस्थागत अखंडता बनाम नियामकीय अधिग्रहण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी राजनीतिक और व्यावसायिक दबावों के आगे झुक गए हैं। यह संस्थागत ईमानदारी के पतन और जन-विश्वास के गंभीर उल्लंघन को दर्शाता है।
- **कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा का दायित्व (रॉल्सीय न्याय):** हाशिये पर मौजूद स्थानीय किसान औद्योगिकीकरण की अदृश्य कीमत चुका रहे हैं, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य के क्षरण और कृषि उत्पादकता में गिरावट के रूप में सामने आ रहा है। उनकी उपेक्षा करना निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** ज़िलाधिकारी का नैतिक और पेशेवर दायित्व है कि वे कनिष्ठ अभियंता की रक्षा करें। ऐसा न करने से आंतरिक जवाबदेही कमज़ोर होगी और भविष्य में पारदर्शिता हतोत्साहित होगी।
- **अंतरात्मा का संकट बनाम राजनीतिक आज्ञापालन:** श्री मेहरा से राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा 'मामले को आंतरिक रूप से सुलझाने' (अर्थात दबाने) का संकेत दिया जा रहा है। उन्हें अपने वरिष्ठों के अनौपचारिक निर्देशों और अपने पद के वैधानिक दायित्व के बीच चयन करना है।

2. श्री मेहरा के समक्ष उपलब्ध विकल्प

विकल्प 1: राजनीतिक दबाव के आगे झुकना, साक्ष्यों की अनदेखी करना और मामले को 'आंतरिक रूप से' निपटा देना।

- **गुण:**
  - लगभग **3,000 मौजूदा नौकरियों** को तत्काल बाधा से सुरक्षित रखता है।
  - राज्य की **निवेशक-अनुकूल छवि** और बाज़ार में विश्वास बनाए रखता है।
  - श्रमिकों और अन्य हितधारकों के बीच अल्पकालिक अनिश्चितता तथा घबराहट से बचाव करता है।
  - **राजनीतिक निरंतरता और कार्यपालिका की स्थिरता** सुनिश्चित करता है।
- **दोष:**
  - गंभीर रूप से **अनैतिक और अवैध,** जो विधि के शासन को कमज़ोर करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- विषैले प्रदूषण का निरंतर संपर्क किसानों के स्वास्थ्य को और खराब करेगा, जिससे **दीर्घकालिक जनस्वास्थ्य संकट** उत्पन्न होंगे।
- मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मामले के उजागर होने की प्रबल संभावना, जिसके परिणामस्वरूप ज़िलाधिकारी को गंभीर कानूनी तथा पेशेवर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
- **संस्थागत अखंडता को क्षति पहुँचाता है** और व्हिसलब्लोअर के साथ विश्वासघात करता है।

विकल्प 2: इकाई को तुरंत बंद करना और भ्रष्ट PCB अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना।

- **गुण:**
  - **पर्यावरणीय क्षति को तत्काल रोकता है,** जिससे किसानों और पारिस्थितिकी तंत्र को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।
  - भ्रष्टाचार और नियामकीय अधिग्रहण के विरुद्ध **शून्य-सहिष्णुता का सशक्त संदेश** देता है।
  - **विधि के शासन,** पर्यावरणीय न्याय और प्रशासनिक नैतिकता को सुदृढ़ करता है।
- **दोष:**
  - **करीब 3,000 कर्मचारियों की आजीविका पर एकाएक संकट उत्पन्न हो जाता है,** जिससे तीव्र सामाजिक-आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है।
  - **यह निवेशकों की कड़ी प्रतिक्रिया को आमंत्रित कर सकता है,** जिससे राज्य की विकास एवं औद्योगीकरण संबंधी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
  - ज़िलाधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक स्थानांतरण या राजनीतिक प्रतिशोध का उच्च जोखिम, जिससे दीर्घकालिक सुधार और जवाबदेही की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

विकल्प 3: एक गोपनीय, स्वतंत्र जाँच समिति का गठन करना, 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' लागू करना तथा तत्काल बंदी के बिना समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना।

- **गुण:**
  - **त्रि-आधार (Triple Bottom Line) का संतुलन साधता है,** जिससे आजीविकाओं की रक्षा के साथ-साथ लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा होती है।
  - **साक्ष्य-आधारित और निष्पक्ष निर्णय-निर्माण** सुनिश्चित करता है, जिससे प्रशासनिक विश्वसनीयता सुदृढ़ होती है।
  - **व्हिसलब्लोअर को संरक्षण प्रदान करता है** तथा कंपनी को वास्तविक सुधारात्मक कदम उठाने के लिये बाध्य करता है।
  - यह दृष्टिकोण तात्कालिक और भावनात्मक बंदी के बजाय **'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle)** को अपनाकर पर्यावरणीय क्षति की भरपाई सुनिश्चित करता है।
- **दोष:**
  - मीडिया या त्वरित कार्रवाई की मांग करने वाले सक्रियतावादी समूहों द्वारा इसे विलंबकारी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है।
  - इसके **दीर्घकालिक प्रतिष्ठात्मक और सुशासन लाभों** को राज्य नेतृत्व को समझाने हेतु उच्च स्तर की राजनीतिक तथा प्रशासनिक कुशलता की आवश्यकता होती है।

3. सर्वाधिक उपयुक्त कार्यवाही का मार्ग

श्री मेहरा को विकल्प 3 अपनाना चाहिये, जिसमें चरणबद्ध, वस्तुनिष्ठ और विधिसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाए।

- **तत्काल कार्रवाई (तथ्य-संग्रह एवं संरक्षण):**
  - **व्हिसलब्लोअर का संरक्षण:** कनिष्ठ अभियंता की पहचान से संबंधित पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिये, ताकि **व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम की भावना का पालन हो सके।**
  - **स्वतंत्र सत्यापन:** केवल समझौता-ग्रस्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर निर्भर रहने के बजाय, श्री मेहरा को **किसी स्वतंत्र तकनीकी संस्था को गोपनीय रूप से शामिल कर भूजल के नमूने, मृदा तथा फसलों की जाँच करानी चाहिये,** जिससे तथ्यों का एक निष्पक्ष तथा निर्विवाद आधार स्थापित हो सके।
- **अल्पकालिक कार्रवाई (प्रवर्तन एवं राजनीतिक प्रबंधन):**
  - **लॉक-आउट नहीं, कारण बताओ नोटिस:** अचानक बंदी के स्थान पर कंपनी को कानूनी रूप से बाध्यकारी 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया जाए, **जिसमें उल्लंघनों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाए।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

   - खतरनाक अपशिष्ट निपटान को तुरंत रोकने तथा **अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ETP) स्थापित करने का निर्देश दिया जाए।**
- **सरकार के साथ रणनीतिक संवाद:** श्री मेहरा को '**प्रबुद्ध स्वार्थ**' के आधार पर राजनीतिक कार्यपालिका को स्थिति से अवगत कराना चाहिये।
   - **राज्य-प्रेरित सक्रिय सुधार और स्वच्छता पहल सरकार को बड़े सार्वजनिक अपमान से बचाएगी तथा राज्य को शोषणकारी नहीं**, बल्कि सतत निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

- **दीर्घकालिक कार्रवाई (क्षतिपूर्ति एवं प्रणालीगत सुधार):**
   - '**प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' का प्रयोग:** अब तक हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिये कंपनी पर कठोर आर्थिक दंड लगाया जाए।
      - इन धनराशियों का उपयोग किसानों के चिकित्सा व्यय और फसल हानि की क्षतिपूर्ति के लिये सख्ती से किया जाए।
   - **कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व (CER):** अनुपालन के हिस्से के रूप में **कंपनी को प्रभावित समुदाय के लिये स्थानीय जल-शोधन संयंत्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करने का दायित्व सौंपा जाए।**

औचित्य: नैतिक सिद्धांत और संवैधानिक मूल्य

- **संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 21):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि **अनुच्छेद 21** में निहित जीवन का अधिकार प्रदूषण-रहित जल और वायु का उपभोग करने के मूल अधिकार को भी समाहित करता है।
   - आर्थिक विकास अनुच्छेद 21 पर वरीयता प्राप्त नहीं कर सकता।
- **नीति-निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्त्तव्य (अनुच्छेद 48A एवं 51A(g)):** संविधान राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्द्धन का दायित्व देता है और नागरिकों/कंपनियों से भी जीव-जंतुओं के प्रति करुणा रखने तथा प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है।
- **लोक न्यास सिद्धांत:** श्री मेहरा राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के न्यासी हैं। **निजी लाभ के लिये भूजल को विषाक्त होने देना इस न्यास का परित्याग माना जाएगा।**
- **वस्तुनिष्ठता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** भावनात्मक रूप से कार्य बंद करने (या प्रतिक्रिया देने) के बजाय, एक स्वतंत्र जाँच और 'कारण बताओ नोटिस' का विकल्प चुनकर।
   - श्री मेहरा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, निष्पक्ष बने रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि समाधान (नौकरी जाना) तत्काल बीमारी से भी अधिक बुरा न हो जाए।
- **कर्त्तव्यनिष्ठ नैतिकता:** कांट के 'निरपेक्ष आदेश' (Categorical Imperative) से प्रेरित होकर, श्री मेहरा को वही करना चाहिये जो मौलिक रूप से सही है अर्थात कानून को लागू करना और मानव जीवन की रक्षा करना, चाहे राजनीतिक दबाव हो या उनके अपने करियर पर पड़ने वाले संभावित परिणाम (निष्काम कर्म)।

निष्कर्ष

यह प्रकरण रेखांकित करता है कि **नैतिक प्रशासन चरम स्थितियों में नहीं, बल्कि सैद्धांतिक संतुलन में निहित होता है।** कानूनी रूप से ठोस और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर, **ज़िलाधिकारी जीवन, आजीविका तथा संस्थागत अखंडता की सुरक्षा** एक साथ सुनिश्चित करते हैं।

प्रश्न: सुश्री दीप्ति एक तटीय ज़िले की ज़िलाधिकारी (District Magistrate) हैं, जो हाल ही में बाढ़ के साथ आए एक भीषण चक्रवात से प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं, विद्युत और संचार सेवाएँ बाधित हैं तथा हजारों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। प्रारंभिक आकलन से कच्चे मकानों, मत्स्यन उपकरणों और खड़ी फसलों को व्यापक क्षति होने का संकेत मिलता है।

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और ज़िला प्रशासन के पास सीमित राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय, खाद्य पैकेट, पेयजल और चिकित्सा टीमें उपलब्ध हैं, जो तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दूरस्थ गाँव हैं, जहाँ मुख्यत: सीमांत मछुआरे और जनजातीय समुदाय निवास करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

इसी दौरान, एक प्रभावशाली शहरी क्षेत्र जिसे अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है, वह सेवाओं की तत्काल बहाली और मुआवजे के लिये राजनीतिक एवं मीडिया दबाव बना रहा है। स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि "जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये" राहत शिविरों को प्रमुख शहरी केंद्रों में स्थापित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह आरोप भी सामने आ रहे हैं कि स्थानीय अधिकारी राजनीतिक रूप से जुड़े समूहों को राहत वितरण में प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि दूरस्थ गाँवों में वास्तविक पीड़ित उपेक्षित रह गए हैं। संकटग्रस्त परिवारों को दर्शाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिससे जन आक्रोश बढ़ रहा है और प्रशासन की कड़ी निगरानी हो रही है।

ऐसी स्थिति में, सुश्री दीप्ति को सीमित संसाधनों के आवंटन, राहत की प्राथमिकता निर्धारण और सुधारात्मक कार्रवाई पर तत्काल निर्णय लेने हैं, वह भी अत्यधिक समय दबाव में पारदर्शिता, समानता एवं जनविश्वास बनाए रखते हुए।

प्रश्न

1. **इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं?**
2. **सुश्री दीप्ति के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के गुण और दोषों का परीक्षण कीजिये।**
3. **सुश्री दीप्ति के लिये सबसे नैतिक कार्यवाही क्या होनी चाहिये? आपदा नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के आलोक में अपने उत्तर को तर्कसंगत रूप से प्रमाणित कीजिये।**

परिचय:

एक विनाशकारी चक्रवात के बाद की स्थिति में, **ज़िलाधिकारी को सीमित राहत संसाधनों के आवंटन से जुड़ी एक नैतिक चुनौती का सामना करना पड़ता है।** एक ओर गंभीर रूप से प्रभावित दूरदराज़ के समुदायों की आवश्यकताएँ हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली शहरी समूहों का दबाव है। यह स्थिति संकट की परिस्थितियों में सार्वजनिक विश्वास और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा बनाए रखते हुए समानता, पारदर्शिता तथा मानवीय ज़िम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है।

हितधारक

- **हाशिये पर रहने वाले वर्ग:** ग्रामीण मछुआरे और जनजातीय समुदाय (सबसे अधिक संवेदनशील, जिनके पास राजनीतिक प्रभाव सबसे कम है)।
- **प्रभावशाली वर्ग:** शहरी निवासी (उच्च दबाव बनाने वाले, मुखर, लेकिन वास्तविक आवश्यकता अपेक्षाकृत कम)।
- **राजनीतिक प्रतिनिधि:** निर्वाचित अधिकारी (चुनावी छवि और अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रबंधन में रुचि रखने वाले)।
- **ज़िला प्रशासन एवं SDRF:** कार्यान्वयन तंत्र (संसाधनों की कमी के कारण अत्यधिक दबाव में, जिन्हें स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता है)।
- **जनता एवं मीडिया:** सूचना के उपभोक्ता (जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता पर निगरानी रखने वाले)।

1. सम्मिलित नैतिक मुद्दे

- **वितरणात्मक न्याय:** **'समानता' (सबको एक समान देना)** और **'समता' (आवश्यकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन)** के बीच मूलभूत तनाव। यहाँ कमज़ोर और वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ करते हुए मुखर समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- **उपयोगितावाद बनाम अधिकार-आधारित नैतिकता:** उपयोगितावादी दृष्टिकोण यह सुझाव दे सकता है कि **कम प्रयास में अधिक लोगों (शहरी क्षेत्रों) की सहायता की जाए,** लेकिन अधिकार-आधारित दृष्टिकोण यह मांग करता है कि राज्य पहले सबसे कमज़ोर और असुरक्षित लोगों की रक्षा करे।
- **संस्थागत सत्यनिष्ठा:** राहत वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप पूरे प्रशासन की वैधता और विश्वसनीयता को खतरे में डालते हैं।
- **संविधान के प्रति जवाबदेही: अनुच्छेद 14 तथा 21** के तहत राज्य का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे, विशेषकर संकट में पड़े लोगों की। दूरस्थ गाँवों की अनदेखी करना इस कर्त्तव्य का उल्लंघन है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **हितों का टकराव:** राजनीतिक दबाव बनाम व्यावसायिक विवेक, एक विचार के रूप में 'जनता' की सेवा करने का कर्त्तव्य बनाम व्यक्तियों के रूप में 'राजनेताओं' की सेवा।

2. उपलब्ध विकल्प: विश्लेषण

विकल्प	लाभ	हानि
A: राजनीतिक दबाव का पालन करना	राजनीतिक आलोचना तुरंत रुक सकती है तथा शहरी केंद्रों में 'शांति' की स्थिति बहाल हो सकती है।	अत्यंत अनैतिक; समता के सिद्धांत का उल्लंघन; कमज़ोर वर्गों का विश्वास खोना; उपेक्षित क्षेत्रों में सामाजिक अशांति की संभावना।
B: सख्त, डेटा-आधारित समता	विधि के शासन को बनाए रखता है; संसाधन उन लोगों तक पहुँचते हैं जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।	तुरंत राजनीतिक प्रतिक्रिया, मीडिया की आलोचना और स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा राहत कार्यों में संभावित बाधा।
C: मिश्रित/पारदर्शिता दृष्टिकोण	समता और सार्वजनिक छवि के बीच संतुलन; तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना; पारदर्शिता के ज़रिये राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना।	समय के दबाव में इसे लागू करना अत्यंत कठिन; त्वरित संसाधन जुटाने और प्रभावी संचार की आवश्यकता।

3. सबसे नैतिक कार्य-प्रणाली:

सुश्री दीप्ति को **विकल्प C** अपनाना चाहिये। संकट की स्थिति में पारदर्शिता ही भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के विरुद्ध सबसे प्रभावी रक्षा है।

कार्ययोजना:

- **निष्पक्ष प्राथमिकता निर्धारण (डेटा-आधारित आवंटन):** सहज अनुमान के आधार पर संसाधन बाँटने के बजाय, सुश्री दीप्ति को तुरंत **उपग्रह चित्रों और ड्रोन सर्वेक्षण** का उपयोग करके जलभराव तथा क्षति के स्तर का मानचित्रण करना चाहिये। उन्हें नुकसान का एक '**हीट मैप' सार्वजनिक रूप से जारी** करना चाहिये।
  - इससे प्रशासनिक निर्णय डेटा-आधारित आवश्यकता बन जाता है, जिसे **राजनेताओं के लिये चुनौती देना कठिन होगा।**
- **अधिकारों का विकेंद्रीकरण:** उन्हें स्थानीय युवाओं और **गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के कार्यकर्त्ताओं** को शामिल करते हुए '**ग्राम राहत समितियाँ**' बनानी चाहिये (जिससे संभावित रूप से समझौता किये हुए स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार किया जा सके)।
  - **इससे समुदाय को राहत प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है और छोटे समूहों द्वारा राहत सामग्री जमा करने की संभावना कम होती है।**
- **खुली संवाद रणनीति:** सुश्री दीप्ति को **प्रेस ब्रीफिंग** आयोजित करनी चाहिये (या लाइव डिजिटल प्रसारण का उपयोग करना चाहिये) और प्राथमिकता मानचित्र प्रस्तुत करना चाहिये।
  - दूरदराज़ क्षेत्रों में हुई भारी तबाही को दिखाकर वे सार्वजनिक चर्चा को "शहरी क्षेत्रों को अधिक सहायता क्यों नहीं मिल रही?" से बदलकर "हम सबसे अधिक पीड़ित लोगों तक सामूहिक रूप से कैसे पहुँच सकते हैं?" की ओर मोड़ सकती हैं।
- **भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहनशीलता नीति:** राहत सामग्री में हेराफेरी करने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध उन्हें कड़ी कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।
  - तत्काल '**निलंबन/की गई कार्रवाई**' की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की जानी चाहिये, ताकि जनविश्वास बहाल हो और यह एक निवारक संदेश भी दे।
- **राजनीतिक वर्ग का प्रबंधन:** मुखर निर्वाचित प्रतिनिधियों को राहत कार्यों की निगरानी के लिये '**सर्वदलीय निगरानी समिति**' में शामिल करने का आमंत्रण देना चाहिये। उन्हें इस प्रक्रिया का हितधारक बनाकर उनकी प्रेरणाएँ प्रशासन के **न्यायसंगत वितरण** के लक्ष्य के साथ समन्वित की जा सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

औचित्य

- **आपदा नैतिकता: 'संवेदनशीलता का सिद्धांत'** यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के संसाधनों में प्राथमिकता उन लोगों को दी जाए जिनकी स्वयं संभलने या पुनर्प्राप्ति की क्षमता सबसे कम है।
- **संवैधानिक मूल्य:** समता (अनुच्छेद 14) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को सुनिश्चित करने के लिये राज्य को उपेक्षित जनजातीय एवं मछुआरा समुदायों के लिये **पैरेंस पैट्रिया** (राष्ट्र के संरक्षक/अभिभावक) के रूप में कार्य करना चाहिये।
- **प्रशासनिक ज़िम्मेदारी: ज़िलाधिकारी राज्य के लिये एक सजग प्रहरी और सूचना के मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।** डेटा और पारदर्शिता का उपयोग करके वे अपने पद को दबाव के लक्ष्य से बदलकर **पेशेवर ईमानदारी के प्रतीक** में परिवर्तित कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

सुश्री दीप्ति के नेतृत्व को राजनीतिक दिखावे के बजाय **वास्तविक समता** को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि राज्य के सीमित संसाधन उन लोगों तक पहुँच सकें जिनका अस्तित्व ही खतरे में है। डेटा-आधारित पारदर्शिता और समुदाय की समावेशी निगरानी का उपयोग करके वे राजनीतिक दबाव को निष्प्रभावी कर सकती हैं और सबसे कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने के संवैधानिक दायित्व को निभा सकती हैं। अंततः उनके निर्णय प्रशासन की ईमानदारी को परिभाषित करेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि प्राकृतिक आपदा के समय **नैतिक दृढ़ता** ही सबसे महत्त्वपूर्ण संपत्ति होती है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न: लोक प्रशासन में कानूनी व्यवस्था हमेशा नैतिक सुदृढ़ता सुनिश्चित नहीं करती है। इस विरोधाभास से सिविल सेवकों के लिये उत्पन्न होने वाली नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)।

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की भूमिका में लोक प्रशासन में विद्यमान कानूनी-नैतिक विरोधाभासों को रेखांकित कीजिये।
- मुख्य भाग में इस विरोधाभास को स्पष्ट करते हुए यह चर्चा कीजिये कि इससे कौन-कौन सी नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- अंत में इस विरोधाभास से संतुलित रूप से निपटने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

लोक प्रशासन में **वैधता आचरण का न्यूनतम मानक निर्धारित करती है,** जबकि नैतिकता न्याय, गरिमा और करुणा जैसे **संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नैतिक निर्णय की अपेक्षा करती है।**

- ऐसी परिस्थितियाँ, जहाँ कोई कार्य कानूनी रूप से वैध हों लेकिन नैतिक दृष्टि से संदिग्ध हों, लोक सेवकों के लिये एक सतत विरोधाभास उत्पन्न करती हैं, जिससे उन्हें नियमों के पालन और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

विरोधाभास: कानून बनाम नैतिकता

यद्यपि कानूनों को प्रायः **'संहिताबद्ध नैतिकता'** कहा जाता है, फिर भी उनकी कुछ सीमाएँ होती हैं—

- **विलंब कारक:** कानून प्रायः समाज के नैतिक विकास से पीछे रह जाते हैं (उदाहरण के लिये, संशोधन से पूर्व राजद्रोह या समलैंगिकता से संबंधित औपनिवेशिक काल के कानून)।
- **प्रक्रियात्मक कठोरता:** कानून का मुख्य ध्यान प्रक्रिया (उचित विधिक प्रक्रिया) पर होता है, जबकि नैतिकता का केंद्र परिणाम (न्याय) होता है।
- **सूक्ष्मता का अभाव:** कानून प्रत्येक विशिष्ट मानवीय परिस्थिति को समुचित रूप से समाहित नहीं कर सकते।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

कानूनी-नैतिक विरोधाभास से लोक सेवकों के लिये उत्पन्न नैतिक चुनौतियाँ:

- **वैधानिक बहिष्करण बनाम सार्थक न्याय:** पात्रता नियमों का कठोर अनुपालन कानूनी रूप से योग्य प्रतीत हो सकता है, परंतु इससे वास्तविक रूप से पात्र और ज़रूरतमंद लाभार्थियों को वंचित किया जा सकता है, जिससे कल्याण के नैतिक उद्देश्यों को क्षति पहुँचती है। ऐसे में लोक सेवकों के सामने नियमों को लागू करने और अन्याय को रोकने के बीच दुविधा उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)** के अंतर्गत स्पष्ट अधिकार होने के बावजूद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के कारण अनेक वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों को राशन से वंचित कर दिया जाता है।
  - यह स्थिति लोक सेवकों के लिये एक विरोधाभास उत्पन्न करती है, **जहाँ कानूनी रूप से सही प्रतीत होने वाला कार्य नैतिक रूप से संदिग्ध हो जाता है,** क्योंकि प्रक्रियात्मक अनुपालन से वास्तविक अन्याय उत्पन्न होता है।
- **प्रक्रियात्मक तटस्थता बनाम मानवीय उत्तरदायित्व: आपातकालीन परिस्थितियों में भी अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है,** जबकि देरी से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। नैतिक शासन प्रायः प्रक्रियात्मक शुद्धता से आगे बढ़कर विवेकपूर्ण निर्णय की अपेक्षा करता है।
  - **कोविड-19 लॉकडाउन (2020)** के दौरान कानूनी रूप से वैध आवाजाही प्रतिबंधों के कारण प्रवासी श्रमिक भोजन और परिवहन के अभाव में फँस गए।
    - जिन ज़िला अधिकारियों ने आश्रय और परिवहन उपलब्ध कराने के लिये नियमों में शिथिलता बरती, उन्होंने नैतिक रूप से उचित कार्य किया, किंतु वे प्रक्रियात्मक उल्लंघन के जोखिम में थे।
- **प्रक्रियावाद की संस्थागत संस्कृति:** प्रशासनिक तंत्र प्रायः **मूल्य-आधारित निर्णय** की अपेक्षा नियमों के पालन को अधिक महत्त्व देता है।
  - **कार्य-निष्पादन मानक, निरीक्षण और लेखा-परीक्षण प्रायः प्रक्रियात्मक अनुपालन पर केंद्रित होते हैं, न कि नैतिक परिणामों पर।** यह संस्थागत पूर्वाग्रह नैतिक साहस को हतोत्साहित करता है और नैतिकता को न्याय की बजाय केवल आत्म-रक्षा तक सीमित कर देता है।
- **आदेशों का पालन बनाम संवैधानिक नैतिकता:** लोक सेवकों को कभी-कभी ऐसे वैधानिक आदेश प्राप्त हो सकते हैं, जो समानता और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत हों। ऐसे आदेशों का पालन कानूनी रूप से उचित हो सकता है, किंतु नैतिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
  - आपातकाल (1975–77) के दौरान व्यापक गिरफ्तारियाँ और सेंसरशिप कानूनी रूप से स्वीकृत थीं, परंतु बाद में उन्हें नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन माना गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि वैधानिक अनुपालन की भी एक नैतिक कीमत हो सकती है।
- **नैतिक विमर्श के सुरक्षित मंचों का अभाव:** न्यायिक अधिकारियों के विपरीत, लोक सेवकों के पास प्रायः नैतिक विचार-विमर्श या परामर्श के लिये संरचित मंच उपलब्ध नहीं होते।
  - **निर्णय प्रायः व्यक्तिगत स्तर पर लिये जाते हैं,** जिससे नैतिक एकाकीपन बढ़ता है और वैधता तथा नैतिकता के बीच चयन करने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी अधिक हो जाता है।

विरोधाभास से निपटना: लोक सेवकों के लिये नैतिक आधार

- **गांधीवादी ताबीज़ को अपनाना:** जब कानूनी कठोरता को लेकर संदेह हो, तब लोक सेवक को सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति का चेहरा स्मरण करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसका निर्णय उनके हित में हो।
- **कानून की शब्दावली से अधिक उसकी भावना को महत्त्व देना:** सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है। **अतः लोक सेवकों को नियमों की ऐसी व्याख्या करनी चाहिये जो संवैधानिक नैतिकता को आगे बढ़ाए।**
- **आनुपातिकता एवं न्यूनतम-हानि सिद्धांत:** ऐसे विकल्पों का चयन किया जाए जो विधिक उद्देश्यों की पूर्ति करें, किंतु विशेषकर कमज़ोर वर्गों के लिये हानि को न्यूनतम रखें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **दर्ज नैतिक विवेक: जनहित में किये गए अपवादों या निर्णयों को तर्कसंगत एवं लिखित रूप में दर्ज किया जाए, ताकि व्यक्तिगत जोखिम कम हो और पारदर्शिता बनी रहे।**
- **संस्थागत सुरक्षा उपाय:** नैतिक समितियों, व्हिसलब्लोअर संरक्षण और लोकपाल जैसी **व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, ताकि नैतिक निर्णयों को संस्थागत समर्थन मिल सके।**
- **न्यायिक उदाहरणों के साथ नैतिक प्रशिक्षण:** वास्तविक मामलों (जैसे—कल्याणकारी योजनाओं से वंचन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ) के आधार पर नियमित प्रशिक्षण देकर नैतिक निर्णय क्षमता को विकसित किया जाए।

निष्कर्ष:

कानूनी शुद्धता प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रख सकती है, परंतु लोकतांत्रिक वैधता केवल नैतिक अखंडता से सुनिश्चित होती है। लोक सेवक के लिये कानून पालन आधार होना चाहिये, परंतु उसके निर्णयों की दिशा अंततः अंतरात्मा और संवैधानिक नैतिक मूल्यों से निर्धारित होनी चाहिये।

प्रश्न: एक सिविल सेवक का नैतिक आचरण, अधिकार और व्यक्तिगत अंतरात्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में इस द्वंद्व का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की भूमिका में अधिकार और अंतरात्मा के अंतर्संबंध को रेखांकित कीजिये।
- मुख्य भाग में लोकतांत्रिक प्रशासन के स्तंभ के रूप में अधिकार की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये।
- इसके बाद यह समझाइये कि अंतरात्मा किस प्रकार एक नैतिक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करती है।
- आगे अधिकार और अंतरात्मा के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव की व्याख्या कीजिये।
- अंत में दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के उपायों को स्पष्ट कीजिये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोकतंत्र में **जहाँ शासन केवल 'शासन करने' तक सीमित नहीं बल्कि 'सेवा करने' का दायित्व भी है,** वहाँ यह अंतर्संबंध नैतिक प्रशासन की कसौटी बन जाता है।

- जो लोक सेवक केवल अधिकार पर निर्भर रहता है, वह **'नौकरशाही रोबोट'** बनने का जोखिम उठाता है जबकि जो केवल अपनी व्यक्तिगत अंतरात्मा पर निर्भर रहता है, वह **'अनियंत्रित अधिकारी'** बन सकता है। नैतिक जीवन इन दोनों के बीच एक **गतिशील संतुलन** में निहित है।

मुख्य भाग:

लोकतांत्रिक प्रशासन के स्तंभ के रूप में अधिकार

- **नियम-आधारित शक्ति का प्रयोग:** अधिकार लोक सेवकों को कानूनों को समान रूप से लागू करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे पूर्वानुमेयता और विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित होती है।
  - नियम-आधारित शासन निर्णय-निर्माण में मनमानी और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को रोकता है।
  - उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** के अंतर्गत पात्रता मानदंडों का कठोर अनुपालन विभिन्न ज़िलों में कल्याणकारी वितरण में वैधानिक एकरूपता सुनिश्चित करता है।
- **राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व:** लोक सेवक संवैधानिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करने के लिये बाध्य होते हैं, जो जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - यह संबंध प्रशासन में लोकतांत्रिक वैधता को बनाए रखता है।
  - उदाहरण के लिये, प्रशासनिक जटिलताओं या स्थानीय विरोध के बावजूद **GST या कृषि-समर्थन योजनाओं** जैसे व्यापक सुधारों को लागू करना।
- **प्रशासनिक तटस्थता और निष्पक्षता:** अधिकार तटस्थता की अपेक्षा करता है, ताकि लोक प्रशासन पक्षपातपूर्ण या व्यक्तिनिष्ठ न बने। **तटस्थता बहुलतावादी समाज में निष्पक्षता की रक्षा करती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, निर्वाचन आयोग की निगरानी में ज़िला प्रशासन द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन।
- **लोक व्यवस्था हेतु दंडात्मक अधिकार:** लोक सेवकों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये दंडात्मक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ये शक्तियाँ आवश्यक तो हैं, किंतु नैतिक दृष्टि से संवेदनशील भी होती हैं।
  - उदाहरण के लिये, आसन्न सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करना।
- **शासन की निरंतरता और स्थिरता:** अधिकार राजनीतिक चक्रों के पार राज्य के कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, जिससे दीर्घकालिक योजना और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होता है।
  - उदाहरण के लिये, विभिन्न सरकारों के दौरान निरंतर चलने वाले **आधारभूत संरचना और कल्याणकारी कार्यक्रम**।

लोक सेवा के नैतिक दिशा-सूचक के रूप में अंतरात्मा

- **नैतिक आधार के रूप में संवैधानिक नैतिकता:** लोक सेवक की अंतरात्मा व्यक्तिगत मान्यताओं से नहीं, बल्कि **न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता** जैसे संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिये। यह नैतिक निर्णय-निर्माण को लोकतांत्रिक आदर्शों से जोड़ती है।
  - उदाहरण के लिये, कल्याणकारी प्रावधानों की **ऐसी व्याख्या करना जिससे हाशिये पर स्थित समूहों के विरुद्ध अप्रत्यक्ष भेदभाव न हो।**
- **यांत्रिक अनुपालन से परे नैतिक निर्णय:** अंतरात्मा अधिकारियों को केवल नियमों के शब्दश: पालन से आगे बढ़कर प्रशासनिक निर्णयों के नैतिक परिणामों का आकलन करने में सक्षम बनाती है।
  - उदाहरण के लिये, आपदा की स्थिति में प्रक्रियात्मक विलंब के बावजूद आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- **धूसर क्षेत्रों में नैतिक विवेक:** कई प्रशासनिक परिस्थितियाँ विधिक धूसर क्षेत्रों (Grey areas) में आती हैं। ऐसे मामलों में अंतरात्मा आनुपातिक और परिस्थितिनुकूल विवेकपूर्ण निर्णय का मार्गदर्शन करती है।
  - **उदाहरण के लिये, बाढ़ या चक्रवात में अभिलेख नष्ट हो जाने पर राहत प्रदान करने हेतु दस्तावेज़ी आवश्यकताओं में शिथिलता देना।**

अधिकार और अंतरात्मा के बीच तनाव:

यह संघर्ष इसलिये उत्पन्न होता है क्योंकि नौकरशाही प्राधिकरण को निर्लिप्त, तटस्थ और प्रक्रियात्मक (वेबेरियन नौकरशाही) रूप में निर्मित किया गया है, जबकि अंतरात्मा स्वभावत: व्यक्तिगत, आत्मनिष्ठ तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है।

यही स्थति '**अंतरात्मा के संकट**' (Crisis of Conscience) को जन्म देती है अर्थात ऐसी अवस्था, जब कोई लोक सेवक जानता है कि कानूनी रूप से क्या अपेक्षति है, कंतिु उसे नैतकि रूप से वह गलत प्रतीत होता है।

- आदेशों का पालन बनाम नैतिक उत्तरदायित्व
  - **तनाव:** जब कोई आदेश कानूनी तो हो, परंतु नैतिक रूप से अनुचित हो (जैसे—पर्याप्त पुनर्वास के बिना किसी विकास परियोजना हेतु जनजातीयों को बलपूर्वक विस्थापित करना), तब लोक सेवक गंभीर दुविधा का सामना करता है।
    - **अधिकार** कहता है: "आदेश का पालन करो।"
    - अंतरात्मा कहती है: "कमज़ोर और वंचितों की रक्षा करो।"
  - **लोकतांत्रिक परिणाम:** अंध आज्ञापालन 'बुराई की साधारणता' (Banality of Evil) को जन्म दे सकता है, जहाँ अधिकारी केवल 'आदेशों का पालन' करते हुए अत्याचारों में सहभागी बन जाते हैं।
- विधि का शासन बनाम न्याय की भावना
  - **तनाव:** नियमों का कठोर पालन कभी-कभी कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर सकता है।
    - **उदाहरण:** बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर भूखे लाभार्थी को खाद्यान्न देने से इंकार करना।
    - **अधिकार:** "मिलान नहीं, तो राशन नहीं।"
    - **अंतरात्मा:** "जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) सर्वोपरि है।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- **लोकतांत्रिक परिणाम:** शासन यांत्रिक और संवेदनहीन बन जाता है, जिससे वही नागरिक दूर हो जाते हैं जिनकी सेवा के लिये शासन अस्तित्व में है।

- आधिकारिक गोपनीयता बनाम सार्वजनिक उत्तरदायित्व
  - **परिप्रेक्ष्य:** राज्य की सुरक्षा या प्रशासनिक एकता बनाए रखने हेतु **अधिकार** प्रायः गोपनीयता (जैसे—आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम) की मांग करता है।
  - **तनाव:** अंतरात्मा किसी लोक सेवक को भ्रष्टाचार या कदाचार को उजागर करने (व्हिसलब्लोइंग) के लिये प्रेरित कर सकती है।
    - **अधिकार:** "संस्था की रक्षा हेतु मौन बनाए रखो।"
    - **अंतरात्मा:** "जनहित की रक्षा के लिये सत्य को सामने लाना आवश्यक है।"
  - **लोकतांत्रिक परिणाम:** सत्य का दमन **पारदर्शिता** जैसे लोकतंत्र के मूल स्तंभ को कमज़ोर कर देता है। अधिकार और अंतरात्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिये लोक सेवक को **नैतिक दक्षता** पर आधारित होना चाहिये—
- **संवैधानिक नैतिकता:** लोक सेवक की अंतिम अंतरात्मा उसकी व्यक्तिगत धार्मिक या सामाजिक मान्यताएँ नहीं, बल्कि संविधान में निहित मूल्य (न्याय, स्वतंत्रता, समानता) होने चाहिये।
  - **यह प्राधिकरण को सर्वोच्च विधि के साथ समन्वित करता है।**
- **लिखित आदेशों पर आग्रह:** अधिकार के दबाव से संरक्षण हेतु, **विवादास्पद निर्णयों के मामले में लोक सेवकों को लिखित आदेश प्राप्त करने पर ज़ोर देना चाहिये।**
- **करुणामूलक विवेक का प्रयोग:** प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग अंतरात्मा के निर्देशानुसार जनसेवा के लिये किया जाना चाहिये।
  - **उदाहरण:** किसी निर्धन रोगी के लिये 'आपातकालीन निधि' की उदार व्याख्या कर एंबुलेंस स्वीकृत करना।
- **'नोलन सिद्धांतों' का पालन:** वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा और निःस्वार्थता जैसे सिद्धांतों का पालन दोनों के बीच की दूरी को कम करने में सहायक होता है।

निष्कर्ष

लोक सेवक का नैतिक जीवन अधिकार और अंतरात्मा में से किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि **विधिसम्मत शक्ति को नैतिक उत्तरदायित्व के साथ समन्वित करने में निहित है।** अंतरात्मा के बिना अधिकार कानूनी निरंकुशता का जोखिम उत्पन्न करता है, जबकि अधिकार के बिना अंतरात्मा प्रशासनिक अव्यवस्था को जन्म दे सकती है। लोकतांत्रिक शासन तब सशक्त होता है जब **लोक सेवक दोनों का समन्वय करते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य शक्ति का प्रयोग प्रभावी, न्यायसंगत और जनविश्वास के योग्य बना रहे।**

प्रश्न: "अभिवृत्ति प्रशासनिक व्यवहार की अदृश्य प्रेरक होती है।" चर्चा कीजिये कि लोक अधिकारियों की अभिवृत्ति किस प्रकार नीतिगत परिणामों को प्रभावित करती है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट करें कि अभिवृत्ति किस प्रकार प्रशासनिक व्यवहार को संचालित करती है।
- अगले चरण में यह समझाएँ कि नकारात्मक अभिवृत्ति किस प्रकार एक बाधा है।
- सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपायों का सुझाव दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

अभिवृत्ति (Attitude) एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का कुछ हद तक अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन करने के रूप में अभिव्यक्त होती है। लोक प्रशासन में यह नौकरशाही संरचना के **'हार्डवेयर'** को संचालित करने वाले **'सॉफ्टवेयर'** की तरह कार्य करता है।

- अभिवृत्ति के तीन घटक होते हैं: **संज्ञानात्मक** (विश्वास/विचार), **भावात्मक** (भावनाएँ/संवेग) और **व्यवहारात्मक** (कार्य करने की प्रवृत्ति)। एक सार्वजनिक अधिकारी का व्यवहार अक्सर इन आंतरिक घटकों का ही सीधा प्रतिबिंब होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

प्रशासनिक व्यवहार के प्रेरक तत्त्व के रूप में अभिवृत्ति

अभिवृत्ति वह फिल्टर है, **जिसके माध्यम से प्रशासक वास्तविकता को देखते हैं।** यह उनके विवेक, व्याख्या और निर्णय-निर्माण को गहराई से प्रभावित करता है।

- **कल्याणकारी प्रशासन में मानवीय संवेदनशीलता:** करुणा की अभिवृत्ति (भावात्मक घटक) रखने वाला एक अधिकारी, विशिष्ट दस्तावेज़ न होने पर भीअत्यंत निर्धन एवं भूख से जूझ रहे लाभार्थी की सहायता करने के लिये अपने कर्त्तव्य की सीमाओं से आगे बढ़कर कार्य करेगा।
  - इसके विपरीत, उदासीन अभिवृत्ति वाला अधिकारी नियमों का हवाला देकर सहायता से इनकार कर देगा (इसे 'रूल-बुक' अभिवृत्ति कहा जाता है)।
  - **उदाहरण:** केरल में '**कम्पैशनेट कोझिकोड**' **पहल** ज़िला प्रशासन के सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य भूखों को भोजन उपलब्ध कराना था।
- **लोक पद पर शुचिता-केंद्रित नैतिकता को प्रोत्साहन:** भौतिक लाभ के प्रति अभिवृत्ति ही भ्रष्टाचार की दिशा तय करता है।
  - '**शुचिता**-उन्मुख' अभिवृत्ति वाला अधिकारी तब भी रिश्वत लेने से इंकार करता है, जब कोई देखने वाला न हो; जबकि '**भौतिकवादी**' **अभिवृत्ति** भ्रष्टाचार को '**नौकरी का लाभ**' बताकर उचित ठहराता है।
- **लोक सेवा प्रतिबद्धता में वृद्धि:** सेवा-उन्मुख अभिवृत्ति सत्ता को जनहित की सेवा की ज़िम्मेदारी के रूप में देखती है, जिससे **विनम्रता, संवेदनशीलता और शक्ति का नैतिक उपयोग** सुनिश्चित होता है।
  - ऐसे अधिकारी अधिक सुलभ और नागरिक-केंद्रित होते हैं।
  - इसके विपरीत, सत्ता-उन्मुख अभिवृत्ति प्रतिष्ठा और नियंत्रण की चाह रखती है, जिसके परिणामस्वरूप प्राय: अहंकार, अधिकारों का दुरुपयोग तथा नागरिकों के प्रति असंवेदनशीलता देखी जाती है। यह अभिवृत्तिगत अंतर सीधे-सीधे राज्य के प्रति जनता की धारणा को आकार देता है।
- **साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देता है:** वैज्ञानिक और तर्कसंगत अभिवृत्ति से निर्देशित प्रशासक निर्णय-निर्माण में साक्ष्यों, आँकड़ों तथा वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करते हैं, जिससे निष्पक्षता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित होती है।
  - इसके **विपरीत, जाति, लैंगिक, क्षेत्र या विचारधारा** पर आधारित पूर्वाग्रही अभिवृत्ति विवेक को विकृत कर देते हैं और बहिष्करणकारी प्रथाओं को जन्म देते हैं। ऐसे पक्षपात विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत को कमज़ोर करते हैं तथा शासन की नैतिक बुनियाद से समझौता करते हैं।

नकारात्मक अभिवृत्ति: सुशासन में एक बाधा

नकारात्मक या विकृत अभिवृत्ति भारत की नौकरशाही के '**स्टील फ्रेम**' **को एक** '**स्टील केज**' में बदल देता है, जिससे **विकास अवरुद्ध होता है और नागरिकों में निराशा उत्पन्न होती है।**

- **रेड-टेपिज़्म (परिणाम के बजाय प्रक्रिया-प्रधानता):**
  - **अभिवृत्ति:** "परिणाम चाहे जो भी हों, मुझे केवल प्रक्रिया का पालन करना है।"
  - **परिणाम:** महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब। उदाहरण के तौर पर, अनेक महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएँ अंतर-विभागीय फाइलों में अटक जाती हैं, क्योंकि अधिकारी समस्या-समाधान के बजाय '**सुरक्षित खेल**' (**सेफ़-प्लेइंग**) को प्राथमिकता देते हैं।
- **परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध (यथास्थितिवाद):**
  - **अभिवृत्ति:** "हम हमेशा से यही करते आए हैं।"
  - **परिणाम:** प्रौद्योगिकी को अपनाने में धीमापन। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण के प्रति प्रारंभिक प्रतिरोध या **शिकायत निवारण में** AI अपनाने की हिचकिचाहट, नियंत्रण या प्रासंगिकता खोने के भय से उत्पन्न होती है।
- **अभिजात्य पक्षपात (गरीबों के प्रति उदासीनता):**
  - **अभिवृत्ति:** "ये लोग तो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं।"
  - **परिणाम: कल्याणकारी योजनाओं (जैसे PDS या MGNREGA)** में बहिष्करण त्रुटियाँ, जहाँ वास्तविक लाभार्थियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति के अभाव में निचले स्तर की नौकरशाही द्वारा नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपाय:

- **नैतिकता-केंद्रित भर्ती एवं चयन:** भर्ती प्रक्रियाओं में **केवल संज्ञानात्मक क्षमता ही नहीं, बल्कि नैतिक अभिविन्यास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मूल्य-प्रणाली का भी आकलन किया जाना चाहिये।** परिस्थितिजन्य निर्णय **परीक्षण, नैतिक दुविधाओं पर आधारित प्रश्न और व्यवहारात्मक साक्षात्कारों** को शामिल करने से सेवा-उन्मुखता तथा सत्यनिष्ठा वाले अभ्यर्थियों की पहचान में सहायता मिलती है।
  - **प्रारंभिक स्तर** पर यह सूक्ष्म मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि भावी लोक सेवक सत्ता के प्रति नहीं, अपितु संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा रखें।
- **निरंतर नैतिक प्रशिक्षण एवं मूल्य-पुनर्सरखण:** नैतिक प्रशिक्षण को केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण तक सीमित न रखकर, पूरे प्रशासनिक करियर में समाहित किया जाना चाहिये। **सहानुभूति, संवैधानिक नैतिकता, लोक सेवा मूल्यों और नैतिक निर्णय-निर्माण पर नियमित कार्यशालाएँ सकारात्मक अभिवृत्ति को सुदृढ़ करती हैं।**
  - वास्तविक जीवन से जुड़ी नैतिक दुविधाओं का अनुभव कराना तथा चिंतनशील अधिगम को प्रोत्साहित करना अधिकारियों में नैतिक निष्क्रियता को रोकता है और उन्हें स्थानीय परिस्थितियों व सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।
- **नैतिक नेतृत्व एवं आदर्श प्रस्तुति:** वरिष्ठ नेतृत्व प्रशासनिक अभिवृत्ति को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाता है। **जब नेता सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सहानुभूति का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हैं तो ये मूल्य संस्थागत संस्कृति में व्याप्त हो जाते हैं।**
  - इसके विपरीत, **उच्च स्तर पर अनैतिक आचरण के प्रति सहिष्णुता नकारात्मक अभिवृत्ति को सामान्य बना देती है।** इसलिये नैतिक नेतृत्व एक प्रभावशाली अनौपचारिक प्रशिक्षण तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- **नैतिक आचरण से जुड़ा प्रदर्शन मूल्यांकन:** मूल्यांकन प्रणालियों में केवल लक्ष्य-पूर्ति या वरिष्ठता के बजाय **नैतिक व्यवहार, उत्तरदायित्व और नागरिक संतुष्टि** को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।
  - **सत्यनिष्ठा और नवाचार का प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को मान्यता देना सकारात्मक अभिवृत्ति को सुदृढ़ करता है,** जबकि अनैतिक आचरण को दंडित करना नैतिक समझौते को हतोत्साहित करता है। वास्तव में संस्थाएँ जिन बातों को मापती हैं, वही अंततः दृष्टिकोण को आकार देती हैं।

निष्कर्ष:

प्रशासन केवल '**क्षमता**' का विषय नहीं, बल्कि '**प्रतिबद्धता**' का भी प्रश्न है। कानून और नियम शासन की संरचनात्मक रूपरेखा तय करते हैं, लेकिन लोक सेवक की सकारात्मक अभिवृत्ति ही उसमें **जीवंतता, संवेदना और प्रभावशीलता** भरती है। भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिये प्रशासनिक अभिवृत्ति को संसाधनों के '**नियंत्रक' से बदलकर जनता के 'सेवक' की दिशा** में उन्मुख करना होगा।

प्रश्नः "क्या लोक प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता और प्रतिबद्ध संवैधानिकता सह-अस्तित्व में रह सकती हैं?" उपयुक्त तर्कों के साथ विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राजनीतिक तटस्थता और प्रतिबद्ध संविधानवाद को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि राजनीतिक तटस्थता और प्रतिबद्ध संविधानवाद एक साथ कैसे रह सकते हैं।
- उन कमियों या खतरों का उल्लेख कीजिये जिनसे बचा जाना चाहिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

राजनीतिक तटस्थता उस सिद्धांत को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात किये बिना अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं और वर्तमान सरकार की समान निष्ठा के साथ सेवा करते हैं। इसके विपरीत, **प्रतिबद्ध संवैधानिकता** का अर्थ संविधान में निहित मूल्यों - **न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** के प्रति गहन निष्ठा से है, चाहे राजनीतिक दबाव कुछ भी हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- यद्यपि ये दोनों अवधारणाएँ प्रथम दृष्टया परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकती हैं **(जहाँ तटस्थता 'विरक्ति' और प्रतिबद्धता 'आसक्ति' का संकेत देती है),** परंतु एक परिपक्व लोकतंत्र में ये परस्पर पूरक शक्तियाँ होती हैं।
- अत: एक सिविल सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ (दलीय निरपेक्ष) होना चाहिये, लेकिन संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध (मूल्य-प्रेरित) भी।

मुख्य भाग:

राजनीतिक तटस्थता और प्रतिबद्ध संवैधानिकता का सह-अस्तित्व:

ये दोनों मूल्य न केवल साथ-साथ मौजूद रहते हैं, **बल्कि प्रशासन के एक सशक्त 'स्टील फ्रेम' के निर्माण में एक-दूसरे को सुदृढ़ भी करते हैं।**

- **शासन-आधारित निष्ठा के बजाय राज्य-आधारित निष्ठा:** राजनीतिक तटस्थता यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक की निष्ठा शासन (अस्थायी इकाई) के बजाय राज्य (स्थायी इकाई) के प्रति हो।
  - प्रतिबद्ध संवैधानिकता इस निष्ठा को राज्य के मूल दस्तावेज़ संविधान से जोड़ती है, जिससे सरकारों के बदलने पर 'तटस्थता' अवसरवाद में परिवर्तित न हो।
- **निष्क्रिय तटस्थता से सक्रिय संवैधानिक पेशेवरता की ओर:** तटस्थता को प्राय: उदासीनता समझ लिया जाता है, किंतु संवैधानिक प्रतिबद्धता एक तटस्थ नौकरशाह को '**सक्रिय पेशेवर**' में रूपांतरित कर देती है।
  - उदाहरण के लिये, कोई अधिकारी चुनाव के दौरान सभी दलों के प्रति समान व्यवहार करते हुए तटस्थ रहता है, **परंतु 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के संवैधानिक दायित्व के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध होता है।**
- **बहुसंख्यकवादी अतिरेक के विरुद्ध संरक्षण:** बहुसंख्यक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल की कुछ वैचारिक प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं।
  - **जहाँ एक 'तटस्थ' अधिकारी आदेशों को निष्क्रिय रूप से लागू कर सकता है,** वहीं एक 'संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध' अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि क्रियान्वयन के दौरान समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो, इस प्रकार वह बहुसंख्यकवादी अतिरेक पर अंकुश लगाता है।
- **निर्भय और निष्पक्ष परामर्श:** इन दोनों मूल्यों का सह-अस्तित्व 'ईमानदार असहमति' को संभव बनाता है। एक तटस्थ अधिकारी मंत्री को वस्तुनिष्ठ, आँकड़ा-आधारित सलाह देता है, भले ही वह मंत्री के राजनीतिक दृष्टिकोण के विपरीत हो।
  - यह साहस संविधान प्रदत्त लोक-कल्याणकारी मूल्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का परिणाम है, जो **उन्हें एक 'आज्ञाकारी अनुगामी' (Yes-man) बनने से रोकता है।**
- **स्टील फ्रेम सिद्धांत:** सरदार पटेल ने सिविल सेवा की परिकल्पना ऐसी संस्था के रूप में की थी, **जो सत्ता के सामने 'सत्य बोलने' का साहस रखे।**
  - यह तभी संभव है, जब अधिकारी **राजनीतिक रूप से निर्लिप्त हो** (ताकि उसे विरोधी न समझा जाए) और संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध हो (ताकि उसके पास सच कहने का नैतिक अधिकार हो)।

बचने योग्य खतरें (The 'Fine Balance'):

यदि तटस्थता और प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो प्रशासन गंभीर विकृतियों का शिकार हो जाता है।

- **'प्रतिबद्ध नौकरशाही' का जाल:** भारत में 1970 के दशक के आपातकाल के दौरान जैसा देखा गया, 'प्रतिबद्धता' का अर्थ संविधान के प्रति न होकर सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के प्रति निष्ठा मान लिया गया।
  - इससे **नौकरशाही का राजनीतिकरण** होता है, जहाँ अधिकारी दलगत कार्यकर्त्ताओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं और जनता का विश्वास क्षीण हो जाता है।
- **तटस्थता का 'यथास्थितिवाद' में बदलना:** तटस्थता पर अत्यधिक ज़ोर '**रूल-बुक नौकरशाही**' या **रेड-टेपिज़्म** को जन्म देता है।
  - अधिकारी कठिन निर्णय लेने से बचने के लिये नियमों की आड़ ले लेते हैं और **अन्याय के सामने निष्क्रियता को 'तटस्थता' के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे नीतिगत जड़ता उत्पन्न होती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **'ट्रांसफर इंडस्ट्री':** जब संवैधानिक प्रतिबद्धता का स्थान 'व्यक्तिगत निष्ठा' ले लेती है, तब प्रतिशोधपूर्ण स्थानांतरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
  - **ईमानदार और तटस्थ अधिकारियों को हाशिये पर डाल दिया जाता है,** जबकि 'अनुकूल' अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है, जिससे योग्यता तथा करियर प्रगति के बीच का संबंध टूट जाता है।
- **मूल्य-अज्ञेयता:** एक बड़ी भूल यह मान लेना है कि तटस्थता का अर्थ मूल्यहीनता है। सिविल सेवक **'कानून एवं अराजकता' या 'न्याय और अन्याय'** के बीच तटस्थ नहीं रह सकता।
  - **नैतिक परिस्थितियों में पूर्ण तटस्थता 'नौकरशाही साधारणता' को जन्म देती है,** जहाँ अधिकारी बिना अंतरात्मा के अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन करने लगते हैं।
- **अभिजात्यवाद और जन-विच्छेद:** अत्यधिक **'तटस्थ' नौकरशाही** प्रायः **'आइवरी टॉवर' नौकरशाही** बन जाती है, जो जनसामान्य से कट जाती है।
  - संवैधानिकता में निहित करुणा (जैसे—गांधीजी का ताबीज़) के अभाव में तटस्थता, अभिजात्य उदासीनता की ढाल बन जाती है।
- **लेटरल एंट्री की चुनौतियाँ: लेटरल एंट्री** को बढ़ावा देने से ऐसे विशेषज्ञ आते हैं, जो संभवतः **'तटस्थता'** की प्रशासनिक परंपरा में सामाजिकीकृत नहीं होते।
  - **यदि इसे सावधानी से प्रबंधित न किया गया तो निजी क्षेत्र के पूर्वाग्रह या वैचारिक झुकाव स्थायी कार्यपालिका में प्रवेश कर सकते हैं,** जिससे संवैधानिक संतुलन बाधित होने का खतरा उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष:

भारत को ऐसी सिविल सेवा की आवश्यकता है, जो **राजनीतिक रूप से तटस्थ, पेशेवर रूप से सक्षम** और **सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध** हो। आदर्श प्रशासक न तो बिना विवेक के आदेशों का यांत्रिक पालन करने वाला 'रोबोट' होता है और न ही शासन की वैध नीतियों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने वाला कोई 'विद्रोही'। आंबेडकर की परिकल्पना में **संवैधानिक नैतिकता** नैतिक मार्गदर्शक और रक्षक कवच है, जिसके आधार पर सिविल सेवक संवैधानिक मूल्यों की 'तलवार' को साधन बनाकर अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं।

प्रश्न: "साहस के बिना सत्यनिष्ठा एक निष्क्रिय गुण बनकर रह जाती है और सत्यनिष्ठा के बिना साहस एक खतरनाक महत्त्वाकांक्षा बन जाता है।" लोक प्रशासन के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सत्यनिष्ठा और साहस का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- "साहस के बिना सत्यनिष्ठा निष्क्रिय गुण बनकर रह जाती है"- इसके पक्ष में प्रशासनिक संदर्भों के साथ तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- "सत्यनिष्ठा के बिना साहस खतरनाक महत्त्वाकांक्षा बन जाता है"- ऐसी परिस्थितियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये।
- दोनों के समन्वय के रूप में 'नैतिक साहस' की आवश्यकता को रेखांकित कीजिये।
- उपयुक्त एवं संतुलित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सत्यनिष्ठा वह आंतरिक नैतिक दिशा-सूचक है जो व्यक्ति को **सख्त नैतिक आचार-संहिता (प्रोबिटी)** के प्रति अटूट रूप से प्रतिबद्ध रखती है। **साहस** उस दिशा-सूचक की बाह्य अभिव्यक्ति है- **भय, खतरे या अत्यधिक दबाव** के बावजूद दृढ़ बने रहने और सही कार्य करने की मानसिक शक्ति।

- जैसा कि अरस्तु ने कहा है, ***"साहस मानवीय गुणों में प्रथम है, क्योंकि वही अन्य सभी गुणों की रक्षा करता है।"***
- लोक सेवा के उच्च-दाँव वाले वातावरण में ये **दोनों गुण मूलतः परस्पर निर्भर** होते हैं; एक को दूसरे से अलग कर देने पर या तो प्रशासनिक जड़ता उत्पन्न होती है या संस्थागत पतन होता है।

मुख्य भाग:

"साहस के बिना सत्यनिष्ठा एक निष्क्रिय गुण बनकर रह जाती है।"

जब किसी प्रशासक के पास व्यक्तिगत ईमानदारी तो होती है, किंतु व्यवस्थागत गलतियों के विरुद्ध खड़े होने का नैतिक साहस नहीं होता,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

तब उसकी सत्यनिष्ठा एक व्यक्तिगत और निष्प्रभावी गुण बनकर रह जाती है। यह लोक-कल्याण को अधिकतम करने की उपयोगितावादी कसौटी पर विफल हो जाती है और '**कर्त्तव्य न निभाने के पाप (Sin of Omission)**' को जन्म देती है।

- **मूकदर्शक नौकरशाह (Bystander Bureaucrat):** वह **ईमानदार अधिकारी जो स्वयं रिश्वत नहीं लेता, परंतु अपने वरिष्ठ या सहकर्मियों की भ्रष्ट गतिविधियों की ओर जानबूझकर आँखें मूँद लेता है।**
  - दंडात्मक स्थानांतरण, उत्पीड़न या प्रतिकूल गोपनीय आख्या के भय से मूकदर्शक बने रहने पर उसका सद्गुण केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रह जाता है और संस्था के लिये व्यावहारिक रूप से निष्प्रयोज्य हो जाता है।
- **यथास्थितिवाद और नीतिगत जड़ता:** प्रशासनिक साहस में लोक-कल्याण के लिये सोच-समझकर जोखिम उठाने की क्षमता शामिल होती है।
  - ईमानदार, किंतु संकोची नौकरशाह प्रायः **'3 Cs' (CBI, CVC, CAG) या मीडिया ट्रायल** के भय से ग्रस्त रहते हैं।
    - वे **नवोन्मेषी निर्णय लेने से बचते** हैं, दायित्व को दूसरों पर टालना पसंद करते हैं और लालफीताशाही के पीछे छिप जाते हैं, जिससे विकासात्मक परियोजनाएँ ठप पड़ जाती हैं।
- **अवैध दबाव के आगे झुकना:** अंतरात्मा के संकट की स्थिति में साहस के अभाव वाला ईमानदार लोक सेवक **राजनीतिक दबाव के आगे झुक** सकता है।
  - वे किसी अनियमित निविदा या अवैध स्थानांतरण आदेश पर केवल '**आदेशों का पालन (Following Orders)**' या पदानुक्रम का अनुसरण करने का तर्क देकर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इस प्रकार कुप्रशासन का उपकरण बन जाते हैं।

"सत्यनिष्ठा के बिना साहस खतरनाक महत्त्वाकांक्षा बन जाता है।"

- **'सिंघम' मानसिकता और न्यायेतर कार्रवाइयाँ:** ईमानदारी के बिना साहस प्रायः प्रशासकों को व्यक्तिगत यश या त्वरित परिणामों के लिये **संवैधानिक विधि-शासन को दरकिनार करने की ओर प्रेरित** करता है।
  - स्थानीय लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये पुलिस अधिकारियों द्वारा **न्यायेतर मुठभेड़ों** का सहारा लेना ऐसी खतरनाक महत्त्वाकांक्षा का उदाहरण है, जो न्याय-व्यवस्था की मूल संरचना को नष्ट कर देता है।
- **क्रोनी पूंजीवाद और प्रक्रिया का विघटन:** अत्यधिक आत्मविश्वासी, निर्णायक और महत्त्वाकांक्षी नौकरशाह साहसपूर्वक बड़े सार्वजनिक ठेकों में हेरफेर कर सकता है, पर्यावरणीय स्वीकृतियों को मोड़ सकता है या भू-उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है।
  - वे इन कार्यों को **'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' या 'विकास को तीव्र गति देने'** के नाम पर छिपाते हैं, किंतु वास्तविक उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद लाभकारी पदों या कमीशन के लिये निगमित गठजोड़ को लाभ पहुँचाना होता है।
- **सत्तावाद और बौद्धिक अहंकार:** सत्यनिष्ठा की विनम्रता के बिना साहस तानाशाही प्रवृत्तियों को जन्म देता है।
  - ऐसे प्रशासक वैध असहमति को कुचल सकते हैं, झूठी प्रगति दिखाने के लिये आधिकारिक आँकड़ों में हेरफेर कर सकते हैं या अवास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधीनस्थों को धमका सकते हैं (जैसे **1970 के दशक के आपातकाल के दौरान ज़बरन नसबंदी**)।

संश्लेषण: 'नैतिक साहस' की अनिवार्यता

प्रभावी लोक सेवा के लिये इन दोनों मूल्यों का पूर्ण समन्वय आवश्यक है, जिसे प्रायः '**नैतिक साहस**' या '**दृढ़ विश्वास का साहस (Courage of Conviction)**' कहा जाता है।

- यह सही कार्य-पथ की पहचान करने की बौद्धिक ईमानदारी तथा उसे व्यक्तिगत, व्यावसायिक या राजनीतिक लागत की परवाह किये बिना क्रियान्वित करने की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और धैर्य का समन्वय है।
- **संश्लेषण के उदाहरण: सत्येंद्र दुबे** जैसे व्हिसलब्लोअर (जिन्होंने अपने **जीवन की कीमत पर NHAI में भ्रष्टाचार का प्रकटीकरण** किया) तथा **टी. एन. शेषन** जैसे प्रशासक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

(**जिन्होंने पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ आदर्श आचार संहिता को साहसपूर्वक लागू किया**) इस आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि वास्तविक लोक सेवा सक्रिय और साहसपूर्ण सद्गुण की मांग करती है।

निष्कर्ष:

एक लोक सेवक न तो मात्र **निष्क्रिय, ईमानदार दर्शक बनकर रह सकता है और न ही निर्दयी, अति-महत्त्वाकांक्षी उपलब्धि-केंद्रित अधिकारी** बन सकता है। संवैधानिक नैतिकता का वास्तविक संरक्षक बनने के लिये सत्यनिष्ठा रूपी नैतिक दिशा-सूचक को साहस रूपी प्रेरक शक्ति द्वारा निरंतर गतिशील बनाना आवश्यक है।

प्रश्न: "लोक सेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता है।" इस दृष्टि से सिविल सेवाओं के नैतिक आधारों की समीक्षा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक सेवा के बारे में संक्षेप में बताते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- 'केवल एक पेशा' के रूप में सिविल सेवा की सीमाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- नैतिक प्रतिबद्धता की मांग करने वाले नैतिक आधारों को उजागर कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक सेवा, अपने नाम के अनुसार, **नागरिक समाज** (res publica) के प्रति कर्त्तव्य का संकेत देती है। यदि सिविल सेवा को केवल एक पेशा माना जाए तो यह एक लेन-देन आधारित व्यवस्था बन जाती है, जिसमें कौशल और समय का आदान-प्रदान केवल वेतन एवं अधिकार के लिये किया जाता है।

- हालाँकि, इसे एक **नैतिक प्रतिबद्धता** के रूप में देखने पर यह राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक अनुबंध में बदल जाती है।
- यह सिविल सेवक को केवल '**मशीन का एक पुर्जा**' होने से ऊपर उठाकर **संवैधानिक नैतिकता** और लोक कल्याण का संरक्षक बना देती है।

मुख्य भाग:

'केवल एक पेशा' के रूप में सिविल सेवा की सीमाएँ

जब कोई प्रशासक अपने पद को केवल 9 से 5 की नौकरी के रूप में देखता है तो वह **मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित कानूनी-तर्कसंगत ढाँचे** के भीतर ही कार्य करता है। हालाँकि यह मानकीकरण सुनिश्चित करता है, यह लोक कल्याण को गंभीर रूप से सीमित कर देता है।

- **नौकरशाही उदासीनता:** केवल पेशागत दृष्टिकोण नियमों के कठोर पालन की ओर ले जाता है, जिससे लालफीताशाही और असंवेदनशीलता उत्पन्न होती है।
  - एक नागरिक आवश्यकताओं वाला एक मानव न रहकर केवल '**फाइल नंबर**' बनकर रह जाता है।
- **न्यूनतम दृष्टिकोण:** एक पेशेवर केवल अपने कार्य विवरण में स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्य ही करता है।
  - उनमें कर्त्तव्य की सीमा से परे जाकर जटिल, प्रणालीगत सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने की आंतरिक प्रेरणा का अभाव होता है।

नैतिक प्रतिबद्धता की मांग करने वाले नैतिक आधार

सिविल सेवा के मूलभूत मूल्य (**जैसा कि नोलन समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) द्वारा निर्दिष्ट किया है**) गहराई से नैतिकता में निहित हैं, यह साबित करते हुए कि यह पद स्वभावतः एक नैतिक उत्तरदायित्व है।

- **कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति और करुणा**
  - **पेशागत दृष्टिकोण:** मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, सभी के साथ समान व्यवहार करना।
  - **नैतिक प्रतिबद्धता:** यह स्वीकार करना कि भारतीय समाज गहराई से असमान है। वास्तविक न्याय समानुभूति की मांग करता है, यानी हाशिये पर पड़े व्यक्ति की स्थिति को समझने की क्षमता।
    - करुणा अधिकारी को प्रेरित करती है कि वह एक निर्धन विधवा के लिये सक्रिय रूप से समाधान खोजे, जिसके पास पेंशन के लिये आवश्यक सही दस्तावेज़ नहीं हैं, बजाय इसके कि वह केवल उसकी फाइल अस्वीकार कर दे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लोक सेवा के प्रति समर्पण**
  - **पेशागत दृष्टिकोण:** कार्यालय समय के दौरान अपने कर्त्तव्यों का पालन करना।
  - **नैतिक प्रतिबद्धता:** समाज की सेवा करने के लिये आंतरिक, अडिग प्रेरणा, जो अक्सर व्यक्तिगत सुविधा की कीमत पर होती है।
    - **उदाहरण: IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पामे (मणिपुर के 'चमत्कार पुरुष')** ने सरकारी निधियों की प्रतीक्षा किये बिना क्राउडफंडिंग के माध्यम से 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया।
    - यह उनके 'पेशे' के अनुसार आवश्यक नहीं था; इसे उनकी नैतिक प्रतिबद्धता ने प्रेरित किया था।
- **शुचिता और न्यासिता का सिद्धांत**
  - **पेशागत दृष्टिकोण:** अपनी नौकरी और पेंशन की सुरक्षा के लिये रिश्वत न लेना।
  - **नैतिक प्रतिबद्धता:** महात्मा गांधी के न्यासिता के सिद्धांत में विश्वास करना। एक नैतिक सिविल सेवक समझता है कि सार्वजनिक धन, अधिकार और संसाधन उसके अपने नहीं हैं; वह इन्हें जनता के लिये न्यासी के रूप में धारण करता है।
    - शुचिता यह सुनिश्चित करती है कि ईमानदारी के उच्चतम आदर्शों का कठोर पालन हो, तब भी जब कोई देख न रहा हो।
- **विवेकाधीन शक्तियों में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता**
  - **पेशागत दृष्टिकोण:** केवल मापनीय डेटा के आधार पर निर्णय लेना।
  - **नैतिक प्रतिबद्धता: कांट के सार्वभौमिक नियम** का पालन करते हुए ऐसे निर्णय लेना जो प्रत्येक मानव की गरिमा का सम्मान करें।
    - जब कोई अधिकारी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है तो नैतिक प्रतिबद्धता से बंधा अधिकारी राजनीतिक दबाव, भाई-भतीजावाद और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का विरोध करेगा और केवल समाज के व्यापक हित में कार्य करेगा।
    - जब सिविल सेवा नैतिक प्रतिबद्धता पर आधारित होती है तो प्रशासन **प्रतिक्रियाशील से सक्रिय की ओर** विकसित हो जाता है।
- केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बजाय, प्रशासक सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्त्ता बन जाते हैं।
- **यह राज्य और नागरिकों के बीच 'विश्वास की कमी' को कम करता है।** जब लोग अधिकारियों को नैतिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए देखते हैं तो उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास मज़बूत होता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, "वे ही जीवित रहते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं।" भारत के इस स्टील फ्रेम को केवल नियमों और विनियमों की लोहे की ताकत से नहीं बांधा जा सकता; इसके लिये समानुभूति, सत्यनिष्ठा और समर्पण की बुनियाद की आवश्यकता है। एक सिविल सेवक जो अपने पद को नैतिक प्रतिबद्धता के रूप में देखता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य केवल अपने नागरिकों पर शासन न करे, बल्कि वास्तव में उनकी चिंता करे और कल्याणकारी राज्य का परम कर्त्तव्य पूरा करे।

प्रश्न: नियम आचरण का मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु मूल्य नैतिकता को स्थायी आधार प्रदान करते हैं। नैतिक शासन को बढ़ावा देने में नियमों और मूल्यों की सापेक्ष भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत मूल्यों और नियमों की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि नियम किस प्रकार आचरण को दिशा और नियंत्रण प्रदान करते हैं।
- इसके बाद तर्क दीजिये कि मूल्य किस प्रकार नैतिकता को बनाए रखते हैं और उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं।
- अंत में, नैतिक शासन को बढ़ावा देने में नियमों और मूल्यों की सापेक्ष भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

शासन के क्षेत्र में **नियम** प्रशासन की संहिताबद्ध **'कार्यप्रणाली'** का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो व्यवहार के लिये एक सुव्यवस्थित ढाँचा प्रदान करते हैं; जबकि **मूल्य** उस **'नैतिक दिशा-सूचक'** के रूप में कार्य करते हैं, जो इन संरचनाओं को अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं।

- नियम पूर्वानुमेयता और मानक कार्यप्रणालियों को सुनिश्चित करते हैं, जबकि **मूल्य यह सुनिश्चित करते हैं कि जटिल परिस्थितियों में भी कानून की भावना जैसे न्याय, ईमानदारी और सहानुभूति सुरक्षित बनी रहे।**

मुख्य भाग:

नियम किस प्रकार आचरण का मार्गदर्शन करते हैं:

नियम किसी संगठन के **बाहरी संरचनात्मक समर्थन** के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशासनिक कार्यवाही **वैधता और एकरूपता** की सीमाओं के भीतर बनी रहे।

- **मानकीकरण और पूर्वानुमेयता: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम** जैसे प्रावधान व्यवहार के लिये समान आधार निर्धारित करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिकों को हर अधिकारी के साथ समान व्यवहार मिले और नौकरशाही की **व्यक्तिगत मनमानी** कम हो।
- **अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण:** संहिताबद्ध नियम **सत्ता के अतिक्रमण** को रोकते हैं। "क्या करना है और क्या नहीं करना है" को स्पष्ट करके नियम अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से भी सुरक्षा देते हैं और निर्णय-निर्माण में कमांड की शृंखला को स्पष्ट करते हैं।
- **निष्पक्ष जवाबदेही तंत्र:** नियम ऑडिट और न्यायिक समीक्षा के लिये एक **मानक मापदंड** प्रदान करते हैं। कदाचार के मामलों में नियम-आधारित ढाँचे (जैसे **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**) की मौजूदगी निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित अनुशासनात्मक प्रक्रिया को संभव बनाती है, न कि मनमाने दंड को।
- **संज्ञानात्मक पक्षपात को कम करना:** औपचारिक प्रक्रियाएँ, जैसे **ई-टेंडरिंग नियम** या एल्गोरिद्मिक चेकलिस्ट, संसाधनों के आवंटन में मानवीय पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता करती हैं और सार्वजनिक व्यय में **प्रक्रियात्मक शुचिता** को बनाए रखती हैं।

मूल्य किस प्रकार नैतिकता को बनाए रखते हैं:

मूल्य व्यवहार के आंतरिक प्रेरक तत्त्व होते हैं। वे उन 'खामोशियों' को भरते हैं जहाँ कानून या नियम अनुपस्थित, अस्पष्ट या पुराने हो जाते हैं।

- **'ग्रे ज़ोन' में मार्गदर्शन:** नियम हर संकट या परिस्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ऐसे मामलों में **करुणा** और **लोकहित** जैसे मूल्य अधिकारियों को नैतिक रूप से सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन देते हैं, भले ही कोई स्पष्ट नियम या मार्गदर्शिका उपलब्ध न हो।
- **नियम-आधारित अन्याय को रोकना:** नियमों पर अत्यधिक निर्भरता **लालफीताशाही** को जन्म दे सकती है। **सार्थक न्याय** जैसे मूल्य एक नैतिक नेता को कठोर औपचारिकताओं से आगे बढ़कर निर्णय लेने के लिये प्रेरित करते हैं, विशेषकर तब जब वे किसी वंचित नागरिक के मूल अधिकारों में बाधा बन रही हों। इससे कानून के **'अक्षर'** की बजाय उसकी **'भावना'** को प्राथमिकता मिलती है।
- **आत्म-नियमन का विकास:** जहाँ नियम बाहरी भय (दंड) पर आधारित होते हैं, वहीं मूल्य **अंतरात्मा** पर आधारित होते हैं। ईमानदारी से प्रेरित अधिकारी तब भी रिश्वत लेने से इंकार करेगा जब पकड़े जाने की कोई संभावना न हो, जिससे प्रशासन के **अदृश्य या अंधेरे हिस्सों** में भी नैतिकता बनी रहती है।
- **संस्थागत विश्वास का निर्माण: पारदर्शिता** और **ईमानदारी** ऐसे मूल्य हैं जिन्हें पूरी तरह कानून के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। जब नेतृत्व इन मूल्यों को अपने आचरण में अपनाता है तो वह एक नैतिक संस्कृति का निर्माण करता है, जो अधीनस्थों को प्रेरित करती है और एक **सकारात्मक नैतिक चक्र** को उत्पन्न करती है, जिसे केवल नियमों के माध्यम से स्थापित करना संभव नहीं होता।

नैतिक शासन को बढ़ावा देने में सापेक्ष भूमिकाएँ:

नियम और मूल्यों के बीच समन्वय एक मज़बूत **'नैतिक अवसंरचना'** का निर्माण करता है, जहाँ एक ढाँचा प्रदान करता है और दूसरा उसे आत्मा प्रदान करता है।

- **नियम आधार के रूप में, मूल्य शिखर के रूप में:** नियम व्यवहार के लिये न्यूनतम स्वीकार्य मानक निर्धारित करते हैं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

(गलत आचरण को रोकते हैं), जबकि मूल्य उत्कृष्टता और उच्चतम नैतिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिये प्रेरित करते हैं।

- **दुराशयपूर्ण अनुपालन का सुधार:** कई बार व्यक्ति नियमों का औपचारिक पालन तो करता है, लेकिन उनके वास्तविक उद्देश्य या भावना की अवहेलना कर देता है। ऐसे में, मूल्य एक **संशोधक शक्ति** के रूप में कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नियमों के तहत प्राप्त प्रशासनिक विवेकाधिकार का प्रयोग **जनहित में** किया जाए।
- **डिजिटल युग में अनुकूलनशीलता:** एल्गोरिद्मिक शासन के दौर में AI से जुड़े नियम जल्दी अप्रासंगिक हो सकते हैं। इसलिये **निष्पक्षता** और **जवाबदेही** जैसे मूल्यों को तकनीक के 'कोड' में ही समाहित करना आवश्यक है, ताकि तकनीक मानवता की सेवा कर सके।
- **संघर्ष समाधान:** जब दो नियमों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तब मूल्य **प्राथमिकता निर्धारण का आधार** प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये, जब **गोपनीयता** का नियम **सार्वजनिक सुरक्षा** से टकराता है, तब **जवाबदेही** का मूल्य किसी व्हिसलब्लोअर को नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन देता है।
- **अनुपालन से प्रतिबद्धता की ओर:** नियम **अनुपालन** सुनिश्चित करते हैं (कार्य सही तरीके से करना), जबकि मूल्य **प्रतिबद्धता** सुनिश्चित करते हैं (सही कार्य करना)। नैतिक शासन के लिये प्रक्रिया में **दक्षता** और परिणाम में **न्यायसंगतता** दोनों आवश्यक हैं।
- **'स्ट्रीट-लेवल' नौकरशाही का सुदृढ़ीकरण:** राज्य और नागरिक के प्रत्यक्ष संपर्क के स्तर पर नियम कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि **सहानुभूति** जैसे मूल्य नेतृत्व को वैधता प्रदान करते हैं, विशेषकर भारत जैसे विविध समाज में।

निष्कर्ष

नैतिक शासन उस पक्षी के समान है जो दो पंखों पर उड़ता है—एक ओर नियमों की वैधता और दूसरी ओर मूल्यों की वैधता एवं स्वीकार्यता। जहाँ नियम सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिये आवश्यक **'नियंत्रण और संतुलन'** प्रदान करते हैं, वहीं मूल्यों की आंतरिक शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि राज्य एक **संवेदनशील और न्यायपूर्ण इकाई** बना रहे। वर्ष 2026 के विकसित होते परिदृश्य में लक्ष्य केवल **'दंड आधारित संस्कृति'** से आगे बढ़कर **'चरित्र आधारित संस्कृति'** की ओर अग्रसर होना है।

प्रश्न: "लोक सेवा में, सहानुभूति कोई 'कोमल गुण' नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रशासनिक शक्ति है। शासन की प्रभावशीलता बढ़ाने में सहानुभूति की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत सहानुभूति की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में तर्क दीजिये कि सहानुभूति केवल एक कोमल गुण नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रशासनिक शक्ति है।
- इसके बाद स्पष्ट कीजिये कि सहानुभूति किस प्रकार शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक सेवा में **सहानुभूति** वह संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमता है, जिसके माध्यम से एक प्रशासक नागरिकों के दृष्टिकोण से, विशेषकर समाज के **हाशिये पर खड़े लोगों** के दृष्टिकोण से विश्व को समझने का प्रयास करता है।

- यह केवल सहानुभूति प्रकट करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि **'सक्रिय सुनने'** और **'समावेशी नीति-निर्माण'** को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग **मानवीय पीड़ा तथा आकांक्षाओं की गहरी समझ** के साथ किया जाए।

मुख्य भाग:

सहानुभूति: एक परिवर्तनकारी प्रशासनिक शक्ति

सहानुभूति को केवल एक **'कोमल' या वैकल्पिक गुण** मानने के बजाय इसे एक **व्यावहारिक उपकरण** के रूप में समझना चाहिये, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार संवाद और व्यवहार करता है।

- **अंतिम छोर को मानवीय बनाना:** एल्गोरिद्मिक शासन (2026) के दौर में सहानुभूति लाभार्थियों के **अमानवीकरण** को रोकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह सुनिश्चित करती है कि जब किसी वृद्ध पेंशनभोगी का बायोमेट्रिक सत्यापन विफल हो जाए **तो प्रशासक केवल प्रणालीगत अस्वीकृति न देकर मानवीय समाधान खोजने का प्रयास करे।**

- **नवाचार के लिये उत्प्रेरक:** सहानुभूतिपूर्ण प्रशासक केवल नियम-पुस्तिकाओं का पालन नहीं करते, बल्कि '**डिज़ाइन थिंकिंग**' अपनाते हैं।
  - किसी जनजातीय महिला या गिग वर्कर के वास्तविक जीवन अनुभवों को समझकर वे जटिल सरकारी योजनाओं के लिये **सरल और उपयोगकर्त्ता-केंद्रित इंटरफेस** विकसित करते हैं।
- **संघर्ष को कम करना और शांति निर्माण: मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों** में या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में सहानुभूति एक ज़िला कलेक्टर को केवल 'मजिस्ट्रेट' नहीं बल्कि एक '**मध्यस्थ**' के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है, जो संवाद के माध्यम से उन पुलों का निर्माण करता है जिन्हें **प्रायः केवल सुरक्षा-प्रथम दृष्टिकोण नष्ट कर देता है।**
- **संकट प्रबंधन में अनुकूलन:** जलवायु-जनित आपदाओं (जैसे 2025 की हीटवेव) के दौरान सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि **मानक संचालन प्रक्रियाएँ** सबसे कमज़ोर वर्गों जैसे बेघर लोगों और खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दें, जिससे कठोर नौकरशाही एक **उत्तरदायी तथा संवेदनशील राहत तंत्र** में परिवर्तित हो जाती है।

शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाना

सहानुभूति प्रशासन की मशीनरी में उस 'तेल' की तरह है जो घर्षण को कम करता है और '**विश्वास की गति**' को बढ़ाता है।

- **जन-विश्वास और वैधता को सुदृढ़ करना:** जब नागरिक स्वयं को '**सुना हुआ' और 'समझा हुआ**' महसूस करते हैं तो **सरकार (Sarkar) और समाज (Samaj)** के बीच की दूरी कम हो जाती है।
  - यह सामाजिक पूंजी स्वैच्छिक अनुपालन उपायों जैसे कर-भुगतान या सार्वजनिक स्वास्थ्य टीकाकरण की सफलता के लिये अत्यंत आवश्यक है, जहाँ '**प्रेरणा (Nudge)' प्रायः 'जबरदस्ती (Shove)' से अधिक प्रभावी होती है।**
- **कल्याण योजनाओं में बहिष्करण त्रुटियों को कम करना:** सहानुभूतिपूर्ण शासन '**औपचारिक समानता' की अपेक्षा 'वास्तविक/सार्थक समानता**' को प्राथमिकता देता है।
  - **PwD (दिव्यांगजन) या LGBTQ+ समुदाय** द्वारा झेली जाने वाली संरचनात्मक बाधाओं को समझते हुए प्रशासक यह सुनिश्चित करते हैं कि **PM-Kisan** या **आयुष्मान भारत** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वाभाविक रूप से सुलभ और समावेशी हों।
- **'स्ट्रीट-लेवल' नौकरशाही की दक्षता में सुधार:** दक्षता को प्रायः '**आउटपुट**' से मापा जाता है, लेकिन **प्रभावशीलता 'आउटकम' से मापी जाती है।**
  - एक सहानुभूतिपूर्ण अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्त्ता (**जैसे ASHA या ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ता) ऐसा विश्वास और संवाद स्थापित करता है जिससे पोषण स्तर में सुधार तथा संस्थागत प्रसव बढ़ते हैं।** इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जो केवल डेटा-एंट्री से संभव नहीं है।
- **प्रशासनिक विवेकाधिकार का नैतिक उपयोग:** कई बार जटिल मानवीय परिस्थितियों पर नियम मौन रहते हैं।
  - ऐसी स्थिति में सहानुभूति '**नैतिक दिशा-सूचक**' प्रदान करती है, जिससे विवेकाधिकार का उपयोग '**समानता' के बजाय 'न्यायसंगतता/समता**' के साथ किया जाता है जो भारत जैसे विविध और स्तरीकृत समाज के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- **कर्मचारियों का मनोबल और आंतरिक शासन को सुदृढ़ करना:** सहानुभूति केवल नागरिकों के प्रति ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक पदानुक्रम के भीतर भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।
  - सिविल सेवाओं में '**करुणामय नेतृत्व**' की शैली थकान को कम करती है और '**मनोवैज्ञानिक सुरक्षा**' की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिससे अधीनस्थ बिना डर के गलतियों की सूचना दे सकते हैं तथा रचनात्मक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सूचित नीति-निर्माण और प्रतिक्रिया तंत्र:** शासन तब सबसे प्रभावी होता है जब वह डेटा-आधारित होने के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण से संचालित हो।
  - सहानुभूति प्रशासकों को '**सामाजिक अंकेक्षण**' करने और '**नीचे से ऊपर**' **प्रतिक्रिया** लेने के लिये प्रेरित करती है, जिससे राजधानी में बनाई गई नीतियाँ केवल '**आइवरी टॉवर**' की कल्पना न होकर स्थानीय स्तर की वास्तविक पीड़ा तथा आवश्यकताओं पर आधारित हों।

निष्कर्ष:

सहानुभूति एक '**नियम-आधारित नौकरशाही**' को '**उत्तरदायी प्रशासन**' में परिवर्तित कर देती है, जिससे यह **नैतिक शासन** का मूल आधार बन जाती है। जैसे-जैसे हम तकनीक-प्रधान 2026 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह '**उच्च तकनीक**' को '**मानवीय स्पर्श**' के साथ किस प्रकार जोड़ता है, ताकि विकास की प्रक्रिया में सबसे कमज़ोर और वंचित वर्ग पीछे न छूट जाए।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न: " कार्यकुशलता व्यवस्थाओं को बेहतर बनाती है, लेकिन मूल्य समाज को बनाए रखते हैं।"

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **मार्टिन लूथर किंग जूनियर:** "हमारी वैज्ञानिक शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति से आगे निकल चुकी है। हमारे पास निर्देशित मिसाइलें हैं, लेकिन भटके हुए मनुष्य हैं।"
- **पीटर ड्रकर:** "उस काम को कुशलता से करना, जिसे किया ही नहीं जाना चाहिये, उससे अधिक निरर्थक कुछ नहीं है।"
- **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी तकनीक हमारी मानवता से आगे निकल चुकी है।"

परिचय: कथन की व्याख्या

- आधुनिक समाजों में दक्षता जैसे गति, उत्पादन, लागत में न्यूनता और अनुकूलन को लगातार अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।
- यद्यपि दक्षता प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाती है, **परंतु केवल दक्षता ही सामाजिक एकता या वैधता सुनिश्चित नहीं कर सकती।**
- **न्याय, विश्वास, करुणा और गरिमा** जैसे मूल्य समाज को नैतिक दिशा तथा निरंतरता प्रदान करते हैं।
- यह कथन रेखांकित करता है कि **दक्षता एक साधन है, जबकि मूल्य सामाजिक स्थायित्व की आधारशिला हैं।**

संकल्पनात्मक एवं दार्शनिक आधार

- दक्षता एक साधनात्मक विवेक के रूप में
  - दक्षता का आशय न्यूनतम संसाधनों के उपयोग से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना है।
  - मैक्स वेबर के अनुसार अत्यधिक तर्कप्रधान व्यवस्था समाज को अर्थ और मानवीय संवेदना से विहीन एक '**लौह पिंजरे**' में जकड़ सकती है।
- **मूल्य नैतिक आधार-रचना के रूप में**
  - मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि **किसका और किस उद्देश्य से अनुकूलन किया जाना चाहिये।**
  - अरस्तू ने **केवल प्रशासनिक कुशलता से आगे बढ़कर, पोलिस (नगर-राज्य) के स्थायित्व के लिये नैतिकता को केंद्रीय माना।**
- **भारतीय नैतिक दृष्टिकोण**
  - धर्म की अवधारणा क्षमता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करती है।
  - मूल्यों के बिना शासन को वैधता से रहित शक्ति के रूप में देखा जाता है।

व्यवहार में दक्षता: लाभ और सीमाएँ

- प्रशासनिक एवं आर्थिक दक्षता
  - **डिजिटल शासन, स्वचालित प्रणालियों और मानकीकृत प्रक्रियाओं** के माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
  - भारत की **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली** ने लीकेज को कम किया और **₹3.48 लाख करोड़ से अधिक की बचत की।**
- **कॉरपोरेट एवं बाज़ार दक्षता**
  - **लीन उत्पादन और एल्गोरिद्मिक प्रबंधन** से उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
  - हालाँकि, अत्यधिक दक्षता ने **रोज़गार असुरक्षा और बर्नआउट** जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा दिया है।
- **संकट प्रतिक्रिया**
  - **कोविड-19 के दौरान कुशल लॉजिस्टिक्स** ने टीकों के त्वरित वितरण को संभव बनाया।
  - फिर भी सहानुभूतिपूर्ण योजना के अभाव में प्रारंभिक चरण में प्रवासी संकट बढ़ा, जिससे केवल दक्षता पर निर्भर रहने की सीमाएँ उजागर हुईं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

समाज की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने में मूल्यों का महत्त्व

- **विश्वास और सामाजिक एकता**
  - समाज विश्वास पर आधारित होते हैं, **जिसे न तो स्वचालित किया जा सकता है और न ही अनुकूलित।**
  - **एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर** के निष्कर्ष निरंतर यह संकेत देते हैं कि संस्थाओं पर विश्वास की बुनियाद नैतिक आचरण और सत्यनिष्ठा पर टिकी होती है।
- **न्याय और समावेशन**
  - कुशल प्रणालियाँ उन संवेदनशील समूहों को बाहर कर सकती हैं **जिनके पास पहुँच या साक्षरता का अभाव होता है।**
  - मूल्य शासन में अनुकूलन, समायोजन और गरिमा सुनिश्चित करते हैं।
- **अंतर-पीढ़ीगत निरंतरता**
  - मूल्य पीढ़ियों के बीच **सामूहिक स्मृति और उद्देश्य का संचार** करते हैं।
  - जब मानदंड और नैतिकता किसी व्यक्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, तब संस्थाएँ नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद कायम रहती हैं।

समकालीन चुनौतियाँ

- **नैतिकता के बिना प्रौद्योगिकी**
  - एल्गोरिद्मिक निर्णय-निर्माण में पक्षपात और अमानवीकरण का जोखिम रहता है।
  - नैतिक निगरानी के अभाव में दक्षता कल्याण के बजाय हानि को बढ़ा देती है।
- **पर्यावरणीय सीमाएँ**
  - संसाधनों के कुशल दोहन ने **पारिस्थितिक क्षरण की गति को तीव्र किया है।**
  - स्थिरता के लिये मात्र अनुकूलन नहीं, बल्कि **मूल्य-आधारित संयम की आवश्यकता है।**

नैतिक समन्वय

- दक्षता '**कितनी तेज़ी से**' और '**कितना**' जैसे प्रश्नों का उत्तर देती है।
- मूल्य '**क्यों**' और '**किसके लिये**' जैसे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं।
- जब दक्षता का संचालन नैतिक उद्देश्यों के मार्गदर्शन में होता है, तब समाज दीर्घकालिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं।

निष्कर्ष

दक्षता प्रणालियों को सुदृढ़ बना सकती है, किंतु समाज को बनाए रखने का कार्य केवल मूल्य ही करते हैं। बिना नैतिक आधार के, अनुकूलन परायापन और असमानता की ओर ले जाता है। सतत प्रगति के लिये तकनीकी दक्षता को नैतिक दृष्टि के साथ संरेखित करना आवश्यक है। **जो समाज मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, वे सुनिश्चित करते हैं कि दक्षता मानवता की सेवा करे, उसका स्थान न ले।**

प्रश्न: "नैतिक संयम के बिना स्वतंत्रता, असमानता का ही एक अन्य रूप बन जाती है।"

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **महात्मा गांधी:** "स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं, यदि उसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल न हो।"
- **आइज़िया बर्लिन:** "भेड़ियों के लिये स्वतंत्रता का अर्थ अक्सर भेड़ों की मृत्यु होता है।"
- **डॉ. बी. आर. आंबेडकर:** "मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है।"

परिचय: कथन की व्याख्या

- स्वतंत्रता मानव गरिमा, स्वायत्तता और प्रगति का केंद्रीय आधार है।
- परंतु नैतिक संयम के बिना प्रयोग की गई स्वतंत्रता शक्तिशाली वर्गों को विशेषाधिकार प्रदान कर सकती है और कमज़ोरों को हाशिए पर धकेल सकती है।
- यह कथन तर्क देता है कि अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रायः असमानता को कम करने के बजाय उसे पुनः उत्पन्न करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वास्तविक स्वतंत्रता के लिये **उत्तरदायित्व, विवेक और नैतिक सीमाएँ** आवश्यक हैं।

दार्शनिक एवं नैतिक आधार

- **नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता**
  - **आइज़िया बर्लिन** ने बंधनों से मुक्ति की स्वतंत्रता और अपनी क्षमता को साकार करने की स्वतंत्रता के बीच भेद किया।
  - नैतिक संयम यह सुनिश्चित करता है कि **स्वतंत्रता शोषणकारी नहीं, बल्कि सशक्त करने वाली बने।**
- भारतीय चिंतन
  - धर्म अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों का समन्वय करता है।
  - महात्मा गांधी स्वतंत्रता को **आत्म-अनुशासन और नैतिक उत्तरदायित्व से अविभाज्य मानते थे।**
- **नैतिक समानता**
  - संयम के बिना स्वतंत्रता शक्तिशाली पक्षों को कमज़ोरों पर प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर देती है।
  - नैतिकता स्वतंत्रता के प्रयोग में न्याय और समता सुनिश्चित करती है।

व्यवहार में स्वतंत्रता और असमानता

- आर्थिक स्वतंत्रता
  - उदारीकृत बाज़ारों ने अवसरों का विस्तार किया, लेकिन **साथ ही आय असमानताओं को भी बढ़ाया।**
  - विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 10% लोगों के पास **वैश्विक संपत्ति का 76% से अधिक हिस्सा है।**
- **डिजिटल स्वतंत्रता**
  - डिजिटल मंचों पर निर्बाध अभिव्यक्ति ने जन-सामान्य के स्वरों को सशक्तीकरण प्रदान किया है।
  - किंतु अनियंत्रित डिजिटल स्वतंत्रता ने दुष्प्रचार, घृणा भाषण और उत्पीड़न को भी बढ़ावा दिया है, जिसका असमान रूप से नुकसान अल्पसंख्यकों को होता है।
- **पर्यावरणीय स्वतंत्रता**
  - संयमहीन उपभोग की स्वतंत्रता ने जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या को जन्म दिया है।
  - **सबसे अमीर 1% लोगों का उत्सर्जन सबसे गरीब 50% से अधिक है,** जो 'स्वतंत्र' उपभोग के असमान दुष्परिणामों को दर्शाता है।

नैतिक संयम की भूमिका

- **नैतिक ढाँचे के रूप में विनियमन**
  - कानून, सामाजिक मानदंड और संस्थाएँ स्वतंत्रता को सामूहिक हित की दिशा में प्रवाहित करती हैं।
  - नैतिक विनियमन शक्ति के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकता है।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व**
  - स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय दूसरों पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों का ध्यान रखना आवश्यक है।
  - उत्तरदायी नागरिकता स्वतंत्रता को साझा समृद्धि में परिवर्तित करती है।
- **प्रौद्योगिकी और नैतिकता**
  - AI और डेटा की स्वतंत्रता के लिये भेदभाव तथा निगरानी को रोकने हेतु नैतिक सीमाएँ आवश्यक हैं।
  - संयम, **गरिमा और समानता की रक्षा** करता है।

समकालीन प्रासंगिकता

- **सोशल मीडिया और लोकतंत्र**
  - अनियंत्रित अभिव्यक्ति **सार्वजनिक विमर्श को विकृत कर सकती है।**
  - नैतिक मानदंड **बहुलवाद और सत्य की रक्षा** करते हैं।
- **वैश्विक असमानता**
  - सीमाओं के पार पूंजी के निर्बाध प्रवाह से मुख्यत: गतिशील और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही लाभ होता है।
  - नैतिक शासन **पुनर्वितरण और सामाजिक संरक्षण** सुनिश्चित करता है।

नैतिक समन्वय

- स्वतंत्रता विकल्पों का विस्तार करती है, जबकि **नैतिकता न्याय सुनिश्चित करती है।**
- अनियंत्रित स्वतंत्रता पहले से ही शक्तिशाली वर्गों को और अधिक सशक्त बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- नैतिक संयम अवसरों को समान बनाता है और **मानवीय गरिमा की रक्षा** करता है।

निष्कर्ष

नैतिक नियंत्रण के अभाव में स्वतंत्रता उद्धार का माध्यम नहीं बनती, बल्कि समाज में विभाजन और असमान स्तरों को जन्म देती है। जब स्वतंत्रता को उत्तरदायित्व से अलग कर दिया जाता है तो वह असमानता का साधन बन जाती है। जो समाज स्वतंत्रता को विवेक के साथ संतुलित करते हैं, वे उसे सभी के लिये न्याय और अवसर में परिवर्तित कर देते हैं। **वास्तविक स्वतंत्रता सीमाओं के अभाव में नहीं, बल्कि नैतिक उद्देश्य की उपस्थिति में फलती-फूलती है।**

प्रश्नः "क्षमताएँ अवसर उत्पन्न करती हैं, लेकिन चरित्र परिणाम निर्धारित करता है।"

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **अल्बर्ट आइंस्टीनः** "सफल व्यक्ति बनने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने का प्रयास करें।"
- **जॉन वुडनः** "क्षमता आपको शिखर तक पहुँचा सकती है, लेकिन वहाँ टिके रहने के लिये चरित्र आवश्यक होता है।"
- **मार्टिन लूथर किंग जूनियरः** "बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र—यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है।"

परिचयः कथन की व्याख्या

- **क्षमताएँः** जैसे **कौशल, शिक्षा, संसाधन और बुद्धिमत्ता** अवसरों के द्वार खोलती है तथा संभावनाएँ उत्पन्न करती हैं।
- **किंतु केवल अवसरों की उपलब्धता से ही सकारात्मक या न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित नहीं होते।**
- चरित्र, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता, सहानुभूति और आत्म-अनुशासन ही यह निर्धारित करते हैं कि क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाता है।
- यह कथन इस तर्क पर ज़ोर देता है कि सफलता और सामाजिक प्रभाव इस पर कम निर्भर करते हैं कि व्यक्ति 'क्या कर सकता है' तथा इस पर अधिक करते हैं कि वह 'कैसा आचरण चुनता है'।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **क्षमता बनाम नैतिक अभिकर्तृत्व**
  - **क्षमताएँ विकल्पों का विस्तार करती हैं, लेकिन चरित्र यह नियंत्रित करता है कि उन विकल्पों का चयन कैसे किया जाए।**
  - अरस्तू के अनुसार संभाव्यता तभी साकारता में बदलती है, **जब उसे सद्गुणों का मार्गदर्शन प्राप्त हो तथा यही प्रक्रिया क्षमता को उत्कृष्टता में रूपांतरित करती है।**
- **भारतीय नैतिक चिंतन**
  - **भगवद् गीता** कर्म को धर्म द्वारा निर्देशित मानती है तथा धर्म के बिना क्षमता विनाश की ओर ले जाती है।
  - **स्वामी विवेकानंद** ने शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य **चरित्र-निर्माण** को बताया।
- **आधुनिक दृष्टिकोण**
  - **अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण स्वतंत्रता का विस्तार करता है,** किंतु उसके परिणाम उस स्वतंत्रता के नैतिक उपयोग पर निर्भर करते हैं।
  - **क्षमता** मूल्य-निरपेक्ष होती है, जबकि **चरित्र** मूल्य-संपृक्त (Value-laden) होता है।

चरित्र के बिना क्षमताएँ: जोखिम और विफलताएँ

- **आर्थिक एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र**
  - नैतिकता के अभाव में उच्च तकनीकी दक्षता ने वित्तीय घोटालों और पर्यावरणीय क्षति को जन्म दिया है।
  - कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के उदाहरण दर्शाते हैं कि जब कौशल और बुद्धिमत्ता को सत्यनिष्ठा से अलग कर दिया जाता है तो वे **विश्वास तथा संपत्ति दोनों को नष्ट कर देते हैं।**
- **राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व**
  - संस्थागत शक्ति क्षमता प्रदान करती है, जबकि **चरित्र जवाबदेही सुनिश्चित करता है।**
  - इतिहास साक्ष्य देता है कि नैतिक संयम के अभाव में सक्षम प्रशासक भी दमन के साधन बन सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रौद्योगिकी और विज्ञान**
  - वैज्ञानिक क्षमता ने **परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धियाँ दीं, लेकिन साथ ही सामूहिक विनाश के हथियार भी बनाए।**
  - **परिणाम तकनीकी प्रतिभा पर नहीं, बल्कि नैतिक अभिप्राय पर निर्भर करते हैं।**

परिणामों का निर्धारक के रूप में चरित्र

- **सार्वजनिक जीवन और शासन**
  - ईमानदार नेतृत्व सीमित संसाधनों को भी सार्थक परिणामों में बदल देता है।
  - शासन से जुड़े अनुभवजन्य अध्ययन दर्शाते हैं कि **कई संदर्भों में कमज़ोर सेवा-प्रदान का मुख्य कारण क्षमता की कमी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार होता है।**
- **सामाजिक गतिशीलता**
  - यद्यपि शिक्षा और कौशल अवसरों को जन्म देते हैं, परंतु **निरंतर सफलता को अनुकूलन तथा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है।**
  - चरित्र विश्वास का निर्माण करता है, जो **सामूहिक प्रगति का एक प्रमुख प्रेरक तत्त्व है।**
- **संस्थाएँ और समाज**
  - संस्थाएँ तब स्थायी बनती हैं, जब **व्यक्ति नैतिक सुसंगति के साथ कार्य करते हैं।**
  - **चरित्र, क्षमता को वैधता में रूपांतरित कर देता है।**

समकालीन प्रासंगिकता

- **योग्यतावाद पर बहस**
  - केवल क्षमता पर आधारित मेरिट नैतिक उत्तरदायित्व की अनदेखी करने का जोखिम रखती है।
  - समाज तेज़ी से इस आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं कि नेतृत्व **मूल्य-आधारित** होना चाहिये।
- **युवा और शिक्षा**
  - नैतिक आधार के बिना केवल **कौशल-केंद्रित शिक्षा** नागरिकता के बजाय मात्र **रोज़गार-योग्यता उत्पन्न** करती है।
  - **चरित्र शिक्षा** सामाजिक रूप से **उत्तरदायी परिणाम** सुनिश्चित करती है।
- **वैश्विक चुनौतियाँ**
  - **जलवायु परिवर्तन, असमानता और AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का शासन** तकनीकी क्षमता के साथ-साथ **नैतिक संयम** की मांग करता है।
  - चरित्र के अभाव में क्षमता, **क्षति को और तेज़ी से बढ़ा देती है।**

नैतिक समन्वय

- क्षमताएँ **कार्य की संभावनाओं और दायरे का विस्तार करती हैं।**
- **चरित्र** कार्य की **दिशा, सीमाएँ और परिणाम** निर्धारित करता है।
- जब **दक्षता को अंतरात्मा का मार्गदर्शन** प्राप्त होता है, तभी सतत और सार्थक परिणाम उत्पन्न होते हैं।

निष्कर्ष

क्षमताएँ भले ही अवसरों के द्वार खोल दे, **किंतु यह चरित्र ही तय करता है कि वे द्वार प्रगति की ओर ले जाएंगे या विनाश की ओर।** जो समाज केवल कौशल में निवेश करते हैं, वे अनजाने में क्षति को सशक्त बना सकते हैं; **जबकि जो समाज क्षमता के साथ-साथ चरित्र का भी संवर्द्धन करते हैं, वे अवसरों को स्थायी और सार्थक परिणामों में बदल देते हैं।** वास्तविक उन्नति इस तर्क में निहित नहीं है कि मनुष्य क्या कर सकता है, बल्कि इस तर्क में है कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे और किन मूल्यों के साथ करता है।

प्रश्न: "त्वरित प्रतिक्रियाओं के इस युग में विचारशील संयम क्रांतिकारी है।"

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **महात्मा गांधी:** "विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं।"
- **ब्लेज़ पास्कल:** "मानव जाति की सारी समस्याएँ मनुष्य की इस अक्षमता से उत्पन्न होती हैं कि वह अकेले कमरे में चुपचाप नहीं बैठ सकता।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विक्टर ई. फ्रैंकल:** “उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल होता है। उसी अंतराल में हमारी शक्ति होती है कि हम अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करें। हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और स्वतंत्रता निहित है।”

परिचय: कथन की व्याख्या

- **डिजिटल युग** में **गति, तात्कालिक राय, तुरंत आक्रोश और तीव्र प्रतिक्रिया** को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- **सोशल मीडिया, 24×7 समाचार चक्र और एल्गोरिदमिक वृद्धि** आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती हैं।
- इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में, यह कथन यह दर्शाता है कि **रोक-टोक करना, विचार करना और संयम का अभ्यास करना** अब एक प्रकार की शांतिपूर्ण क्रांति बन गया है।
- **विचारपूर्ण संयम** तात्कालिकता की संस्कृति को चुनौती देता है और सार्वजनिक जीवन में **विचार-विमर्श** को पुन: स्थापित करता है।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **आवेग के ऊपर तर्क**
  - **स्टोइक दर्शन** में **आत्म-नियंत्रण को स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप** माना गया है।
  - **मार्कस ऑरेलियस** ने तर्क दिया कि **प्रतिक्रिया पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण है।**
- **भारतीय नैतिक दृष्टिकोण**
  - **बौद्ध धर्म** में सही वाणी और सजग क्रिया पर बल दिया गया है तथा प्रतिक्रियाएँ **सजगता द्वारा निर्देशित** होनी चाहिये, न कि आवेग द्वारा।
  - **गांधीजी की नैतिकता** में संयम को कमज़ोरी नहीं, बल्कि नैतिक शक्ति माना गया।
- **आधुनिक मनोविज्ञान**
  - **संज्ञानात्मक विज्ञान** बताता है कि **आवेगपूर्ण निर्णय** अधिक त्रुटिपूर्ण और भावनात्मक पक्षपाती होते हैं।
  - **विचार और चिंतन** निर्णय, **निष्पक्षता तथा दीर्घकालिक परिणामों** को बेहतर बनाता है।

तात्कालिक प्रतिक्रियाओं की लागत

- **सार्वजनिक विमर्श**
  - ऑनलाइन आक्रोश प्राय: तथ्यों से पहले प्रकट होता है, जिससे **प्रतिष्ठा और सामाजिक विश्वास को क्षति पहुँचती है।**
  - **‘कैंसल कल्चर’** बिना उचित विचार-विमर्श के दंड का उदाहरण है।
- **शासन और नीतियाँ**
  - जन दबाव से प्रेरित त्वरित नीतियाँ प्राय: अप्रभावी या हानिकारक हो सकती हैं।
  - **सतत नीति निर्माण** के लिये **विचार-विमर्श, परामर्श और धैर्य** आवश्यक है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध**
  - तत्काल **कूटनीतिक प्रतिक्रियाएँ संघर्ष को बढ़ा सकती हैं।**
  - ऐतिहासिक रूप से **रणनीतिक संयम** संकटों को युद्ध में बदलने से रोकता आया है।

परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में विचारपूर्ण संयम

- **नेतृत्व**
  - जो नेता अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचार करते हैं, वे **विश्वास और प्रशासनिक स्थिरता को प्रोत्साहित करते हैं।**
  - संकट प्रबंधन के अध्ययन दर्शाते हैं कि शांत और मापी हुई संचार शैली **दहशत और गलत सूचना** को कम करती है।
- **सामाजिक सौहार्द**
  - संयम से ध्रुवीकरण की जगह **सहानुभूति और समझ** आती है।
  - विचार-विमर्श वहीं फलता-फूलता है,ट जहाँ प्रतिक्रियाएँ **विचारपूर्वक संतुलित** होती हैं।
- **व्यक्तिगत नैतिकता**
  - **आत्म-संयम** विश्वास और नैतिक प्राधिकरण को बढ़ाता है।
  - कभी-कभी **मौन** वाणी से भी अधिक प्रभावशाली होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

समकालीन प्रासंगिकता

- **सोशल मीडिया और लोकतंत्र**
  - वायरल प्रतिक्रियाएँ **लोकतांत्रिक विमर्श को विकृत** करती हैं।
  - **विचारपूर्ण संयम** बहुलवाद और तर्कसंगत असहमति को बनाए रखता है।
- **प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम**
  - एल्गोरिदम आक्रोश को बढ़ावा देते हैं, जबकि संयम **हेरफेर से बचाव** करता है।
  - डिजिटल साक्षरता में अब भावनात्मक नियंत्रण को भी शामिल किया जा रहा है।
- **सार्वजनिक संस्थाएँ**
  - न्यायपालिका, लोक सेवा और मीडिया अपनी वैधता बनाए रखने के लिये **संयम** पर निर्भर हैं।
  - तात्कालिक प्रतिक्रियाएँ संस्थागत विश्वसनीयता को कमज़ोर करती हैं।

नैतिक समन्वय

- **गति** पहुँच को बढ़ाती है, जबकि **संयम ज्ञान को सुरक्षित रखता है।**
- प्रतिक्रिया देना आसान है, **पर विचार करना चुनौतीपूर्ण है।**
- संपूर्ण हलचल के इस युग में, **संयम एक नैतिक प्रतिकूल संस्कृति बन जाता है।**

निष्कर्ष

तात्कालिकता की लत में डूबी इस दुनिया में, विचारशील संयम अब निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी बल बन चुका है। प्रतिक्रिया के बजाय **विचार और चिंतन** का चुनाव करके, व्यक्ति और संस्थाएँ **तर्क, गरिमा तथा नैतिक स्पष्टता** को पुन: प्राप्त करते हैं। डिजिटल युग में सच्ची प्रगति का श्रेय सबसे मुखर स्वरों को नहीं, बल्कि उन्हें मिलेगा जिनमें **ठहरने, विचार करने और सार्थकता के साथ उत्तर देने का सामर्थ्य है।**

प्रश्न: “स्वतंत्रता की असली परीक्षा आत्म-नियंत्रण (स्व-नियमन) की क्षमता में निहित है।”

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण

- **एपिक्टेटस (Epictetus):** वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, जो स्वयं का स्वामी नहीं है।
- **यशायाह बर्लिन (Isaiah Berlin):** भेड़ियों के लिये स्वतंत्रता का अर्थ अक्सर भेड़ों हेतु मृत्यु होता है।
- **जोको विलिनक (Jocko Willink):** अनुशासन ही स्वतंत्रता है।

परिचय: कथन की व्याख्या करना

- स्वतंत्रता को अक्सर **बाहरी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति** के रूप में देखा जाता है।
- लेकिन **बिना सीमाओं की स्वतंत्रता** अराजकता, शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभुत्व और सामूहिक हित की हानि भी ला सकती है।
- कथन के अनुसार, सच्ची स्वतंत्रता केवल **मनमर्ज़ी करने में नहीं**, बल्कि **अंतरात्मा द्वारा मार्गदर्शित संयम** अपनाने में प्रकट होती है।
- **आत्म-नियंत्रण** स्वतंत्रता को केवल आवेग से **ज़िम्मेदारीपूर्ण क्रिया** में बदल देता है।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **स्वतंत्रता और आत्म-नियंत्रण**
  - क्लासिकल दर्शन में **आत्म-नियंत्रण** को **स्वतंत्रता का उच्चतम रूप माना** गया।
  - **अरस्तू** के अनुसार, **सद्गुण का सार संतुलन में होता है, अत्यधिक में नहीं।**
- **भारतीय नैतिक विचार**
  - **भगवद्गीता** में **इच्छाओं पर नियंत्रण** को आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग बताया गया है।
  - **महात्मा गांधी** ने स्वतंत्रता (स्वराज) को **राजनीतिक आज़ादी से पहले आत्म-शासन और आत्म-नियंत्रण** के रूप में परिभाषित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- आधुनिक परिप्रेक्ष्य
  - **यशायाह बर्लिन** ने **नकारात्मक स्वतंत्रता** (बंधनों की कमी) और **सकारात्मक स्वतंत्रता** (स्व-शासन की क्षमता) के बीच अंतर किया।
  - **आत्म-नियंत्रण** स्वतंत्रता को **नैतिक उद्देश्य के अनुरूप** बनाता है।

स्व-नियमन के बिना स्वतंत्रता क्यों विफल होती है ?

- सामाजिक असमानता
  - **अविनियमित आर्थिक स्वतंत्रता** अक्सर धन और शक्ति को केंद्रीकृत कर देती है।
  - वैश्विक स्तर पर **शीर्ष 10% लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति** है, जो यह दर्शाती है कि **बिना संयम की स्वतंत्रता असमानता को और बढ़ा देती है।**
- डिजिटल और भाषण स्वतंत्रता
  - **सोशल मीडिया** स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही **गलत सूचना, घृणास्पद भाषण और उत्पीड़न** भी फैलता है।
  - **स्वयं-नियंत्रण की कमी** लोकतांत्रिक संवाद और सामाजिक विश्वास को नुकसान पहुँचाती है।
- पर्यावरणीय दोहन
  - **सीमाहीन उपभोग की स्वतंत्रता** ने **जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकीय क्षरण** को बढ़ावा दिया है।
  - आज **संयम की कमी** भविष्य की पीढ़ियों की स्वतंत्रता को सीमित करती है।

सतत स्वतंत्रता की आधारशिला के रूप में आत्म-नियंत्रण

- व्यक्तिगत स्तर
  - अनुशासन, विलंबित संतोष और नैतिक विवेक **व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने** में सहायक होते हैं।
  - **मनोवैज्ञानिक अध्ययनों** से यह स्पष्ट होता है कि **आत्म-नियंत्रण (स्व-नियमन)** का दीर्घकालिक **कल्याण और सुख-समृद्धि** से गहरा संबंध है।
- संस्थागत और नागरिक जीवन
  - **लोकतंत्र की जीवंतता** इस बात पर टिकी है कि नागरिक और नेतृत्व, असीमित अधिकार होने के बावजूद, नैतिक संयम और आत्म-अनुशासन का परिचय दें। सत्ता का विवेकपूर्ण उपयोग ही लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा करता है।
  - **संवैधानिक मूल्य** समाज के लिये **सामूहिक आत्म-नियमन** के रूप में कार्य करते हैं।
- आर्थिक एवं बाज़ार प्रणालियाँ
  - **नैतिक व्यावसायिक प्रथाएँ** और **कॉरपोरेट आत्म-नियंत्रण** शोषण और अस्थिरता को रोकते हैं।
  - **विश्वास पर आधारित बाज़ार** समय के साथ **बल पर आधारित प्रणालियों** की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

समकालीन प्रासंगिकता

- प्रौद्योगिकी और AI
  - **नवाचार** स्वतंत्रता का विस्तार करता है, लेकिन इसके लिये **नैतिक सीमारेखाएँ** अनिवार्य हैं।
  - जहाँ औपचारिक विनियमन पीछे छूट जाता है, वहाँ **निर्माताओं और उपयोगकर्त्ताओं द्वारा आत्म-नियंत्रण** अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- वैश्विक साझा संसाधन
  - **जलवायु कार्रवाई** राष्ट्रों से यह अपेक्षा करती है कि वे **सामूहिक अस्तित्व** के हित में **तात्कालिक स्वार्थों पर आत्म-संयम** दिखाएँ।
  - **प्रदूषण की असीम स्वतंत्रता अंततः हमारी ग्रहीय स्वायत्तता के क्षरण का कारण बनती है।**
- सार्वजनिक नेतृत्व
  - **संयम का पालन करने वाले नेता** शासन की **विश्वसनीयता और नैतिक वैधता** को सुदृढ़ करते हैं।
  - **संकट प्रबंधन** में आवेगपूर्ण सत्ता की बजाय **शांत और विवेकपूर्ण निर्णय** अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।

नैतिक संश्लेषण

- **स्वतंत्रता** यह निर्धारित करती है कि *क्या वैध है* ।
- **आत्म-नियमन** यह स्पष्ट करता है कि *क्या करना उचित है*।

- **स्वतंत्रता की परिपक्वता** का मूल्यांकन व्यक्ति का **स्वयं पर संयम लगाने की तत्परता** से होता है।

निष्कर्ष

वास्तविक स्वतंत्रता सीमाओं के अभाव से नहीं, बल्कि **आत्म-अनुशासन की मज़बूती** से जन्म लेती है। जो समाज **स्व-नियमन** को अपनाते हैं, वे **स्वतंत्रता को दायित्व** और **सत्ता को विश्वास** में रूपांतरित कर देते हैं।

स्वतंत्रता की सच्ची परीक्षा इस बात में नहीं है कि हम कितना कर सकते हैं, बल्कि इसमें है कि हम **कितने विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेकर आचरण करते हैं**।

प्रश्न: "केवल खड़े होकर पानी निहारने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते"

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण

- **आंद्रे जीद (André Gide):** "व्यक्ति तब तक नए समुद्र की खोज नहीं कर सकता, जब तक उसमें किनारे से दूर जाने का साहस न हो।"
- **लाओ त्ज़ु (Lao Tzu):** "हज़ार मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है।"
- **जोनाथन विंटर्स (Jonathan Winters):** "यदि आपका जहाज़ किनारे तक नहीं आ रहा है तो तैरकर खुद उस तक पहुँचें।"

परिचय: कथन की व्याख्या करना

- यह उद्धरण **आकांक्षा के सामने निष्क्रियता की निरर्थकता** को रेखांकित करता है।
- **दृष्टि, उद्देश्य और योजना** आवश्यक हैं, लेकिन **क्रियान्वयन के बिना वे अपर्याप्त** रहते हैं।
- **प्रगति** के लिये **कार्य करने का साहस, अनिश्चितता को स्वीकार करने की क्षमता** और **प्रयास के माध्यम से सीखने की तत्परता** आवश्यक होती है।
- यह कथन स्पष्ट करता है कि **संभावना और उपलब्धि के बीच सेतु 'कर्म' ही है**।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **चिंतन से अधिक कर्म**
  - **दर्शन** चिंतन को महत्त्वपूर्ण मानता है, लेकिन **निर्णायक तत्त्व कर्म** को मानता है।
  - **अरस्तू** के अनुसार, **सद्गुण की वास्तविक अभिव्यक्ति कर्म के माध्यम से ही होती है**।
- **भारतीय विचार**
  - **श्रीकृष्ण** अर्जुन को संदेह के बावजूद **कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं**, न कि **निष्क्रियता में पीछे हटने के लिये**।
- **आधुनिक विचार**
  - **व्यावहारिकतावाद (Pragmatism)** सैद्धांतिक चिंतन की बजाय **कार्य के माध्यम से सीखने** पर बल देती है।
  - **कर्म** से ही **अनुभवजन्य प्रतिपुष्टि, स्पष्ट दिशा** और **गतिशीलता** उत्पन्न होती है।

निष्क्रियता की लागत

- **व्यक्तिगत और सामाजिक ठहराव**
  - **असफलता का डर** अक्सर व्यक्ति को **कर्महीनता और ठहराव** में बाँध देता है, जिससे **महत्त्वपूर्ण अवसर चूक जाते हैं**।
  - **निष्क्रियता** कई स्थितियों में **असमानता और अन्याय को जारी रखने** का माध्यम बन जाती है।
- **शासन और नीति**
  - **सुधारों में देरी** से **संरचनात्मक समस्याएँ** और अधिक गंभीर हो जाती हैं।
  - **जलवायु कार्रवाई में विलंब** ने उससे जुड़ी **लागतों और जोखिमों** को अत्यधिक बढ़ा दिया है।
- **आर्थिक और तकनीकी संदर्भ**
  - निर्णय लेने में देर करने वाले देश और **संस्थाएँ धीरे-धीरे अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़त** खो देते हैं।
  - नवाचार में सफलता पूर्णतावाद से नहीं, बल्कि **प्रयोग और साहसिक पहल से** मिलती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में कर्म

- **क्रमिक प्रगति**
  - **छोटे लेकिन निरंतर प्रयास** मिलकर **बड़े परिवर्तन** का रूप ले लेते हैं।
  - **विकास की सफलताएँ** अक्सर **अपूर्ण लेकिन प्रयोगात्मक पहलों** से ही शुरू होती हैं।
- **नेतृत्व और साहस**
  - नेताओं का मूल्यांकन **घोषित इरादों** से नहीं, बल्कि **लिये गए निर्णयों** से किया जाता है।
  - **अनिश्चितता की स्थिति में भी कार्रवाई करना** प्रभावी नेतृत्व की एक प्रमुख पहचान है।
- **सामूहिक कार्रवाई**
  - **सामाजिक आंदोलन** तब आगे बढ़ते हैं जब **विचारों को संगठित जन-आंदोलन में बदला जाता है।**
  - **इतिहास** बताता है कि **अधिकारों का विस्तार देखने-भर से नहीं, बल्कि सक्रिय कार्रवाई से होता है।**

समकालीन प्रासंगिकता

- **युवा और रोज़गार**
  - **कौशल अर्जन** को **पहल करने और जोखिम उठाने की क्षमता** के साथ जोड़ना आवश्यक है।
  - **उद्यमशील पारितंत्र** में **देखने वालों की बजाय करने वालों** को अधिक अवसर और प्रतिफल मिलते हैं।
- **जलवायु और स्थिरता**
  - **केवल जागरूकता**, यदि वह **व्यवहार में परिवर्तन** न लाए तो **संकट को टालने में असफल** रहती है।
  - आज की स्थिति में ज्ञान की कमी से ज्यादा खतरनाक क्रियान्वयन की अनुपस्थिति बन चुकी है।
- **डिजिटल युग**
  - **उपकरण और मंच** पर्याप्त उपलब्ध हैं, लेकिन उनका **प्रभाव उपयोग पर निर्भर करता है।**
  - **निष्क्रिय उपभोग** धीरे-धीरे **सक्रिय सहभागिता** का स्थान ले लेता है।

नैतिक संश्लेषण

- **दृष्टि दिशा तय करती है, जबकि कर्म गति प्रदान करता है।**
- **कर्म के बिना चिंतन** अक्सर **टालने का माध्यम** बन जाता है।
- **प्रगति** तब शुरू होती है जब **इरादों को ठोस प्रयासों में बदला जाता है।**

निष्कर्ष

कोई भी यात्रा **केवल निरीक्षण से पूरी नहीं होती**। किनारे खड़े रहकर दिशा भले स्पष्ट हो जाए, पर **पानी में उतरने से ही पार पहुँचा** जा सकता है। आज की **तात्कालिक चुनौतियों** से जूझती दुनिया में **अपूर्ण लेकिन ईमानदार कार्रवाई** ही सबसे **नैतिक विकल्प** है। **इतिहास** उन लोगों का नहीं बनता जो परिवर्तन के दर्शक रहे, बल्कि उनका बनता है **जो जोखिम उठाकर आगे बढ़ने का साहस करते हैं।**

प्रश्न: गरीबी, क्रांति और अपराध की जननी है।

निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **अरस्तू:** "गरीबी, क्रांति और अपराध की जननी है।" *(संदर्भित उद्धरण)*
- **नेल्सन मंडेला:** "गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है। दासता और रंगभेद की तरह यह भी मनुष्य द्वारा निर्मित है तथा मनुष्यों के कार्यों से इसे समाप्त किया जा सकता है।"
- **मार्कस ऑरेलियस:** "गरीबी अपराध की जननी है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा: मार्क्स के अनुसार आर्थिक आधार (भौतिक परिस्थितियाँ) ही सामाजिक अधिरचना को निर्धारित करता है।**
  - जब **यह आधार अत्यधिक अभाव और गरीबी से ग्रस्त होता है** तो कानूनी एवं सामाजिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से संघर्ष तथा टकराव में बदल जाती है।
- **सापेक्ष वंचना सिद्धांत:** प्रायः केवल पूर्ण गरीबी ही नहीं, बल्कि **असमानता की अनुभूति** (अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर) ही क्रांति को जन्म देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जब लोग उस संपत्ति और समृद्धि को देखते हैं जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते तो यह निराशा धीरे-धीरे हिंसा में परिवर्तित हो जाती है।
- **स्ट्रेन सिद्धांत (समाजशास्त्र): रॉबर्ट मर्टन** के अनुसार समाज कुछ लक्ष्य (जैसे धन और सफलता) निर्धारित करता है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध नहीं कराता।
  - ऐसी स्थिति में अपराध गरीब लोगों के लिये उन लक्ष्यों तक पहुँचने का एक **'नवाचारी' (यद्यपि अवैध) माध्यम** बन जाता है।
- **मानवीय गरिमा और अस्तित्व:** दार्शनिक दृष्टि से जब **सामाजिक अनुबंध** लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ उपलब्ध कराने में विफल हो जाता है, तब व्यक्ति स्वयं को उस राज्य के कानूनों के प्रति नैतिक रूप से बाध्य नहीं मानता। ऐसी स्थिति में **जीवित रहना ही सर्वोच्च नियम** बन जाता है।

नीतिगत और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **फ्राँसीसी क्रांति (1789):** रोटी की भारी कमी और अत्यधिक कर्ज के कारण उत्पन्न संकट ने भूखी जनता को पहले **रोटी के दंगों** तक पहुँचाया तथा अंततः राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की क्रांति में बदल दिया।
- **रूसी क्रांति (1917):** **'शांति, भूमि और रोटी'** का नारा किसानों तथा शहरी गरीबों को ज़ारवादी निरंकुश शासन के खिलाफ संगठित करने का प्रमुख माध्यम बना।
- **महामंदी (1930 का दशक):** इस आर्थिक संकट के कारण संपत्ति से जुड़े अपराधों में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई और इसी गहरी आर्थिक निराशा ने चरमपंथी विचारधाराओं (**फासीवाद और नाज़ीवाद**) के उभरने के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं।
- **भारत में नक्सलवादी आंदोलन:** भूमिहीन मज़दूरों के शोषण और जनजातीय गरीबी से उत्पन्न यह **'रेड कॉरिडोर'** संघर्ष इस बात को स्पष्ट करता है कि आर्थिक उपेक्षा किस प्रकार लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह तथा उग्रवाद को जन्म दे सकती है।

समकालीन उदाहरण:

- **अरब स्प्रिंग:** यद्यपि यह आंदोलन लोकतंत्र की मांग से प्रेरित था, लेकिन इसके मूल कारण **ट्यूनीशिया और मिस्र** में युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी तथा खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें थीं।
- **शहरी अपराध दर:** आँकड़े लगातार यह दिखाते हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, वहाँ **'ब्लू-कॉलर' अपराध** (जैसे चोरी, लूट आदि) की दर अधिक होती है, जो अवैध गतिविधियों की संरचनात्मक प्रकृति को दर्शाता है।
- **विकासशील क्षेत्रों में साइबर अपराध:** कुछ क्षेत्रों में डिजिटल ठग अपने कार्यों को वैध, आर्थिक अवसरों की कमी और व्यापक गरीबी की प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहराते हैं।
- **सार्वभौमिक मूल आय (UBI) पर बहस:** आधुनिक नीतिगत चर्चाएँ संकेत देती हैं कि यदि सभी को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए तो **'निराशा के कारक'** को समाप्त करके अपराध दर और सामाजिक अशांति को कम किया जा सकता है।

प्रश्न: जिसके पास जीने का एक 'उद्देश्य' (क्यों) है, वह लगभग किसी भी 'परिस्थिति' (कैसे) को सहन कर सकता है।

निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **विक्टर फ्रैंकल:** "मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, पर एक चीज़ नहीं—मानव की अंतिम स्वतंत्रता: किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता।"
- **महात्मा गांधी:** "शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, बल्कि अडिग और अजेय इच्छाशक्ति से आती है।"
- **अल्बेयर कामू:** "ऊँचाइयों की ओर किया जाने वाला संघर्ष ही किसी मनुष्य के हृदय को भरने के लिये पर्याप्त है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **लोगोथेरेपी (अस्तित्ववादी विश्लेषण):** विक्टर फ्रैंकल द्वारा विकसित इस मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य की प्रमुख प्रेरणा सुख या शक्ति की खोज नहीं, बल्कि **जीवन के अर्थ की खोज और उसका अनुसरण** है।
- **अस्तित्ववाद और स्वायत्तता:** 'कैसे' (How) बाहरी परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है—जैसे पीड़ा, त्रासदी और

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जैविक सीमाएँ जबकि '**क्यों**' (Why) आंतरिक सार या उद्देश्य को दर्शाता है। दर्शन यह बताता है कि जब व्यक्ति के पास आंतरिक उद्देश्य होता है तो बाहरी पीड़ा **विनाशकारी** के बजाय **शिक्षाप्रद** बन जाती है।

- **टेलीओलॉजिकल नैतिकता:** यह जीवन को किसी अंतिम लक्ष्य के साथ जीने की अवधारणा है। जब व्यक्ति अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखता है तो बाधाएँ केवल **पार की जाने वाली रुकावटें** बन जाती हैं, न कि अंतिम अवरोध।
- **अनुकूलन और स्टोइक मानसिकता:** एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों ने सिखाया कि हम '**कैसे**' (**घटनाओं**) को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने '**क्यों**' (**तार्किक इच्छाशक्ति/उद्देश्य**) को नियंत्रित करके हम **अजेय** बने रह सकते हैं।

नीतिगत और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **होलोकॉस्ट से बचे लोग:** विक्टर फ्रैंकल के नाज़ी एकाग्रता शिविरों में किये गए अवलोकनों से पता चला कि जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य था, जैसे किसी प्रियजन से फिर मिलना या किसी पुस्तक को पूरा करना, उनकी जीवित रहने की संभावना, उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी, जिन्होंने आशा खो दी थी।
- **भारत का स्वतंत्रता संग्राम:** सत्याग्रहियों ने क्रूर लाठीचार्ज और कारावास को सहन किया क्योंकि उनका 'क्यों' (**पूर्ण स्वराज**) औपनिवेशिक दमन के भौतिक 'कैसे' से कहीं अधिक शक्तिशाली था।
- **नेल्सन मंडेला के 27 वर्ष:** अपार्थाइड को समाप्त करने के उनके संकल्प ने उन्हें रॉबेन द्वीप की एक छोटी कोठरी में दशकों तक के एकांत कारावास को बिना टूटे सहने की शक्ति दी।
- **स्पेस रेस (अंतरिक्ष दौड़):** 1960 के दशक में चाँद पर मानव को भेजने की विशाल तकनीकी और भौतिक चुनौती ('कैसे') को उस समय के तीव्र भू-राजनीतिक और वैज्ञानिक उद्देश्य ('क्यों') ने संभव बनाया।

समकालीन उदाहरण :

- **एथलेटिक उत्कृष्टता:** मैराथन धावक और ओलंपिक खिलाड़ी अत्यधिक शारीरिक पीड़ा ('कैसे') को सहन करते हैं क्योंकि उनकी पहचान तथा प्रेरणा एक स्पष्ट उद्देश्य ('क्यों') से जुड़ी होती है।
- **स्टार्ट-अप संस्कृति और उद्यमिता:** उद्यमी अक्सर कई वर्षों तक ऋण और असफलताओं का सामना करते हैं। जो अंततः सफल होते हैं, वे सामान्यतः केवल लाभ कमाने के बजाय **किसी समस्या का समाधान करने के दृष्टिकोण** से प्रेरित होते हैं।
- **महामारी के दौरान चिकित्सा पेशेवर:** कोविड-19 के समय स्वास्थ्यकर्मियों को थकावट और जोखिम का सामना करना पड़ा; लोगों की जान बचाने का कर्त्तव्य और 'क्यों' की भावना ने उन्हें कठिन एवं लंबी ड्यूटी निभाने की शक्ति दी।
- **मानसिक स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति:** आधुनिक मनोचिकित्सा अक्सर रोगियों को **जीने का एक कारण** खोजने में सहायता करने पर केंद्रित होती है, क्योंकि उद्देश्य की भावना को निराशा और आत्महत्या के विरुद्ध सबसे मज़बूत सुरक्षा माना जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME